लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 2-8-92
Parliament Library

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28 बुद्धवार, 30 जून, 1971/9 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 28, Wednesday, June 30, 1971/Asadha 9, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तां० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
812 भारत और नेपाल के बीच व्यापार वार्ता	Trade Talks between India and Nepal	1—2
814 नेताजी जांच आयोग को कार्यवाही में सहायतार्थ एक वकील की नियुक्ति	Appointment of a Lawyer to assist the Proceedings of Netaji enquiry Commission	2—5
817 विकसित पश्चिमी देशों के साथ भारत के आयात व्यापार में कमी	Decline in India's Import Trade with Western Advanced Countries	5—7
818 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी	International News Agency	7—8
819 काजू की गिरी का निर्यात	Export of Cashew Kernels	9—10
821 चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात् सिंचाई पर अधिक बल	Stress on Irrigation after Mid-term Appraisal of Fourth Plan	10—11
827 राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई कपड़ा मिलें	Textile Mills taken over by State and Central Government Agencies	11—13
828 चौथी योजना का पुनरीक्षित प्रारूप	Revised Draft of Fourth Plan	13—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
829 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जिन भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति जब्त की गई थी उनको मुआवजा	Compensation to Indians whose Property was confiscated during Indo-Pak conflict of 1965	15
831 टेलीविजन पर व्यापारिक कार्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of Commercials on Television	16
832 फिनलैंड द्वारा भारतीय फिल्मों की खरीद	Purchase of Indian Films by Finland	16—17
833 मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा विवाद	Madhva Pradesh-Rajasthan Boundary Dispute	17
834 टेलीफोन के बढ़े हुए बिल	Inflated Telephone Bills	17—18
836 माल डिब्लों के तोड़े जाने और रेलवे के सामान की चोरी को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना	Setting up of an Organisation to eradicate Wagon Breaking and Pilferage of Railway Goods	19—20
838 भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार का नवीकरण	Renewal of Indo-U. A. R. Tr.de Agreement	20—21
840 अमरीकी चलचित्र संस्था के माध्यम से अमरीकी फिल्मों का आयात	Import of U. S. Films through American Motion Pictures Association	21—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
811 गोआ में निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाया जाना	Setting up of Free Trade Zone in Goa	23—24
813 रबड़ के आयात पर रोक	Ban on Import of Rubber	24
815 "मदर इण्डिया" के मई, 1971 के अंक में बंगला देश की घटनाओं के बारे में प्रकाशित सम्पादकीय लेख तथा अन्य टिप्पणियां	Editorial and other Comments published in May 1971 Issue of 'Mother India,' re : Events in Bangla Desh	24

ता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

816	समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Marine Product	25
820	भारत तथा रूस के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी करार	Indo-Soviet Trade a d Payment Agreement	25
822	अमरीका को टाट के निर्यात में कमी	Decline in Export of Hessian to U. S. A.	25—26
823	पंजाब में दलित वर्गों को परेशान किया जाना और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ना	Harasment of Downtrodden People and deterioration in Law and order Situation in Punjab	26—27
824	वैज्ञानिकों के साथ योजना मन्त्री का विचार विमर्श	Planning Minister's Discussion with Scientists	27
825	एशियाई विज्ञापन संस्थान की स्थापना	Setting up of Asian Institute of Advertising	27—28
826	प्रतिरक्षा सम्बन्धी कागजात ले जाने के कारण दो पाकिस्तानी तथा एक भारतीय राष्ट्रिक का अमृतसर में गिरफ्तार किया जाना	Arrest of two Pak Nationals and an Indian for carrying away Defence Documents in Amritsar	28
830	टेलीविजन कार्यक्रम के लिये उपग्रह की स्थापना में भारतीय तकनीशियनों का सहयोग	Collaboration of Indian Technicians in Setting up of a Satellite for T. V. Programme	28—29
835	महाजन आयोग के प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किये जाने पर मैसूर में उपद्रव	Disturbances in Mysore over presentation of Mahajan Commission Report in Parliament	29
837	प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन	Production of Natural Rubber	29—30
839	पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में पोटाशियम क्लोराइट उपलब्धि की जांच	Investigation into availability of potassium Chlorites in West Bengal, Bihar and Kerala	30

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

3455	बेरोजगारी के सम्बन्ध में राज्यों आदि के मुख्य सचिवों का सम्मेलन	Conference of Chief Secretaries of States on unemloyment	30—31

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3456	विदेशियों के चाय बागानों की बिक्री	Disposal of tea gardens owned by foreigner	31—32
3457	पूर्व नोमाड और होशंगाबाद जिलों में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone facilities in the East Nimar and Hoshangabad Districts	32—33
3458	मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड जिलों में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh	33—34
3459	मध्य प्रदेश से निर्यात योग्य वस्तुओं का खरीदा जाना	Purchase of exportable goods from Madhya Pradesh	34
3460	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली को मान्यता	Recognition to all India Scheduled Casts and Schedul ed Tribes Employees' Welfare Association (Regd) New Delhi	34—35
3461	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कर्तव्यों को सीमित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by Administrative Reforms Commission to 'imit the role of Indian Administrative Services Officers	35
3462	आकाशवाणी के सहायक केन्द्र	Auxiliary Centres of A. I. R.	35—36
3463	कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण	Day-time transmissions for Cuddaph A. I. R. Station	36
3465	स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसर	Avenues of Promotion to Staff Artists	36—37
3466	नासिक जिला, (महाराष्ट्र) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Nasik Districts [Maharashtra]	37
3467	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का ट्राम्बे से मद्रास स्थानान्तरण किया जाना	Shifting of Bhabha Atomic Research Centres from Trombay to Madras	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3468	राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या करने के लिए गुण्डों के किराये पर लिये जाने के बारे में श्री ज्योति बसु का कथित वक्तव्य	Reported statementby Shri Jyoti Basu regarding alleged hiring of goondas to murder political figures	38
3469	नायलोन के धागे के मूल्यों के बारे में टेरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff commission's Report on Nylon Yarn prices	38—39
3470	काश्मीर में पाकिस्तानी मार्कों से युक्त गोलाबारूद का पाया जाना	Ammunition with Pak marking found in Kashmir	39—40
3471	दिल्ली में विभिन्न थानों पर पुलिस कर्मचारियों का तैनात किया जाना	Posting of Police official to various police Stations in Delhi	40
3472	दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Posting of Central Reserve Police in Durgapur	40
3473	अनुसन्धान क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान	Contribution by private sector in Research field	40—41
3474	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में धोखाधड़ी के मामले की जाँच के परिणाम	Finding of enquiry into defraud case in State Bank of India, New Delhi	41
3475	दिल्ली, नई दिल्ली और राम कृष्णपुरम स्थित सरकारी खजानों में गबन	Embezzlement in Delhi, New Delhi and R. K. Puram Treasuries	41—42
3476	पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमाओं का बन्द किया जाना	Sealing of border by Pakistan Army	4
3477	भारत-पाक सीमा पर हानि उठाने वाले पीड़ितों को मुआवजा	Compensation to victims for loss suffered on Indo- Pak torde	42—43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3478	मन्त्रियों तथा राजनीतिक नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में संथानम समिति की सिफारिशें	Recommendation made by Sonthanam Committee on corruption by Ministers and Political Leaders	43
3479	आम के उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों की खोज	Exploration of foreign markets for Mango products	43—44
3480	पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमोदनार्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक संशोधन का प्रारूप प्राप्त होना	Draft of an Amendment to Industrial Disputes Act from Government of West Bengal for approval	44
3481	नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड निदेशालय में प्रशिक्षक	Instructors in Directorate of Civil Defence and Home Guards	44—45
3482	त्रिपुरा में टी० सी० एस० अधिकारियों का स्तर	Status of T. C. S. Officers on Tripura	45—46
3483	राष्ट्रीय आय में वृद्धि	Increase in National Income	46
3484	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को रियायतें	Concessions to Government employees belonging to scheduled Castes Scheduled Tribes	46—47
3485	प्रधान मन्त्री के चुनाव सम्बन्धी दौरों पर व्यय	Expenditure on election tours under taken by Prime Minister	47
3486	भारत के फास्ट ब्रोडर रिएक्टर के लिए गुरूजल संयंत्र निर्माण के लिए फ्रांस की सहायता	French aid for constructing heavy water plant for India's Fast breeder Reactor	47—48
3487	पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में आसाम और पश्चिम बंगाल में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर नये मोर्चे खोलना	New Fronts opened by Pak troops in East Pakistan on international boundary in in Assam and West Bengal	48

अता० प्र० संख्या
U. S Q. Nos

3488	राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप भारत को जन तथा धन की हानि	Loss of Life and property suffered by India from border skirmishes on Indo Pak border in Rajasthan	49
3489	टसर अनुसंधान उपकेन्द्रों की स्थापना	Setting up of Tusser Research Sub-Centres	49
3490	विदेशी कम्पनियों को टेलीविजन सैटों के निर्माण करने की स्वीकृति देना	Grant of permission to Foreign Companies to manufacture T. V. Sets	50
3491	मिनर्वा तथा मैसूर सूती मिलों को पुन: खोलना	Reopening of Minerva and Mysore Cotton Mills	50—51
3492	रामपुरिया काटन मिल से रामपुर (पश्चिम बंगाल) का बन्द किया जाना	Closure of Rampuria Cotton Mills, Sermpore (West Bengal)	51
3493	नकली बालों की फैक्टरियों के स्थान	Location of Wig Factories	51
3494	टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of T. V. sets	51—52
3495	क्विलोन में टेलीफोन कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र	Applications for telephone connections in Quilon	52
3496	पौढ़ी गढ़वाल में डाकघरों की कमी	Shortage of Post offices in Pauri Garhwal.	52—53
3497	फलों का निर्यात	Export of fruits	53
3498	तेलंगाना समस्या का समाधान	Solution of Telengana problem	53
3499	कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Export of Textiles	53—54
3500	पश्चि जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को निर्यात	Exports to West Germany and East Germany	54—55
3501	दक्षिण में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in the South	55

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3502	बिहार में हो रहे जनगणना कार्य की धीमी प्रगति	Slow Progress in census operation in Bihar	55—56
3503	जी० पी० ओ० और टेलीफोन एक्सचेंज मोतीहारी, बिहार में कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास	Goverment accommodation for employees of G. P. O. and Telephone Exchange, Motihari (Bihar)	56
3504	मोतीपुर टेलीफोन एक्सचेंज में त्रुटि	Defect in Motipur Telephone Exchange	56—57
3505	दिल्ली प्रशासन के स्थायी घोषित किये गये कर्मचारियों को सुविधाएं	Benefits to employees of Delhi Administration declared permanent	57
3506	दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की वरीयता सूची	Seniority list of Employees in Delhi Administration	57—58
3507	बजट प्रस्तावों का निर्यात पर प्रभाव	Impact of Budget proposals on Exports	58
3508	काण्डला के शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र से निर्यात	Exports from Kandla free Trade Zone	58—59
3509	प्रगति और नाटक प्रभाग के कलाकारों का सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा	Boarder Tours by artistes of Song and Drama Division	59—60
3510	भुगतान न किये गये टेलीफोन बिल और टेलीग्राफ तथा टेलीफोन सरकिटों के किराये की बकाया राशि	Unpaid Telephone Bills and Arrears of Rent of Telegraph and telephonic circuits	60—61
3511	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बसुमति एण्ड कम्पनी (प्राईवेट) लिमीटेड कलकत्ता के कार्य की जांच	C. B. I. Inquiry into Affairs of Basumati and Co. (P) Ltd. Calcutta	61
3512	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3513	पाकिस्तानी जासूसी गतिविधि में में राजनैतिक दलों, नेताओं तथा कुछ पत्रकारों का कथित हाथ	Alleged connivance of political parties., leaders and few journalists in Pak-Espionage activities	61—62
3514	बंगला देश की घटनाओं का प्रचार	Publicity to Bangla Desh happenings	62—63
3515	आसाम-नागालैंड सीमा विवाद	Assam-Nagaland boundary dispute	63
3516	गृह-मन्त्रालय के अन्तर्गत सावधि-पदों पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	I. A. S. officers on tenure posts under Grih Mantralaya.	63—64
3517	दिल्ली में परिष्कृत मानव-केशों पर बिक्री कर की वसूली	Collection of Sales tax on human hair processed in Delhi	64
3518	रूस को काजू की गिरी का निर्यात	Export of Cashew Kernal to Soviet Union	64—65
3519	अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी मामलों में सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच मतभेद	Difference of opinion between Govern.-ment and Central Vigilance Commision on disciplinary cases	65—66
3520	गुजरात संवर्ग के आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Charges againt I. P. S. Officer borne on Gujarat Cadre	66
3521	भारतीय निर्यात की संवर्धन दर	Growth rate of India's exports	66
3522	इम्फाल के महल के प्रांगण में आसाम राइफल्स की चौथी बटालियन की निरन्तर नियुक्ति के कारण मनीपुर की जनता में असन्तोष	Discontentment among people of Manipur for cotinued posting of 4th Battalion of Assam Rifles in the palace compo-und in Imphal	67
3523	लाम्फेलपट (इम्फाल) में आकासवाणी भवन	A. I. R. Buildings at Lamphelpat (Imphal)	67—68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3524	नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Enquiry Commission	68
3525	सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से निर्यात	Export through public sector agencies	68
3526	बिहार के कुरनल और मुजफ्फरपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephonic link between Kurnool and Muzaffarpur in Bihar	68—69
3527	व्यापार सम्बन्धों के बारे में भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सूडान का दौरा	Indian Official delegation's visit to Sudan re : trade relations	69
3528	भारत में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन	Publication of periodicals by German Democratic Republic in India	69—70
3530	हस्तशिल्प निर्यात का राज्य व्यापार निगम के साथ विलय	Merger of Handicrafts Export Corporation with S. T. C.	70
3531	रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons	71
3532	रूस को रेलवे माल-डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to U. S. S. R.	72
3533	खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात	Import through M. M. T. C.	72
3534	तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में बन्द हुई सूती कपड़ा मिलों का फिर से खोला जाना	Reopening of closed Textile Mills Tamil Nadu, Kerala, Gujarat and Maharashtra	72—74
3535	कृत्रिम रेशम तथा रेयन के आयात तथा वितरण के बारे में शिकायतें	Complaints re : Imports and Distribution of Art Silk and Rayon	74—75
3536	सर्किल टेलीफोन निदेशिका का प्रकाशन	Publication of Circle Telephone Directories	75
3537	राजस्थान में संचार के अपर्याप्त साधन	Inadequate Means of Communications in Rajasthan	75—76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3538	कार्यपालक प्रसारण प्रबन्धक ट्रांसमिशन ऐग्जेक्यूटिव	Officiating Transmission Executives	76
3539	नए समाचार पत्रों के नामों की जांच	Verfication of Titles of New News-papers	76—77
3540	सिविलडिफेंस तथा होम गार्डस विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Civil Defence and Home Guard Department, Delhi	77
3541	राजस्थान के महाराजा किशनगढ़ की हत्या के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on the Murder of Maharaja of Kishangarh, Rajasthan	77—78
3542	भारतीय डाकघर अधिनियम	Indian Post Office Act	78
3543	कार्ल मार्क्स और लेनिन की पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना	Ban on Books written by Karl Marx and Lenin	78
3544	एर्नाकुलम (केरल) में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था को बढ़ाया जाना	Extension of subscribers Trunk Dialling System to Ernakulam (Kerala)	78—79
3545	अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota	79
3546	जोधपुर रेडियो ट्रांसमीटर के कमजोर प्रसारण के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints re: Poor Transmission of Jodhpur Radio Transmitter	80
3548	पश्चिम बंगाल के लिये दिल्ली में विशेष सेल	Special Cell for West Bengal at Delhi	80
3549	केरल में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Kerala	80—82
3550	सरकारी कर्मचारियों पर अपने आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति रखने के लिए मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Public Servants for possessing assests out of proportion to their Incomes	82

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

3551	दिल्ली में टेलीफोन और तार विभाग में झूठे बिल बनाने की जालसाजी	Racket of False Billing in telephone and Telegrame in Delhi	82—83
3553	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges against Officials of Directorate of Civil Defence and Home Guard, Delhi	83
3554	सरकारी क्षेत्र में संगणकों का उत्पादन	Manufacture of Computers in Public Sector	84
3555	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का अल्पशक्ति वाला ट्राँसमीटर	Poor Transmission of Calcutta Radio Station	84
3556	मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals in various Districts of Madhya Pradesh	84—85
3557	जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात से गिरफ्तार किये गये भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Underground Pak Nationals arrested in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat	85—86
3558	सरकार द्वारा आयोगों की नियुक्ति	Appointment of Commissions by Government	86
3559	बिहार में किशनगंज तथा पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्रों से गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak Spies arrested in Kishanganj in Bihar and Adjoining Areas of West Bengal	86—87
3560	दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक अपराधी की मृत्यु	Death of a Convict serving Imprisonment in Tihar Jail, Delhi	87
3561	रीवा तथा सैन्ग्रोली (मध्य प्रदेश) के मध्यवर्ती गांवों में नए तारघरों का खोला जाना	Opening of New Telegraphs Offices in Villages between Rewa and Sengrauli (Madhya Pradesh)	87—89
3562	जनमत मोर्चे के नेताओं और इस्लामाबाद स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के सैनिक सहचारी बीच श्रीनगर में हुआ गुप्त वार्तालाप	Secret Talks held in Srinagar between Plebiscite Leaders and Military Attache to British High Commission in Islamabad	89

अता० प्र० संख्या
U. S Q. Nos

3563 सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के राजपत्रित अधिकारी	Scheduled Caste Gazetted Officers in Information and Broadcasting Ministry	8906—
3564 भारत और सूडान के बीच व्यापार करार	Trade agreement between India and Sudan	90
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	90
देश में कोयले की कमी के समाचार	Reported Shortage of coal in the Country	96
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	90—92
श्री मोहन कुमार मंगलम	Shri Mohan Kumarmangalam	92—95
सभा पटल गर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	95
गैर-सरकारी सदस्यों के विघेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तीसरा प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Third Report	96
अनुदानों की मांगें 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	96
श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation	96
श्री बी० के० आर० वर्द्धराज राव	Shri V. K. R. Varadaraja Rao	96—97
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	97—99
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	99—100
श्री आर० वी० बडे	Shri R. V. Bade	100—101
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	101—102
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	102—103
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	103—104
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	105

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	106—107
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	107
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Dagga	107—108
श्री बालगोविन्द बर्मा	Shri Balgovind Verma	108—109
श्री राम कंवर	Shri Ram Kunwar	109—110
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri A. N. Vidhyalankar	110—111
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	111
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma	111—112
श्री समर गुह	Shri Samar Guba	112—113
डा० कैलाश	Dr. Kailash	113—114
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukan Chand Kachwai	114—115
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	115
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	116
श्री एस० बी गिरि	Shri S. B. Giri	116
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	116—117
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	117—118
आधे घण्टे की चर्चा	Half an Hour Discussion	118—121
नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के आलाटी	Allottees of East Pakistan Displaced Persons Colony at Kalkaji, New Delhi	118—121
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	118—120
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	121

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 जून, 1971/9, आषाढ़, 1893 (शक)
Wednesday, June 30, 1971/Asadha 9, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Members of this side are also wiohing you.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा से नमस्ते करता हूं, व्यक्ति विशेष से नहीं। कृपया इसे बार-बार न कहिये। जब मैं यहां आता हूं, मैं हमेशा ऐसे ही करता हं इसे फिर मत कहिये अच्छा नहीं है।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार वार्ता

†812 **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के प्रधानमन्त्री के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) . एक नई व्यापार तथा परिवहन संधि करने के लिये भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता पुनः प्रारम्भ करने

के सम्बन्ध में नेपाल के प्रधान मन्त्री के वक्तव्य की रिपोर्ट हमने प्रैस में देखी है। नई संधि किये जाने के विषय में स्थिति इस सभा में, 2 जून, 1971 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर में, स्पष्ट की जा चुकी है।

Shri N. S. Bisht : May I know why trade talks between India and Nepal are not making any headway inspite of all feclities being given and in view of this whether the Government will take up this matter on ministerial level instead of at the official level ?

Shri L. N. Mishra : So many times the talks on ministerial level have taken place and I myself have talked twice or thrice. The Foreign Trade Minister and External Affairs Ministers of Nepal did come here. I had talks with both of them the External Affairs Ministers also had talks with them. But unfortunately no sucess has been achived so far. I hope we would succeed in our next sound of talk in July next.

Shri N. S. Bisht : Will the Government while having talks keep in view the import of the smuggling into India of Chinese goods through Nepal.

Shri L. N. Mishra : It is a matter of deteril. As the hon. Member knows we have got differences about certain matters, The goods belonging to third country reaches our country through Nepal. We ask them to stop it. This is also one of the differences between India and Nepal that the goods belonging to third country should not reach India through their country.

नेताजी जांच आयोग की कार्यवाही में सहायतार्थ एक वकील की नियुक्ति

*814. **श्री समर गुह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली लोक सभा और वर्तमान लोक सभा के बहुत से सदस्यों ने नेताजी जांच आयोग की कार्यवाही में सहायतार्थ एक वकील नियुक्त करने के लिए प्रधान मन्त्री को लिखा है;

(ख) क्या आयोग के समक्ष भी इस प्रकार की अपील की गई थी तथा आयोग ने इस सम्बन्ध में अनुकूल रवैया अपनाया था और उस अपील को सरकार के पास भेज दिया था;

(ग) यदि हां, तो जनता की ओर से आयोग की कार्यवाही में सहायतार्थ एक वकील अब तक नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की नियुक्ति करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) . सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

नेता जी जांच आयोग की सहायतार्थ के लिए राष्ट्रीय समिति की ओर से कुछ संसद सदस्यों ने गत वर्षप्रधान मन्त्री को यह सुझाव दिया था कि उक्त समिति तथा आयोग की सहायता करने के लिए सरकारी खर्च पर एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ विधिवक्ता नियुक्त किया जाय। इस सुझाव पर आयोग की सलाह मांगी गई। आयोग का मत था कि यद्यपि

उक्त समिति की सहायता करने हेतु विधिवक्ताओं को नियुक्त करने की आयोग सिफारिश नहीं कर सकता परन्तु आयोग की सहायता के लिए एक उपयुक्त विधिवक्ता नियुक्त करने से आयोग का कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। सरकार आयोग के मत से सहमत थी और आयोग के साथ विचार-विनिमय करके एक वरिष्ठ विधिवक्ता की नियुक्ति के लिए चयन किया गया। किन्तु विधिवक्ता अन्यथा व्यस्त होने के कारण आयोग के हाल के विदेशी दौरे पर उनके साथ नहीं आ सका। आयोग से, अब यह सलाह देने का निवेदन किया गया है कि क्या उनको अब भी विधिवक्ता की सेवाओं की आवश्यकता है।

श्री समर गुह : मुझे खेद है कि मैं विवरण पढ़ नहीं सका। यदि आप अनुमति दें तो मैं मन्त्री महोदय से विवरण पढ़ने के लिए अनुरोध करूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ सकता हूं ? वह कह रहे हैं कि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। इसे पढ़ना उनका कर्त्तव्य था।

श्री समर गुह : आप उन्हें इसे पढ़ने के लिये कह कर मुझे सुविधा दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न कीजिए। ऐसी प्रथा स्थापित न कीजिए। जब विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है तो उसे पढ़ना माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य होता है।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बारे में जांच करने के लिये नेताजी जांच समिति की नियुक्ति की देश में अत्यधिक प्रशंसा की गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नेताजी के बारे में सभी संगत तथ्य आयोग के समक्ष प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं तथा उनकी सावधानीपूर्वक जांच और छान-बीन की जा सकती है एवं देश की जनता की आशाओं और संतुष्टि के लिये समूचे तथ्यों को आयोग के समक्ष सोद्देश्य प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस प्रकार जांच आयोग की कार्यवाही में सहायता मिल सकती है, क्या मैं जान सकता हूं कि नेता जी जांच आयोग की सहायिका राष्ट्रीय समिति ने न्यायाधीश खोसला से आयोग की कार्यवाही में सहायता करने के लिये एक वरिष्ठ तथा एक कनिष्ठ विधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अनुरोध किया था तथा क्या आयोग के अध्यक्ष सुझाव से सहमत हो गये थे और ऐसे विधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही विवरण में लिखा हुआ है। वह आपके हित के लिये इसे पढ़ देंगे परन्तु कृपया ऐसा पुनः मत कीजिए। प्रश्न करने से पूर्व विवरण पढ़ना आपका कर्त्तव्य था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इसे पढ़ रहा हूं। नेताजी जांच आयोग की सदस्य के लिये

राष्ट्रीय समिति की ओर से कुछ संसद सदस्यों ने गत वर्ष प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया था कि उक्त समिति तथा आयोग की सहायता करने के लिये सरकारी खर्च पर एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ विधिवक्ता नियुक्त किया जाय। इस सुझाव पर आयोग की सलाह मांगी गई। विधि वक्ताओं को नियुक्त करने की आयोग सिफारिश नहीं कर सकता परन्तु आयोग की सहायता के लिये एक उपयुक्त विधिवक्ता नियुक्त करने से आयोग का कार्य सुविधाजनक हो जायेगा। सरकार आयोग के मत से सहमत थी और आयोग के साथ विचार-विनिमय करके एक वरिष्ठ विधिवक्ता का नियुक्त के लिये चयन किया गया किन्तु विधिवक्ता अन्यथा व्यस्त होने के कारण आयोग के हाल के दौरे पर उनके साथ नहीं जा सका। आयोग से अब यह सलाह देने का निवेदन किया गया है कि क्या अब भी उनको विधि वक्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री समर गुह : जी हाँ, जिस वरिष्ठ विधिवक्ता को नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है तथा तथ्यों का पता लगाने में आयोग की सहायता करने के लिये वह आयोग के साथ जापान क्यों नहीं गये ? क्या सरकार को श्री जे० पी० मित्तर की ओर से सरकार से कोई शुल्क लिये बिना बेलाग सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिये आवेदन पत्र मिला है और यदि हां, तो उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया गया ? श्रीमन्, श्री मित्तर प्रमुख विधि वक्ता हैं और सरकार ने उन्हें शुल्क के रूप में 2000 रुपये देकर काश्मीर के मामले में नियुक्त किया था।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न में खो जाते हैं और हम भी प्रश्न में खो जाते हैं।

श्री समर गुह : एक सदस्य विशेष को दबाने का आपने ठेका ले लिया है। मुझे वास्तव में खेद है।

अध्यक्ष महोदय : काश, आप दबाये जाते।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधिवक्ता का नाम विपिन बिहारी लाल है। आयोग 23 मार्च को जापान के लिये रवाना हुआ था और 27 अप्रैल को लौटा। जैसा कि मैंने कहा है, विधिवक्ता आयोग के साथ नहीं गये। इसलिये हमने आयोग से पूछा है कि क्या अब भी उनको विधिवक्ता की सेवाओं की आवश्यकता है। इस मामले में हम आयोग की सलाह से काम करते हैं।

श्री समर गुह : श्री जे० पी० मित्तर द्वारा बेलाग-सलाहकार के रूप में कार्य करने की पेशकश का क्या हुआ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सेझियान : विवरण में कहा गया है कि "एक वरिष्ठ विधिवक्ता का नियुक्ति के लिये चयन किया गया था।" क्या वास्तविक नियुक्ति की गई थी और यदि हां, तो क्या विधिवक्ता को ये सूचना दी गई थी कि वह जापान जाने के लिये तैयार रहें और क्या उनकी इसी सूचना के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार श्री विपिन बिहारी लाल

के नाम की 20 मार्च, 1971 को सिफारिश की गई थीं। जैसाकि मैं बता चुका हूं, आयोग 27 मार्च, को जापान के लिये रवाना हो गया था। इसलिये विधिवक्ता उनके साथ नहीं जा सके।

श्री सेझियान : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वास्तव में नियुक्ति की गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने कहा उनसे पूछा गया है कि क्या अब भी उन्हें विधिवक्ता की सेवाओं की आवश्यकता है। उससे प्रकट है कि वास्तव में नियुक्ति नहीं की गई थी, सिर्फ सहमति हुई थी। परन्तु चूंकि वह आयोग के साथ जा नहीं सके इसीलिये इस बारे में आयोग से फिर पूछा जा रहा है।

Shri Ram Chandra Vikal : The Counsel was appointed by the Commission and the Government agreed to that the Couusel could not accompany the Commission. The Counsel should have been asked as to why could he not accompany. But instead the Government is approaching the Commission whether they require the services of the Counsels or not May I know tne reasons why the Counsel did not accompany the Commission.

Shri K. C. Pant : The Commission was also asked whether they required the services. They replied that services were not required for the Committee but if possible a Counsel should be appointed for the Commission. As I said, the Counsel was also consuted in this matter after the approval by the Commission and the Ministry of Law and Justice, But the Counsel could not accompany.

Shri Vikram Chand Mahajan : Was he the only Counsel in India to be approached ? Had any body else been approached ?

Mr. Speaker : Where have you been at that time ?

Shri K. C. Pant : In this first insfance another Senior advocate of the Supreme Court was selected and it was decided to appoint him. But the Commission informed us that he was already eng ged in another enqulry and he had once appeared on behelf of the enquiry which was set up under the Chairmanship of Shri Shah Nawaz Khan. Therefore, it was suggested that if would not be better to appoint him on this Commission.

विकसित पश्चिमी देशों के साथ भारत के आयात व्यापार में कमी

* 817 **श्री पी० गंगादेव** :
श्री निहार लास्कर :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल के विश्व व्यापार विभाग द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयात व्यापार में पश्चिम के विकसित देशों का भाग कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

आयातों के हमारे पैटर्न में परिवर्तन और हमारे आयातों के पूर्ति स्त्रोतों के व्यापक रूप में विविधीकरण द्वारा हम इस स्थिति में पहुंचे हैं । खाद्यान्न, निर्मित उवर्रकों, मशीनों (कृषि सम्बन्धी मशीनें छोड़कर), परिवहन उपस्करों और अन्य विभिन्न मध्यवर्ती तथा तैयार उत्पादों के विकसित पश्चिमी देशों से किए जाने वाले आयातों में भारी कमी के फलस्वरूप वर्ष 1967–68 तथा 1969–70 के बीच भारत के आयातों में उनके अंश में गिरावट आई है । देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से समीक्षाधीन अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाड़ा से गेहूं के आयातों में हम 50 प्रतिशत तक कमी कर सके हैं । औद्योगिक मन्दी के कारण देश में कतिपय पूंजीगत माल की आयात सम्बन्धी मांग में कुछ हद तक गिरावट रही । अन्य मदों के आयात में काफी हद तक कमी से यह प्रकट होता है कि आयात प्रतिस्थापन में भारत ने प्रगति कर ली है । अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में इस प्रकार का परिवर्तन एक स्तुत्य घटना है । समाजवादी देशों के साथ भारत के बढ़ते हुए आर्थिक सम्बन्ध हमारे आयात के स्त्रोतों के विविधीकरण और पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भरता कम करने में सहायक हुए हैं । भारत के आयातों में समाजवादी देशों का अंश वर्ष 1967–68 के 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1969–70 में 18 प्रतिशत हो गया ।

श्री पी० गंगादेव : क्या यूरोप से हमें **मिलने वाले ऋण** में कोई कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप हमारे आयात में भी गिरावट आ गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रश्न आयात व्यापार के बारे में है ।

श्री पी० गंगादेव : यह सम्बद्ध प्रश्न है ।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि वह निर्यात के बारे में पूछना चाहते हैं तो उन्हें अलग नोटिस देना चाहिए । पाश्चात्य देशों से होने वाले आयात में कमी मुख्यतया अन्य कारखानों के कारण हुई है । जिसके बारे में विवरण में स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री पी० गंगादेव : व्यापार में समूची कितनी कमी हुई है और क्या इसका कारण यूरोपीय साझा बाजार है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यूरोपीय साझा बाजार प्रमुख कारण नहीं है । प्रमुख बात यह है कि हमारे आयात का ढांचा और पद्धति बदल गये हैं । रुपये की अदायगी करने वाले देशों और

अफ्रीका से विरोध कर कच्चे माल के मामले में वृद्धि हुई है। पश्चिमी यूरोप में वह व्यापार कम हो सका है। कनाडा और अमेरिका से गेहूं का आयात काफी कम हो गया है।

श्री समर मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय पश्चिमी देशों से आयात में वर्ष-वार हुई कमी के बारे में ठोस आंकड़े देंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : पश्चिमी देशों से वर्ष 1967–68 में आयात में 67 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक कमी हुई है और वर्ष 1968–69 से वर्ष 1969–70 में 53 प्रतिशत तक कमी हुई है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है :

"औद्योगिक मन्दी के कारण देश में कतिपय पूंजीगत माल की आयात सम्बन्धी मांग में कुछ हद तक गिरावट रही।"

क्या विदेशों से पूंजीगत माल के आयात में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में भी कोई कमी हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इंजीनियरी उद्योग में मन्दी हुई है। इसलिये इंजीनियरी उद्योगों द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल का कम निर्यात हुआ है।

अन्तराष्ट्रीय समाचार एजेंसी

* 818 **श्री एम० कतामुतु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के जन-सम्पर्क उप-आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि यूनेस्कों की वित्तीय सहायता एवं एशियाई देशों के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी चालू करने की सम्भावनाओं की खोज की जाये;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के जन-सम्पर्क उप-आयोग की बैठक में हुए विचार विमर्श के संक्षिप्त रिकार्ड के मसौदे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें इस प्रकार की सिफारिश की गई है। तथापि, इस विचार-विमर्श का स्वीकृत रिकार्ड अभी तक सरकार को नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सरकार के सामने इस सुझाव पर विचार करने का सवाल नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० कतामुतु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने एक स्वतन्त्र समाचार एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री धर्मबीर सिंह : सरकार का विचार कोई नई एजेंसी बनाने का नहीं है अपितु समाचार एजेंसी के विकास तथा सहायता करने का है।

श्री एम० कतामुतु : इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विश्व की प्रायः सभी समाचार एजेंसियां विकासशील देशों के सम्बन्ध में गलत खबरे दे रही हैं, क्या सरकार का विचार एक नई स्वतन्त्र समाचार एजेंसी स्थापित करने का है, यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

श्री धमबीर सिंह : सरकार का विचार भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की सहायता करने का है क्योंकि भारत में आने वाले समाचार तथा यहां से अन्य देशों को भेजे जाने वाले समाचार सरकार की इच्छानुसार नहीं होते।

Shri Shashi Bhushan : Are the news agencies like Reuter in Britain or France independent once ? If they can run with 99 percent Government financial Aid and why con't we organise a news agency which can provide us with news from Asia, Africa and other socialist countries and propagate our country's news in other countries. What action is being taken by the Government in this regard ?

Shri Dharam Bir Sinha : The Government wants to establish such a news agency as may send news from India to Africa, Asia or countries of Latin America from our view point and the news from such contries to India in accordance with their Vew Point. The Government do not propose to organise any such a news—agency but if any such a news agency is promoted in India the Government will give all possible assistance to it.

श्री अनन्तराव पाटिल : मन्त्री महोदय का कहना है कि सरकार का विचार अपनी तरफ से कोई इस प्रकार की समाचार एजेंसी बनाने का नहीं है। लेकिन अगर इस तरह कोई एजेंसी देश में बने तो उसको सरकार हर तरह से सहायता देगी। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों के संगठनों की सिफारिश पर क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के विकास के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

Shri Dharam Bir Sinha : No such report has been submitted by News papers organisations.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : सरकार यह अनुभव करती है कि देश में एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की आवश्यकता है। सरकार ने इस बारे में जांच की है और इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन भी किया है।

काजू की गिरी का निर्यात

*81. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70 की अपेक्षा वर्ष 1970–71 में केरल से विदेशों को काजू की गिरी के निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां. तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) काजू कि गिरी के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक भारत से वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान हुए समग्र निर्यातों का सम्बन्ध है वे क्रमश: 57·42 करोड़ रुपये तथा 22·03 करोड़ रुपये के हैं।

(ख) सोवियत संघ द्वारा माल के उठान में कमी होना।

(ग) तब से बाजार में पर्याप्त सुधार हुआ है। नये बाजार विकसित करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम को भी अपरम्परागत गन्तव्य स्थानों को निर्यात आरम्भ करने के लिये कहा गया है।

श्री एम० के कृष्णन् : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि नई मंणियों के विकास के लिए कार्यवाही की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सोवियत संघ तथा अमरीका जैसे मुख्य खरीदारों के अतिरिक्त अन्य किन देशों में मंडियों का विकास किया जा रहा है तथा इसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ए० सी जार्ज : हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सोवियत संघ व्यापार समझौते के अन्तर्गत अपना सामान्य कोटा खरीद ले और इसके अतिरिक्त कनाडा, हांगकाँग और जापान में भी नई मंडियों का विकास किया जा रहा है। साथ ही हाल में इस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्यात को बढ़ाने हेतु पश्चिमी यूरोपीय मंडियों का अध्ययन भी किया गया है।

श्री एम० के० कृष्णन् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा निर्यात मुख्यत: कच्चे काजू के आयात पर निर्भर करता है तथा हमें काजू उत्पादन करने वाले देशों जैसे मोजाम्बिक तथा ब्राजील की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है क्या सरकार का विचार देश में ही कच्चे काजू का उत्पादन करने का है ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि हम 70 प्रतिशत से भी अधिक कच्चे माल के आयात के लिए दूसरे देशों जैसे केन्या, तनजानिया और अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों पर निर्भर हैं और इस अत्यधिक परनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए हमारा देश में ही काजू का उत्पादन आरम्भ करने का कार्यक्रम केरल सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम

आरम्भ किया है और इसमें उसे समुचित सफलता भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा, मैसूर तथा गोआ के वनों तथा बेकार पड़ी भूमि का प्रयोग काजू के पौधे लगाने के लिए करने की भी हमारी एक योजना है।

चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात सिंचाई पर अधिक बल

* 821. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात् योजना में सिंचाई पर कहीं अधिक बल दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग को कोई भौतिक लक्ष्य बताया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जब तक चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इस विषय में कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या नया रूप देने की योजना में इसको प्रमुख प्राथमिकता देने का विचार है ?

श्री मोहन धारिया : चौथी योजना के मूल्यांकन के दौरान ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी जो उत्पादन-प्रधान होने के साथ-साथ व्यवसायी-प्रधान भी हो। छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं अधिक उत्पादन-प्रधान होने के साथ व्यवसायी-प्रधान भी हैं अतः योजना के मूल्याँकन के दौरान स्वभावतः उन पर अधिक बल दिया जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या इस सम्बन्ध में प्रादेशिक असंतुलन को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री मोहन धारिया : प्रादेशिक असंतुलन का निश्चय ही ध्यान रखा जाता है। जैसाकि सदन को ज्ञात है, अन्तः यह राज्य की योजनाएं हैं, अतः प्राथमिकताएं निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है। फिर भी योजना आयोग इन असंतुलनों को राज्य सरकारों के ध्यान में लाएगा ताकि वे इन्हें दूर कर सकें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम काफी अरसे से चौथी योजना के मध्वावधि मूल्यांकन की बात सुन रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि चौथी योजना के प्रारूप का यह मूल्यांकन कार्य कब तक पूरा होगा और क्या राज्य सरकारो ने केन्द्र से छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं हेतु और धन आवंटित करने की मांग की है।

श्री मोहन धारिया : हमने मूल्यांकन का कार्य आरम्भ कर दिया है। योजना आयोग विभिन्न विशेषज्ञों, तकनीशनों, वैज्ञानिकों राजनीतिज्ञों, अथवा जिस किसी का भी योजना आयोग से सम्बन्ध है, से परामर्श कर रहा है। हम मुख्य मंत्रियों तथा राज्य के सम्बद्ध मंत्रियों से भी

राय लेंगे । पर इस सारी प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लगेगा । किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आगामी : महीनों तक मुल्यांकन का यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए ।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं कि कितना आवंटन किया जाएगा । लेकिन व्यापक चुनोतियों को , जिनका हम आज सामना कर रहे हैं, ध्यान में रखते हुए, हमें यह पता लगाना होगा कि हम किस प्रकार से संसाधन जुटा सकते हैं और किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister said that the work on mid-term appraisal of the fourth five year plan had not been completed yet. Some districts are considered as backward districts by the Central Government. I want to know whether schemes have been formulated during 4th plan for the development of these backward districts ? If so what are they ?

श्री मोहन धारिया : मैं सदन को बता चुका हूं कि सभी प्रकार के आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर किए जाते हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य मंत्रियों का एक संगठन है । आवंटन करते समय पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा यह प्रयत्न किया जाता है कि यह प्रादेशिक असंतुलन शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो ।

Shri N. K. Singh : In view of the fact that only 25 percent of cultivable land is irrigated and that the Government aims at providing irrigation fascilities for 33 percent of the cultivable land by the end of fourth five year plan, will the Government see that sufficient funds are allocated for medium and minor projects which are job oriented so that there is increase in percentage of irrigation and prospects of employment are enhanced ?

Mr. Speaker : The question is about the reappraisal of the plan.

श्री मोहन धारिया । हम प्रयत्न करेंगे कि व्यवसाय-प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से हमारी समस्या हल नहीं होती क्या सरकार छोटी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उपाय कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : देश में बड़ी छोटी तथा बीच की सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता है । यह सब कुछ स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है। किन्तु यह सच है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हमें छोटी सिंचाई योजनाओं पर बल देना होगा ।

राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई कपड़ा मिलें

*827 **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों ने गत एक वर्ष में कितनी सूती कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया और उनमें से कितनी मिलें इस समय कार्य कर रही हैं और उनका कार्य कैसा चल रहा है;

(ख) कितनी मिलों के बारे में जांच चल रही है; और उन्हें कब तक पुनः खोला जायेगा; और

(ग) मिलों के भविष्य में बन्द होने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विगत एक वर्ष के दौरान, आठ सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा, उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम की धारा 18–क के अन्तर्गत, अपने अधिकार में लिया जा चुका है। छः मिलों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य वस्त्र निगमों को प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, जबकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को, दो मिलों का प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया है। इन आठ मिलों में से पांच मिलें कार्य कर रही हैं।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत बन्द मिलों की ओर है। ऐसी छः मिलों के मामलों की जांच हो रही है और आठ मिलों के सम्बन्ध में जांच समिति के प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है। यह कहना बहुत कठिन है कि ये मिलें कब पुनः कार्य करना शुरू कर देंगी।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध निर्देशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल, कमजोर सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रहा है।

श्री एस० आर० दामाणी : विवरण के अनुसार आठ सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जा चुका है जिनमें से पांच मिलों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और तीन अभी तक बन्द पड़ी हैं। क्या मन्त्री महोदय उन तीन मिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया और मिलें चालू न होने के क्या कारण हैं ?

वक्तव्य के भाग (ख) में कहा गया है कि कमजोर सूती वस्त्र मिलों को अधिकार में लेने हेतु एक जाँच समिति की स्थापना की गई है। क्या मंत्री महोदय उन मिलों के नाम बताने के प्रयत्न करेंगे ? क्या जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? इन मिलों को पुनः चालू करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : वे तीन मिलें जो बन्द पड़ी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं केशव मिल्ज़ कम्पनी लि०, पीटलाड़ कोयम्बतूर मुरनगन मिल्ज़, कोयम्बतूर और अयोध्या टैक्सटाइल मिल्ज़ लि०, दिल्ली। कुछ मामले उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े हैं। वित्तीय

निवेश के बारे में राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार हो रहा है। कठिनाई प्रबन्धकों की ओर से है। प्रबन्धकों का कहना है कि उनका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसीलिये जब तक गुजरात सरकार सहमत न हो, हम मिल को अपने हाथ में नहीं ले सकते। प्रमुख कठिनाई प्रबन्धकों की ओर से ही है। हमने इन मिलों की आस्तियों और दायित्वों की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है। जो मिलें किसी काम की नहीं हैं, उन्हें हम अपने नियन्त्रण में नहीं ले सकते।

श्री मधु दंडवती : क्या सरकार अपनी उसी पुरानी प्रथा को ही बनाये रखना चाहती है कि यह संकटग्रस्त मिलों को अपने नियन्त्रण में ले, उन्हें आधुनिक बनायें और व्यवस्थित करें और जब लाभ की सम्भावनाओं में वृद्धि हो, तो वह उन्हें पुनः उनके प्राईवेट मालिकों को सौंप दे ?

श्री ललित नारायण मिश्र : अभी तो वर्तमान अधिनियम का आशय यही है। परन्तु मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या ऐसा करना उचित है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : अब तक इस प्रकार नियन्त्रण में मिलें लेने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Phool Chand Verma : In Connection with part (a) of the question, I would like to know from the hon. Minister whether Malwa and Kalyan Mills Indore, Madhya-Pradesh have requested the State and Centre Governments to take over these mills and they are unable to run them ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल उन मिलों से है जो कि पहले ही नियन्त्रण में ली जा चुकी हैं। यह तो केवल एक सुझाव हो सकता है, प्रश्न नहीं।

श्री सोमचन्द सोलंकी : श्रीमान् जी, वाकिल जहांगीर मिलों को बन्द हुए 6 महीने से भी अधिक समय हो गया है और इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री और मन्त्री महोदय को भी कई ज्ञापन दिये जा चुके हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अहमदाबाद की इन मिलों को चलाने के बारे में मंत्री महोदय ने कोई निर्णय किया है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : यह मामला उच्च न्यायालय में था और न्यायालय पहले ही अपना निर्णय दे चुका है अब हमने इसे सहकारी समितियों के सपुर्द करने का निर्णय किया है और यदि इसके लिए सहकारी समितियां आगे आती हैं तो हम औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से उनकी वित्तीय सहायता भी करेंगे।

Revised Draft of Fourth Plan

*** 828 Shri Ramavatar Shastri**
Shri C. Janardhanan :

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) Whether Government have since prepared a revised draft of the Fourth Five Year Plan and, if so, the main features thereof;

(b) Whether Government propose to hold a discussion on the draft of the Parliament before taking any final decision thereon; and

(c) If so, by what time and, if not, the reasons there for ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No. Sir. An appraisal of the Fourth Five Year Plan, however, is in progress.

(b) & (c) : The appraisal document when ready will be placed before the National Development Council for consideration and after it has been approved by them, will be laid on the Table of the House.

Shri Ramavatar Shastri : When did the Government feel the necessity of Preparing draft of Fourth ive Year Plan and which are the items to be changed and how much time will be taken by the Government to do so ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसे लगभग तीन महीने लगेंगे । योजना तक निरन्तर मानने वाली प्रक्रिया है लोगों को हमने जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें जो भी कार्यवाही करनी पड़ी, हम उसे करेंगे । इसीलिए चौथी योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

Shri Ramavatar Shastri : Do the Government propose to place the re-appraised Fourth Plan befc re the Parliament for discussion during this session or not ? If not what are the reasons therefor ?

श्री मोहन धारिया : यह सत्र तीन महीने से अधिक समय चलने वाला नहीं है। अतः पुनरीक्षित योजना का दस्तावेज इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा ।

Mr. Speaker : If you want this Session can be extended.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, the question must be replied to. As you know they have promised a discussion but it is being postponed constantly.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : चौथी पंचवर्षीय योजना पर भी सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है । अतः क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि पुनरीक्षित योजना पर चर्चा करने से पूर्व चौथी पँचवर्षीय योजना पर भी सदन में चर्चा की जाये ?

श्री मोहन धारिया : इससे सम्बद्ध एक प्रस्ताव पहले ही हमारे मंत्रालय को भेजा जा चुका है । हमने इसकी मंजूरी दे दी है और इसे इसी सत्र में चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए ताकि चौथी पँचवर्षीय योजना के पुनरीक्षण से पूर्व ही हमें माननीय सदस्यों के नये विचारों का पता चल जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

श्री समर गुह : बंगला देश के शरणार्थियों की खाद्य सहायता से सम्बन्धित पुनर्वास

मंत्रालय द्वारा जो नोट परिचालित किया गया है उसके अनुसार इस कार्य के लिए 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है परन्तु अभी तक विदेशों से केवल 30 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगला देश के शरणार्थियों के अतिरिक्त बोझ के परिणामस्वरुप, योजना का पुन: मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्रारूप तैयार किया जायेगा ? यदि नहीं तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मोहन धारिया : नि:संदेह योजना के पुन: मूल्यांकन के समय शरणार्थियों से उत्पन्न स्थिति को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

Compensation to Indians whose Property was confiscated during Indo-Pak Conflict of 1965

*829. **Shri M. C. Dage** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether any compensation has since paid to the Indians whose property was confiscated by Pakistan during the Indo-Pak conflict of 1965; and

(b) If so, the dates of payment of the compensation together with the amount thereof ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। भारत सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय समवायों को तदर्थ अनुग्रह-अनुदान देने का विनिश्चय किया है जिनकी सम्पत्तियां पाकिस्तान सरकार द्वारा सितम्बर, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब्त कर ली गयी थीं। सम्बन्ध पार्टियों से दावों के पूरे ब्यौरे, जिनकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सम्बन्ध रूप से की गयी हो, देने के लिए कहा गया है। यदि और जब दावों का सत्यापन पूरा हो जायेगा तभी भुगतान कर दिये जायेंगे।

Shri Mool Chand Daga : Has any Compensation been given to anybody since 1965 ?

Shri L. N. Mishra : I have already said that recently a decision was taken by the executive ab cut the n ot e of Compensation. There are about six thousand claimants and their demand amcmts to about Rs. 109 crores. We are looking into the matter and the property of Pakistan Government and its citizens will also be taken into account.

Shri Mool Chand Daga : what will be the basis of your enquiry and Compensation ?

Shri L. N. Mishra : They will have to produce documents and full details, which will be submitted to Custodian for investigation. They will have to submit their applications within this year.

Shri N. N. Pandey : How much time the disposal of all these cases will take ?

Shri L. N. Mishra : It is difficult to say anything at this moment. On receipt of applications, we will see the position.

Shri D. N. Tiwary : Mr. speaker, two things have been stated an first is about the Compensation of Rs. 109 crores and second is about tallying the Pakistan property. I would like to know whether the Pakistani property has been assessed and if so, how much it is ? What about the claimants who have died during these 6 to 7 years ?

Shri L. N. Mishra : We will have to go by merits while deciding about various applications and their predecessors. The Pakistani property has been assesed and its value is not more than Rs. 40-50 crores which is much less as compaired to the claims worth Rs. 104 crores of rupees.

टेलीविजन पर व्यापारिक कार्यक्रम आरम्भ करना

* 831. **श्री जी० वेंक्टस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन पर व्यापारिक कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह कार्यक्रम संभवत: कब से आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : तथा : (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Shri G. Venkatswamy : Has it been decided to entrust this job to some commercial agency ? If so will it be with some foreign collaboration.

Mr. Speaker : He has already given a negative reply. How you are passing this question.

फिनलैंड द्वारा भारतीय फिल्मों की खरीद

* 832. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड ने अपने टेलीविजन केन्द्रों द्वारा प्रसारण के लिये भारतीय फिल्में खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी फिल्में खरीदी जायेंगी;

(ग) फिल्मों का मूल्य क्या होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में भुगतान किस तरीके से किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) : फीनिश ब्राडकास्टिंग कम्पनी। टी० वी०, हैलिसकी द्वारा फिनलैंड में अपने दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ दस फिल्में चुनी गयी है।

(ग) तथा (घ) : प्रत्येक फिल्म को पहली बार दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने पर 1300 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर तथा दूसरी बार प्रदर्शित करने पर 650 डालर प्रति फिल्म दिये जायेंगे और भुगतान सामान्य बैंकिंग माध्यमों से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जायेगा।

श्री रामन सत्यनारायण राव : विवरण से पता चलता है कि फिल्मों का चयन कर लिया गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह फिल्में खरीदी गई हैं।

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि फीनिश ब्राड कास्टिंग कम्पनी। टी० वी० द्वारा प्रत्येक फिल्म को पहली बार टेलिविजन पर प्रदर्शित करने के लिए 1300 संयुक्त

राज्य अमरीकी डालर की दर से और दूसरी बार प्रदर्शित करने के लिए 650 डालर की दर से खरीदा गया है । हमने उन्हें 10 फिल्में बेची हैं जिनमें से कुछ हिन्दी, बंगाली, मराठी और गुजराती में हैं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : जो 10 फिल्में खरीदी गई हैं क्या उनमें से कोई तेलगू फिल्म भी है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : मुझे खेद है कि इस वर्ष तो कोई तेलगू फिल्म नहीं है ।

Madhya Pradesh–Rajasthan Boundary Dispute

*833. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether there is a boundary dispute between Madhya Pradesh and Rajasthan over Bhawani Mandi (Rajasthan); and

(b) The steps taken by Government to resolve this dispute ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

Dr. Lakshmi Narain Pandey : Though hon. Minister in his reply has said that question does not arise, but even so, I would like to ask whether the traders' representative Boards, publicmen and the Municipal Committee have sent representations that boundary dispute is there and Government should act as an arbitrator, because this is the responsibility of the centre.

Shri K. C. Pant : We asked both the state Governments, whether there is any boundary between Madhya Pradesh and Rajasthan over Bhawani Mandi. But both of them denied this fact.

Dr. Lakshmi Narain Pandey : The assumes may be correct but I asked whether Government have received any letter from the representative bodies, public and Municipal Committee of the area to the effect that there is a dispute between the two State Governments which calls for the centres intervention.

Mr. Speaker : Central Government can only ask the state Governments.

टेलीफोन के बढ़े हुए बिल

* 834. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोनों के बढ़े हुए बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में की गई शिकायतों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया

जाता है;

(ग) क्या सरकार टेलीफोन बिलों सम्बन्धी इस धांधली को रोकने के लिए कोई उपाय करेगी; और

(घ) क्या सरकार इस धांधली को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कुछ टेलीफोन उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं कि उन्हें बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं।

(ख) बढ़ हुए बिलों सम्बन्धी प्रत्येक शिकायत की पूरी तरह जांच की जाती है ।

(ग) तथा (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ शिकायतें की गई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी शिकायतों की जाँच पड़ताल की गई थी और यदि हां तो जाँच के क्या निष्कर्ष निकले और क्या किसी को कोई दण्ड दिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहुत से मामले में जिनमें यह शिकायत की गई थी बिल बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए नहीं थे वरन् वे सही बिल थे, पर कुछ मामलों में जहां उन्हें ऐसा पाया गया, सम्बन्धित अधिकारियों ने उचित छूट दी है ।

श्री पीलू मोदी : किसी को दण्ड दिया गया अथवा नहीं यह नहीं बताया ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या कुछ दिनों पहले इस टेलीफोन घोटाले में एक टेलीफोन लाइन मैन को पकड़ा गया था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : तीन लोगों को पकड़ा गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बढ़े हुए इन बिलों के सम्बन्ध में हमें सम्बन्धित अधिकारियों को कई बार टेलीफोन पर कहना पड़ता है ? क्या बढ़े हुए बिलों के सम्बन्ध में किये गये टेलीफोनों के लिये कुछ भी फीस न लिए जाने के सम्बन्ध में कदम उठाए जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे खेद है कि मैं श्री बनर्जी के कहने अनुसार उन्हें अनुग्रहीत नहीं कर सकता । एक बढ़े हुए बिल के सम्बन्ध में विभिन्न समयावधियों, बिल के प्रकार, पिछले बिलों, मीटरों को जांच आदि जैसी अन्य तकनीकी बातों की जांच करनी पड़ती है । जब विभाग इस बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि बिल बढ़ा हुआ है तब तक किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती ।

माल डिब्बों के तोड़े जाने और रेलवे के सामान की चोरी को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना

*836. **डा० रानेन सैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेलवे यार्डों तथा अन्य स्थानों पर माल डिब्बों के तोड़े जाने और रेलवे के समान की चोरी को रोकने के लिये एक संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय से सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । किन्तु रेल मंत्रालय ने रेलवे में विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्र में अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में गृह मंत्रालय से सहयोग करने के लिये कहा है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) पश्चिम बंगाल सरकार रेलवे पुलिस के साथ पूरी तरह सम्पर्क स्थापित कर कार्य करने के लिए और अधिक सशस्त्र गश्त समेत सभी सम्भव सहायता देने को सहमत हो गई है ।

(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ टुकड़ियाँ भी अधोक्षक रेलवे पुलिस, हावड़ा को उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, उनके अधिकार में रखी गई हैं और अत्यावश्यक रेलवे प्रतिष्ठानों के संरक्षण तथा यार्डों व खुली लाइनों की उत्तम सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता हुई तो और अधिक टुकड़ियां भेजी जायेंगी ।

(iii) पश्चिम बंगाल सरकार ने ऊंचाई पर लगे तीव्र विद्युतगामी तारों की चोरी को रोकने के लिए पटरियां आदि पर गश्त की एक योजना भी बनाई है ।

(iv) उन्होंने रेलवे पर अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना के उत्तम एकत्रीकरण के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ा दिया है ।

(v) पश्चिम बंगाल सरकार चोरी की गई सम्पत्ति को लेने वालों तथा रेलवे सम्पत्ति की चोरी में अर्न्तग्रस्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ।

डा० रानेन सेन : यह एक सर्वविदित सत्य है कि रेलवे में होने वाली चोरियों में निश्चित रूप में रेलवे कर्मचारियों का हाथ होता है । क्या सरकार के सम्मुख माल डिब्बे तोड़ने, चोरी तथा अन्य ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए कार्मिक संघों का सहयोग लेने की योजना अथवा प्रस्ताव है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस कार्य में सरकार निस्सन्देह कार्मिक संघों के सहयोग का स्वागत करेगी ।

डा० रानेन सेन : सरकार को इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में यह रेलवे मंत्रालय कार्य है। यहां मैं गृह मन्त्रालय की ओर से केवल उस सीमा तक ही प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं जिस सीमा तक रेलवे मंत्रालय ने हमारा सहयोग माँगा है। फिर भी जैसा कि मैंने कहा सरकार कार्मिक संघों के सहयोग का स्वागत करेगी।

डा० रानेन सेन : इस तथ्य को देखते हुए कि माल डिब्बों को तोड़ने, चोरी तथा तोड़ फोड़ में अन्तर्राज्यीय गिरोहों का हाथ होता है, क्या भारत सरकार अथवा गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों की पुलिस के मिल कर कार्य करने की योजना पर विचार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहले उपाय के रूप में जैसा कि मैंने वक्तव्य में भी कहा है, अच्छी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए और जानकारी मिलने पर जहां भी ऐसी गतिविधियां पाई जायें, कार्यवाई अवश्य करनी पड़ेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि चोरी माल लेने वाले और अपराधियों के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यदि हमें किसी राज्य में इन गतिविधियों का पता चलेगा हम निश्चय ही हम वहां कार्यवाई करेंगे।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether any action has been taken by Governments on the suggestions made by social organizations and the public regarding thefts in Railway Yard.

Shri K. C. Pant : I do not know any thing about the suggestions given. They might have been given to the Railway Ministry. But so f r as the Co-operation of the pub!ic and rural public is concerned that is most welcome. If they find anybody stealing over head transmission wire. They should report to the police immediately.

भारत संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार का नवीकरण

*838. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1971 के 'संडे स्टैंडर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतसंयुक्त अरब गणराज्य व्यापार के प्रति अन्ननस्कता दिखाई जा रही है तथा व्यापार करार के नवीकरण का कोई संकेत नहीं है;

(ख) करार के नवीकरण में क्या बाधाएं हैं; और

(ग) यदि करार का नवीकरण नहीं हुआ तो हमें कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) सरकार ने प्रैस समाचार देख लिया है।

(ख) तथा (ग) : भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच प्रति वर्ष 75 से 80 करोड़ रुपये का कुल व्यापार होता है। इतने बड़े आयाम के व्यापार में कुछ कठिनाइयाँ तो उत्पन्न होंगी ही। सामान्यत: इनकी बातचीत द्वारा सुलभा कर पारस्परिक समाधान कर लिया जाता है। ऐसी बातचीत संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के साथ चल रही हैं और बातचीत की वर्तमान स्थिति में अंतिम निष्कर्षों का पुर्वानुमान लगाकर बताना सम्भव नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हुए 70-80 करोड़ रुपये के कुल व्यापार में कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ ?

श्री एल० एन० मिश्र : संयुक्त अरब गणराज्य को हम आयात की तुलना में बहुत अधिक निर्यात करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि संयुक्त अरब गणराज्य हम केवल रूई का आयात करते हैं जबकि उनको बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करते हैं और अब तक हम उन्हें 10 करोड़ रुपये का तकनीकी ऋण दे चुके हैं।

श्री एच०एम० पटेल : वर्तमान स्थिति के कारण निर्यात की किन-किन प्रमुख वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि जुलाई में नया करार होना है। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों के बीच बातचीत समाप्त हो गई है अब मन्त्रियों के बीच बातचीत होगी। संयुक्त अरब गणराज्य को हम मुख्यत: इस्पात और जूट का सामान तथा मसाले निर्यात करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई प्रभाव पड़ेगा। भुगतान के प्रश्न पर हमें विचार करना पड़ेगा। उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं और उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वे सीधा भुगतान करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। कोई फार्मूला खोजना पड़ेगा।

इसलिये केवल बातचीत के बाद ही हम स्थिति में होंगे कि क्या निष्कर्ष निकलेगा।

अमरीकी चलचित्र संस्था के माध्यम से अमरीकी फिल्मों का आयात

*840. **श्री शशि भूषण :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अमरीकी फिल्में, अमरीकी चलचित्र संस्था के माध्यम से आयात की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था के साथ करार की क्या शर्तें हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में अमरीकी फिल्मों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और उसी अवधि में संस्था को कितना लाभ हुआ ;

(घ) क्या संस्था के साथ करार की अवधि निकट भविष्य में पूरी होने वाली है; और

(ङ) क्या सरकार ऐसी फिल्मों का आयात उक्त संस्था की बजाय भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से करना चाहती है, और यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ङ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) अमरीकी चलचित्र निर्यात संस्था के साथ हुआ वर्तमान करार जो 1-7-68 को लागू हुआ था, 30-6-71 को समाप्त होता है । करार की शर्तों के अनुसार अमरीकी चलचित्र निर्यात संस्था, इंक, बम्बई की सदस्य कम्पनियों को, आधार वर्ष के 50% के कोटे पर रूपक चित्रों के आयात करने की अनुमति है ।

(2) आयातित चलचित्रों की कुल आय भारत में निरुद्ध लेखे के अन्तर्गत रखी जाती है, जिसमें से सभी कम्पनियों को मिलाकर 25 लाख रुपये तक की राशि प्रति वर्ष बाहर भेजने की अनुमति दी जाती है । शेष राशि का उपयोग भारतीय चलचित्रों के खरीदने तथा किराये पर देने, भारत में उत्पादन तथा सह उत्पादन, व्यावसायिक प्रबन्धकों के यात्रा व्यय, भारत में बांड में साधित करने हेतु प्रभार, भवन खरीद, भारत में चलचित्र छविगृहों का पट्टे पर लेना तथा नवीकरण, प्रचार पर छपाई तथा अन्य व्यय आदि के लिए करना होता है ।

(3) रूपक चलचित्र के प्रत्येक प्रिंट के लिए एक लघुचित्र (आर्ट) के आयात करने की भी अनुमति दी जाती है । आयातित लघु चित्रों से पुरमान का 50% अमरीकी चलचित्र निर्यात संस्था के कोटे के आधार पर समायोजित किया जाता है ।

(ग) करार के अन्तर्गत चलचित्रों की खरीद या आयात के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है । गत तीन वर्षों में अमरीकी चलचित्रों के प्रदर्शन करने पर एकत्र हुई कुल राशि तथा भेजी गई राशि निम्नोक्त प्रकार है—

		मूल्य लाख रुपये में
वर्ष	एकत्र हुई राशि	भेजी गई राशि
1967–68	312	10
1968–69	227	38
1969–70	291	25

—जारी

(घ) वर्तमान करार 30 जून, 1971 को समाप्त होता है ।

(ङ) चलचित्रों के सामान्य आयात तथा विशिष्टतः अमरीका से आयात से सम्बंधित नीति

समीक्षाधीन है। यद्यपि भारतीय-चलचित्र निर्यात निगम संस्था के ज्ञापन पत्र के अन्तर्गत फिल्मों का आयात कर सकता है तथापि निगम की स्थापना मुख्यत: भारतीय चलचित्रों का निर्यात विकसित करने के लिए की गई थी।

Shri Shashi Bhnshan : May I know the portion of profit remitted by American Companies to America by the exhibition of their films here ? I also want to khow, whether we also export pictures there and whether earn any profit ? If no profit is earned why not work is given to our national agency instead of American companies who earn lakhs of rupees.

Shri L. N. Mishra : They also import our films as we do. Recently we saw that the films coming from there are not good and have to be censored before acceptance.

So far as the financial aspect of it is Concerned we import more in comparison to our export so for as the qustion of IMPA and public sector is concerned we export only 10 percent through that and the rest through considering private sector and we are to canalise it through Indian films orporation. But the question is that there is no corporation or association in America,only private individuals take them. That is the difficulty before us. We have discussed this matter to find out. If it can be done at the state level. But it seems to be difficult, perhaps American will not be agreeable to this.

Shri Hukam Chand Kachurai : The American films are generally obscence.and vulgar are Government considering to ban their import secondly what steps are being taken to popularise the Indians films ther so that the country may earn more ?

Shri L. N. Mishra : We are constituting a committee to which will examine which film should be imported and which should not be imported. Hon. member will be glad to know that we have earned Rs. 4 Crores instead of Rs. 40 lakhs by the export of our films.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ में निर्वाध व्यापार क्षेत्र बनाया जाना

*811. **श्री पी० के० देव :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में निर्वाध व्यापार क्षेत्र बनाने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) प्रस्तावित निर्वाध व्यापार क्षेत्र, मूल्य तथा मात्रा की दृष्टि से, देश के लिए कहां तक लाभप्रद सिद्ध होगा ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारत में विभिन्न पतनों पर, जिनमें गोआ भी शामिल है, मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं । सरकार यह समझती है कि अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने से पहले कुछ समय तक कांडला पर मुक्त व्यापार क्षेत्र की प्रगति को देखना लाभप्रद होगा ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

रबड़ के आयात पर रोक

*813. **श्री ज्योर्तिमय बसु** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाईसेंसों को रद्द करके अन्य देशों से रबड़ के आयात को रोकने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिये गये । फिर भी, केवल विशेष प्रयोजनों वाले संश्लिष्ट रबड़, जो कि भारत में नहीं बनते, के आयात की अनुमति है ।

(ख) समय-समय पर रबड़ के उत्पादन तथा खपत का पुनरीक्षण किया जाता है और आयातों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते हैं ।

'मदर इण्डिया' के मई, 1971 के अंक में बंगला देश की घटनाओं के बारे में प्रकाशित सम्पादकीय लेख तथा अन्य टिप्पणियां

*815. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के डा० बाबूराव पटेल द्वारा सम्भावित तथा प्रकाशित 'मदर इण्डिया' के मई, 1971 के अंक में बंगला देश की घटनाओं के बारे में पाकिस्तानी बूचर्स एण्ड हिन्दू गोट्स (पाकिस्तानी हत्यारे और हिन्दू भेड़े) शीर्षक से लिखे गये सम्पादकीय और अन्य टिप्पणियों की ओर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) यह जांच की जा रही है कि क्या सम्पादकीय पर कानून के अधीन कार्यवाई की जा सकती है । आपराधिक तथा चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 6 के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा बंगला देश के विषय अथवा पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की समस्या पर कोई लेख प्रकाशित करने के लिए पत्रिका पर दो महीने की अवधि के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी

* 816. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत तथा रूस के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी करार

*820. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रुस के बीच 1971 से 75 तक के लिये व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी कोई पंचवर्षीय करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं और भारत से किन-किन औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) इस करार से कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : **(क) से (ग)**. भारत सरकार तथा सोवियत संघ सरकार के बीच 26 दिसम्बर, 1970 को नई दिल्ली में 1971 से 1975 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए एक नया दीर्घावधि व्यापार करार किया गया । इस व्यापार करार में, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी गई हैं, उन उत्पादों की सूची दी गई है जिनका निर्यात भारत सोवियत संघ को करेगा ।

वर्ष 1971 के दौरान सोवियत संघ को होने वाले भारत के निर्यातों में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह आशा की जाती है कि वृद्धि का लगभग यही स्तर अगले चार वर्षों के दौरान भी बना रहेगा ।

अमरीका को टाट के निर्यात में कमी

822. **श्री राम कंवर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका को टाट के निर्यात में बहुत कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967–68, 1968–69 और 1969–70 के दौरान अमरीका को टाट के निर्यात की कमी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कारण कितना घाटा हुआ और इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को हैसियत के निर्यातों में गिरावट निम्नोक्त प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मे० टन मे)

वर्ष	सद्य पूर्व वर्ष की तुलना में निर्यातों में गिरावट
1967—68	5·4
1968—69	30·3
1969—70	32·3

तीन वर्ष की इस अवधि में सं० रा० अमरीका को हैसियत के निर्यातों में 68,000 मे० टन की गिरावट आई।

निर्यातों में गिरावट निम्नोक्त कारणों से हुई :

(1) पाकिस्तान, जहां निर्यातकों को बोनस बाउचर मिलते हैं, से प्रतिस्पर्धा;

(2) संश्लिष्ट पदार्थों से स्पर्धा और बड़े परिणाम में माल के लदान की पद्धति;

(3) सं० रा० अमरीका में हैसियन के उपभोग में भारी गिरावट;

(4) कच्चे माल की कमी, श्रम अशान्ति आदि के कारण भारत में हैसियन के उत्पादन में गिरावट।

पटसन के समान (जिनमें हैसियन भी शामिल है) के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। 1971–72 मौसम में पटसन और मेस्टा की अच्छी फसल होने की आशा है। पटसन उद्योग में उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है। 1971—72 में निर्यातों के लिये अच्छी संभावनायें हैं।

पंजाब में दलित वर्गों को परेशान किया जाना और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ना

*823. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि अकाली दल के समर्थकों तथा पुलिस द्वारा, दलित वर्ग को सामान्य रुप से और हरिजनों को विशेष रूप से, उनके

लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में अकाली दल के उम्मीदवारों का समर्थन न करने के कारण, आवश्यक रूप से परेशान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हालांकि यह सत्त नहीं है कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है पर सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ विषयों में पंजाब में कानून व व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ग) इन शिकायतों को जांच-पड़ताल और कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है । वास्तव में की गई कार्यवाही राज्य सरकार से मालूम की जा रही है ।

वैज्ञानिकों के साथ योजना मंत्री का विचार विमर्श

*824. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह. बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 5 और 12 जून 1971 को वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । योजना आयोग ने 5 जून तथा 12 जून को वैज्ञानिकों तथा शिल्प वैज्ञानिकों के दो भिन्न पेनलों के साथ बैठकें कीं ।

(ख) वैज्ञानिकों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों ने अगले दशक के लिये विज्ञान तथा टैक्नोलौजी के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करने के लिये कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं । इन्हें योजना के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों से पूर्णतया सम्बद्ध एवं समाहित किया जायेगा । उन्होंने वर्तमान समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में भी, जिनमें शिक्षितों की बेकारी की समस्या भी सम्मिलित है, कुछ सुझाव दिए । योजना का पुनर्मूल्यांकन करते समय इन सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

एशियाई विज्ञापन संस्थान की स्थापना

*825. **श्री बालतन्डयुहम : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस के बारे में 17 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सहित अन्य सदस्य देशों ने एशियाई विज्ञापन संस्थान स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

***सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमति नन्दिनी सतपथी)** : सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस, जो इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी, इंडियन लैंग्वेजेज न्यूजपेपर एसोसिएशन, एडवटइिजिंग एजेन्सीज एसोसिएशन आफ इंडिया और मास्टर प्रिन्टर्ज फैडरेशन आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित की गई थी, ने प्रस्तावित एशियाई विज्ञापन संस्थान के बारे में एक योजना तैयार करने के लिये एक उप.समिति नियुक्त की थी। उप-समिति की बैठक अभी नहीं हुई है, परन्तु उसकी बैठक शीघ्र ही होने की आशा है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी कागजात ले जाने के कारण दो पाकिस्तानी तथा एक भारतीय राष्ट्रिक को अमृतसर में गिरफ्तार किया जाना

* 826. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमृतसर में दो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों तथा एक भारतीय राष्ट्रिक को उस समय गिरफ्तार किया गया जबकि वे प्रतिरक्षा सम्बन्धी कागजातों को उड़ा ले जाने का प्रयास कर रहे थे।

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब की सीमा पर कार्य कर रहे ऐसे गिरोह को खोज निकालने के लिए, जो शत्रु को प्रतिरक्षा सम्बन्धी रहस्य बताने में संलग्न हैं, पूरी जाँच पड़ताल की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क). जिला अमृतसर में दिनांक 25 अप्रैल, 1971 को दो पाकिस्तानियों और एक भारतीय को पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे कुछ अभिशंसी कागजात बरामद किए गये।

(ख) : मामले की जांच की जा रही है।

टेलीवीजन कार्यक्रम के लिये उपग्रह की स्थापना में भारतीय तकनीशियनों का सहयोग

* 830. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में 2 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराबोलिक एन्टेन्ना का रुख भारत के मध्य की ओर रखते हुए उपग्रह का ऐसे स्थान पर छोड़ा जाना संभव है जिससे कि टेलीविजन प्रदर्शनों को भारत में भलिभाँति देखा जा सके;

(ख) भारत सरकार को इस पर कितनी लागत लगानी पड़ेगी; और

(ग) क्या इस परियोजना में भारतीय तकनीशियनों का सहयोग भी होगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु उर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के लिए भूमि पर लगाये जाने वाले उपकरण; जिनमें सामुदायिक टेलीविजन सैट, कार्यक्रमों का प्रेषण करने और उन्हें ग्रहण करने वाले स्टेशन तथा उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण के लिए आवश्यक कार्यक्रम केन्द्र शामिल हैं, पर होने वाला खर्च भारत द्वारा उठाया जायेगा। यह खर्च लगभग 6 करोड़ रुपये होगा।

(ग) जी, हां। कार्यक्रमों को चलाने तथा परीक्षण के लिए भूमि पर लगाये जाने वाले उपकरणों से सम्बन्धित सारा उत्तरदायित्व भारत का ही होगा। उपग्रह का निर्माण करने वाली अमरीका की नैशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिटों के साथ भी भारतीय तकनीशियन सहयोग कर रहे हैं।

महाजन आयोग के प्रतिवेदन का संसद में प्रस्तुत किये जाने पर मैसूर में उपद्रव

* 835. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को पेश किये जाने के बाद मैसूर डाक एवं तार कार्यालयों, रेलवे तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों समेत अन्य प्रकार की सम्पत्ति को भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के कारण कुल कितनी राशि की हानि हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 25 दिसम्बर, 1970 के बाद मैसूर राज्य में हिंसा की घटनाओं में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को हुई क्षति 1,11,200 रुपये की थी।

ाकृतिक रबड़ का उत्पादन

* 837. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष प्राकृतिक रबड़ का कितना उत्पादन होगा;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितने रबड़ का निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) इस वर्ष कितने प्राकृतिक रबड़ का आयात किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1971–72 में 1,00,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का अनुमान है। संभावित निर्यातों का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। फिर भी निर्यातों की सम्भाव्यताओं को पता लगाया जा रहा है।

(ग) प्राकृतिक रबड के ग्रायात की ग्रनुमति नहीं दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल, बिहार ग्रौर केरल में पोटाशियम क्लोराइट की उपलब्धी की जाँच

* 839. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार ग्रौर केरल में जिन साधन से पोटासियम क्लोराइट तथा विस्फोटक बमों का ग्रन्य कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है, उनका पता लगाने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को ग्रधिकार दिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा इस सामग्री का भंडार किन व्यक्तियों के पास है, ग्रौर

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). देश के कुछ भागों में समाज-विरोधी तथा ग्रन्य उग्रपन्थी तत्वों द्वारा ग्रवैध रूप से बनाये गये बम तथा विस्फोटकों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के सिलसिले में पुलिस ग्रनुसंधान विकास के ब्यूरो तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों के सहयोग में वरिष्ठ पुलिस ग्रधिकारियों का एक दल हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों में ग्रवैध निर्माण, बिक्री, रखने इत्यादि सवेत इस समस्या के निरन्तर ग्रध्ययन में लगा हुग्रा है । इनके निष्कर्ष को देखते हुए, जब कभी वे दिये जाते हैं, विस्फोटक पदार्थों समेत इन वस्तुग्रों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण के प्रबन्धों की कमियों को दूर करने हेतु उपयुक्त उपचारकों तथा निरोधक उपाय किये जाते हैं ।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में राज्यों ग्रादि के मुख्य सचिवों का सम्मेलन

3155. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी ग्रौर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समस्याग्रों के बारे में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ग्रौर भारत सरकार के सचिवों के जून, 1970 में हुए सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई;

(ख) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) पंजाब राज्य के ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये संगरूर ग्रौर भटिंडा जिलों में ग्रौद्योगीकरण के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें निर्णय किये गये हैं; ग्रौर

(घ) इन मामलों में पंजाब सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन 26 और 27 जून, 1971 को नई दिल्ली में हुआ था। उक्त सम्मेलन में बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये, प्रशिक्षण योजनाओं सहित विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सम्मेलन में जिन-जिन योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से मुख्य योजनाओं की सूची संलग्न है। इन योजनाओं का कार्यान्वियन 1970—71 में प्रारम्भ किया गया और यह कार्य चौथी योजना की अवधि में चलेगा।

(ग) और (घ) सरकार ने देश भर में लगभग 200 जिले चुने हैं जिनमें पंजाब के भटिन्डा, गुरदासपुर, होशियारपुर और संगरूर जिले भी सम्मिलित हैं। इन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। लोक वित्तीय अनुदेशों में रियायतें दी जायेंगी जैसे की ब्याज की न्यूनतम दर, रुपया लौटाने की अवधि का और लम्बी किया जाना, पहली किस्त चुकाने के लिये समय का बढ़ाया जाना तथा सेवा प्रभारों में कमी किया जाना। इन रियायतों से इन जिलों में औद्योगिक विकास तेज गति से होने की संभावना है। पंजाब राज्य के होशियारपुर समेत कतिपय जिले उक्त जिलों में शुरू हुए नये उद्योग धन्धों के लिए 50 लाख रुपये तक के कुल नियत पूंजीगत निवेश पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के लिये भी चुने गये हैं।

विवरण

26 और 27 जून 1970 को आयोजित राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में विचार-विमर्श की गई मुख्य योजनाओं की सूची

1. छोटे किसानों की स्कीमों का संगठन और ग्रामीण निर्माण-कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. कृषि-सेवा केन्द्र।
3. कृषि सम्बन्धी उधार।
4. बारानी खेती।
5. ग्रामीण बाजारों, सहायक सड़कों, आदि का विकास।
6. छोटे पैमाने के उद्योगों एवं अनुसंगी उद्योग-धंधों का विकास।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार/नवीन पथ-प्रदर्शन।
8. जीविका सम्बन्धी सलाह देना और व्यावसायिक मार्ग-दर्शन।
9. रोजगार और जन-शक्ति प्रशासन के लिए राज्य मशीनरी।

विदेशियों के चाय बागानों की बिक्री

3456. **श्री रोबीन ककोटी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार योरोपीय समवायों ने आसाम और पश्चिमी बंगाल के भारतीय समवायों को कितने चाय बागान बेचे हैं तथा इन चाय बागानों का अलग-अलग मूल्य क्या है; और

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा का लेन देन हुआ ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 31 मार्च, 1971 को समाप्त विगत तीन वर्ष की अवधि के दौरान विदेशी प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित आसाम व पश्चिमी बंगाल के 20 चाय बागान 324·92 लाख रुपये के कुल मूल्य पर भारतीय प्रतिष्ठानों के हाथ बेचने की अनुमति दी जा चुकी है । निम्नलिखित सारणी में वर्षवार आंकड़े दिये गये हैं :—

	1968—69		1969—70		1970—71	
	आसाम	पश्चिमी बंगाल	आसाम	पश्चिमी बंगाल	आसाम	पश्चिमी बंगाल
उन चाय बागानों की संख्या जिन्हें बेचने की अनुमति दी गई ।	2	1	8	—	8	
जिस मूल्य पर बेचने की अनुमति दी गई ।	46·00	2·25	152·51	–	113·05	11·11
	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये

इसके अन्तर्गत अप्रैल, 1971 में बेचा गया आसाम का एक चाय बागान, जिसका मूल्य 11·50, लाख रुपये है, शामिल नहीं है ।

(ख) बिक्री से प्राप्त आय में से 200 लाख रु० से कुछ अधिक राशि स्वदेश भेजने की अनुमति दी गई है ।

Telephone Facilities In the East.Nimar And Hoshangabad Districts

3457 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state.

(a) Whether any survey has been carried out in some villages in East Nimar and Hoshangabad Districts in Madhya Pradesh for providing telephone facilities to the people of the said areas;

(b) If so. the names of these villages and when the survey was carried out; and

(c) Whether Government propose to set up a Telephone Exchange in the area covering those villages ?

The Minister of Communications (Shri **H. N. Bahuguna**) : (a) During last three years proposal for opening of 3 Public call offices in Hoshangabad District and 4 Public call offices in East Nimar District were examined.

(b) The names of villages for which proposal for opening of public call office were examined are as follows :

Hoshangabad District

1. Charuwa
2. Matkuli
3. Umardha

East-Nimar Distrjct

1. Jawar
2. Chhegaon
3. Baldi
4. Nimbala

(c) There is no proposal to set up telephone exchange in area covered by above noted villages. However, one public Call Office has been opened in Chhegaon in East-Nimar District and there is a proposal to convert the Public Call Office in Babai in Hoshangabad District into a small Auto Exchange. At present there are 13 telephone Exchanges and 3 Public Call Offices working in Hoshangabad District and 6 telephone exchanges and 3 Public Call Offices working in East Nimar District.

Telephone Connections in Hoshangabad And East Nimar Districts Of Madhya Pradesh

3458. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) The total number of telephone connections in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh;

(b) The number of applications for telephone connections pending with Government as on the 30th April. 1971; and

(c) The action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (**Shri H. N. Bahuguna**) :

(a) Hoshangabad District,	786
East Nimar District	852
(b) Hoshangabad District	59
East Nimar District	61

(c) The pending demands are being progressively met depending on availability of exchange capacity and other essential items of line materials, etc.

Purchase of Exportable goods from MadhyaPradesh

3459. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether any policy has been laid down to purchase certain percentage of exportable goods from Madhya Pradesh; and

(b) If not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) The export trade is mainly in the private sector. Public sector agencies also take part in the export trade but their purchases for exports are made from all over the country on nomal commercial considerations.

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली को मान्यता

3460. **श्री सिद्दया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली ने मान्यता के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या मान्यता दे दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): **(क) तथा (ख)**. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली ने मार्च अप्रैल, 1970 में गृह मन्त्रालय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों केलिए प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में इसे एक सेवा संघ के संघ के रूप में मान्यता देने के लिए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के प्रयोजन से इसका नाम मान्यता प्राप्त संघों की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) संघ को सूचित कर दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के जाति, जन जाति या धर्म के आधार पर बने किसी संघ को मान्यता देना सम्भव नहीं था । संघ यह भी सूचित कर दिया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विज्ञापन हेतु पहले से विद्यमान प्रबन्धों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संघों की सूची में और अधिक न जोड़ने

का सरकार द्वारा निश्चय किया गया है संघ को यह भी सलाह दी गई थी कि यदि इस मामले में यह अपने सदस्यों की सहायता करना चाहे तो, यह इस सम्बन्ध में जारी किए गए समाचार पत्रों के विज्ञापनों में निर्दिष्ट करके ऐसा कर सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कर्त्तव्यों को सीमित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझाव

3461. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कर्त्तव्यों को सीमित करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों का विरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). अभी तक सब राज्य सरकारों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं। हां, कुछ राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं; उन पर विचार किया जा रहा है। अतः इस समय उन्हें प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

आकाशवाणी के सहायक केन्द्र

3462. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के ऐसे सहायक केन्द्रों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनमें तीनों प्रकार के ट्रांसमिशन की व्यवस्था हो और वहीं पर तैयार किये गये कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता हो;

(ख) रिकार्ड किये गये संगीत (ग्रामोफोन रिकार्डों) के अतिरिक्त इन कार्यक्रमों की अवधि कितनी होती है;

(ग) कितने केन्द्रों में देहाती कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं और युवकों के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इन सभी केन्द्रों पर कार्यक्रम तैयार करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और उनका नेतृत्व एक सहायक निर्देशक करता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी) : (क). पांच अर्थात्, सिलीगुड़ी, अगरतला, विशाखापत्नम, बीकानेर तथा सम्बलपुर। बीकानेर के सिवाय शेष सभी सहायक केन्द्र मूल रूप से कुछ स्थानीय कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं।

(ख) : सिलीगुड़ी	—	30 मिनट
अगरतला	—	60 मिनट
विशाखापत्नम	—	90 मिनट
सम्बलपुर	—	80 मिनट

(ग) दो, अर्थात् अगरतला तथा सम्बलपुर । ये मूल रूप से ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । सम्बलपुर केन्द्र कटक केन्द्र के युवकों के कार्यक्रम भी रिले करता है ।

(घ) सिलीगुड़ी तथा बीकानेर के सिवाय शेष सभी केन्द्रों के प्रमुख, कार्यक्रम तैयार करने वाले आवश्यक कर्मचारियों से साहाय्यित सहायक केन्द्र निदेशक है ।

कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण

3463. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 महीने से अधिक समय पूर्व सरकार ने निर्णय किया था कि कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण आरम्भ किये जायेंगे और कुछ कार्यक्रम वहीं पर तैयार किए जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने में क्या बाधाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क). जी. हां ।

(ख) मार्ग में कोई बाधा नहीं है, सिवाए इसके कि पदों को मंजूर करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया में समय लगता है, विशेषकर गैर-योजना पदों को बनाने पर सामान्य प्रतिबन्ध के सन्दर्भ में ।

स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसर

3465. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोड्यूसर वरिष्ठ अनाउन्सर प्रोडक्शन असिस्टैन्ट आदि जैसे स्टाफ आर्टिस्टों वरिष्ठ पदों में भी स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है;

(ख) क्या स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नती के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क). प्रत्येक

स्टाफ आर्टिस्ट को विशिष्ट पद के लिए ठेके पर नियुक्त किया जाता है तथा नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह उच्चतर पद पर उनकी पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता । तथापि, बहुत से मामलों में निचले पदों पर काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्ट, उच्चतर पदों पर नये ठेकों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह विचाराधीन है ।

नासिक जिला, (महाराष्ट्र) में टेलीफोन कनेक्शन

3466. **श्री काहनडोल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक जिले (महाराष्ट्र) के चौदौर, सतना और कलवान क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग बढ़ती जा रही है और वहां के लोगों द्वारा विभाग के आदेशानुसार आपेक्षित राशि जमा कराने के बावजूद भी नए कनेक्शन शीघ्र नहीं दिये जा रहे हैं; और

(ख) क्या कलवान और चौदौर में एक अलग टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मांग है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) चौदोर, सतना और कलवान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए क्रमश: 15, 12 और 24 आवेदन बकाया हैं । राशि जमा कराये जाने के बाद कनेक्शन देने में अनावश्यक विलम्ब के कोई मामले नहीं हैं ।

(ख) जी हां, वर्तमान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के स्थान पर कलवान और चौदौर में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की मांग रखी गई है ।

कलवान में 25 लाइनों का एक लघु स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है । चौदौर में एक 25 लाइनों का लघु स्वचल एक्सचेंज खोलने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का ट्राम्बे से मद्रास स्थानान्तरण किया जाना

3467. **श्री काहनडोल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे के कुछ अनुभाग मद्रास को स्थानान्तरित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है ।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) के (ग). तामिलनाडु में कलपक्कम के समीप एक रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें लगा एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर परीक्षण करने का मुख्य

सुविधा सिद्ध होगा। रिऐक्टर के निर्माण का कार्य निकट भविष्य में शुरू किये जाने की आशा है। रिऐक्टर के निर्माण का उत्तरदायित्व जिस फास्ट रिऐक्टर वर्ग का है तथा जो आजकल ट्राम्बे में कार्य कर रहा है, उसके कर्मचारी योजनानुसार रिऐक्टर शोध केन्द्र के निर्माण के लिये चुने गये स्थान को स्थानान्तरित किये जायेंगे।

राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या करने के लिए गुंडों के किराये पर लिये जाने के बारे में श्री ज्योतिबसु का कथित वक्तव्य

3468. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की जानकारी है कि भारत सरकार (गृह मन्त्रालय) के सहायक गुप्तचर विभाग (एस० आई० बी०) के निदेशक ने 12 मारियाहाट रोड, कलकत्ता से उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, कलकत्ता 3 अप्रैल, 1971 को इस आशय का एक परमगुप्त ज्ञापन भेजा था जिसमें यन को बताया गया था कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) कुछ राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या करने के लिये गुण्डों को किराये पर ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में ज्योति बसु द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है। राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ पूरी तरह सम्पर्क रखना तथा समय-समय पर लोक व्यवस्था बनाये रखने के हित में आवश्यक सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान करना केन्द्रीय आसूचना विभाग का कार्य है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। किन्तु श्री ज्योति बसु के वक्तव्य में निहित आक्षेप निराधार है।

नायलोन के धागे के मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

3469. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : **श्री सतपाल कपूर** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** नायलोन के धागे के मूल्यों के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 31 मार्च, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नायलोन धागे के मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रतिवेदन पर अभी भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर में पाकिस्तानी मार्कों से युक्त गोलाबारूद का पाया जाना

3470. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काश्मीर में अलफतह के संचालन मुख्यालय के निकट भारी मात्रा में पाकिस्तानी मार्कों से युक्त गोलाबारूद तथा अभिशंसी कागजात दबे हुए पाये गए और इस बारे में काफी प्रमाण मिले हैं कि घाटी के कुछ भागों में तोड़-फोड़ करने वालों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे थे;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जम्मू व काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 1971 के मध्य में तथाकथित 'अल फतह' के कक्ष का पता लगने के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी चिन्ह के कुछ हथियार व गोलाबारूद और कुछ कागजात अनन्तनाग जिले के बरसू गांव के समीप उनके मुख्यालय और श्री नगर शहर के अन्य स्थानों से बरामद किये गये हैं। इस कक्ष के व्यक्तियों ने एक बार हाका खाल (जिला श्रीनगर में रैथन बदगाम क्षेत्र) नामक बन में घाटी के पश्चिम भाग में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया था ।

(ख) इस प्रकार बरामद किये गये हथियार, गोला-बारूद और कागजात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एक रिवाल्वर

एक पिस्तोल

सात हथगोले

बारह कारतूस

स्फोटकों समेत पांच जिलेटिन रोड

$\frac{1}{4}$ कि० ग्राम पोटैशियम परमैंगनेट

$\frac{1}{4}$ कि० ग्राम पीली गन्धक

एक हिन्दी में सेना प्रशिक्षण पुस्तक

दो अंग्रेजी में सेना प्रशिक्षण पुस्तकें

केन्द्रीय जेल श्रीनगर के हाथ के बने नक्शे ।

पर्यटक नक्शे, और

वाउचर

(ग) मामले दर्ज किये गये हैं और जाँच की जा रही है ।

दिल्ली में विभिन्न थानों पर पुलिस कर्मचारियों का तैनात किया जाना

3471. **श्री मुहम्मद शरीफ : श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली के विभिन्न थानों में स्थानान्तरित करवाने के लिये वरिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों को कुछ राशि देनी पड़ती है,

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) राजधानी में इस प्रकार की घूसखोरी बन्द करने और इन संवेगों में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

3472. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बहुत से कर्मचारी ए० वी० बी० कालोनी, दुर्गापुर में स्थायी रूप से तैनात किये गये हैं और कम्पनी द्वारा दिये गये शानदार क्वार्टरों में रह रहे हैं, और

(ख) ए० वी० बी० फैक्ट्री के अहाते में से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को वापिस बुलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) . पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उनके द्वारा ए० वी० बी० कालोनी, दुर्गापुर में कानून व व्यवस्था के कार्यो के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लगभग 50 कर्मचारियों को तैनात किया गया है । राज्य सरकार ने उन्हें कालोनी के असज्जित होस्टल में ठहराया है । स्थिति के अनुकूल होते ही उन्हें हटा लिया जायेगा ।

Contribution by Private Sector in the Field of Research During 1969-70.

3473. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state

(a) Whether the Committee on science & Technology has recently reported that in the absence of a central organisation, balanced progress is not being made in this field

and only 9% of the total amount of 139 crores rupees incurred on the research work during 1969-70 has been contributed by the private sector; and (b) if so, the reaction of Government thereto?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Out of a total Rs. 136 crores spent during 1969-70 on Research & Development activity, Rs. 8 crores i. e. 6% was spent by the private sector industry. The report also indicates that we are perhaps not spending as much as we should in certain areas such as investigation, exploitation and conservation of natural resources and in research support to Universities.

(b) The report has been discussed at a Confernce of scientists and Technologists held in November, 1970, and some recommendations were made. These recommendations along with the suggestions of cost will be considered by Government shortly.

स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में धोखाधड़ी के मामले की जांच के परिणाम

3474. **महाराजा मार्तण्ड सिंह : श्री मुहम्मद शरीफ : श्री फतह सिंह राव गायकवाड :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को 60 लाख रुपये का धोखा देने के प्रयास की जांच अब पूरी करली गई है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) जाँच कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). बैंक के मुख्य खजांची की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में दिनाँक 24-5-1971 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/419/420 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त श्री आर० एस० नागरवाला को सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है और दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 और 420 के अन्तर्गत अलग-अलग अपराधों के लिये प्रत्येक में 2,000 रुपये का अर्थ दण्ड दिया गया, है। जूर्माने का भुगतान न करने पर प्रत्येक अभियोग के लिये छः छः महीने का कठोर कारावास उसे और भुगतना है। ये दण्ड साथ-साथ चलेंगे। बैंक के मुख्य खजांची को निलम्बित किया गया है। उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत किए गये अपराध के लिए दिनांक 29-5-1971 को गिरफ्तार किया गया था और मामले के इस भाग की जांच की जा रही है।

दिल्ली, नई दिल्ली और रामकृष्णपुरम स्थित सरकारी खजानों में गबन

3475. **श्री नुग्घली शिवप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खजाना अधिकारियों की अनुभवहीनता और उपेक्षा के कारण दिल्ली, नई दिल्ली और रामाकृष्णपुरम स्थित सरकारी खजानों में क्रमशः 13,000 रुपये, 1,20,000 रुपये और 14,000 रुपये का गबन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है और विशेषज्ञों ने रिपोर्टों की जांच की है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली के खजानों में गबन के कुछ मामले ध्यान में आये हैं। खजानों के नाम तथा गबन की गई रकमें इस प्रकार हैं :—

(i) रामकृष्णपुरम खजाना	12,598.15 रुपये
(ii) नई दिल्ली खजाना	1,19,311.34 रुपये
(iii) दिल्ली खजाना (क)	60,883,95 रुपये
	(लेखा परीक्षा आंकड़ों के अनुसार)
दिल्ली खजाना (ख)	789·90 रुपये

इन सूचित गबनों की जांच-पड़ताल भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श में की जा रही है। इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या गबन सम्बन्धित खजाना अधिकारियों की अनुभवहीनता और उपेक्षा के कारण हुए।

पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमाओं का बन्द किया जाना

3476. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना कुछ क्षेत्रों में सीमाओं को बन्द होने के भारी प्रयत्न करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). पूर्वी बंगाल में पुन: नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्टा में पाकिस्तानी सेना सभी बाह्य सीमा चौकियों में सेना के कर्मचारियों को तैनात करने का प्रयत्न कर रही है। फिर भी, इससे शरणार्थियों का आगमन, जो पूर्वी बंगाल में फैलाये जा रहे आंतक के कारण वहां से भाग रहे हैं, बन्द नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि सीमा पर आना जाना बन्द नहीं हुआ है।

भारत पाक सीमा पर हानि उठाने वाले पीडितों को मुआवजा

3477. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री बृजराज सिंह-कोटा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाक सीमा पर जिन लोगों के पशुओं को डाकू बलात ले गये थे, क्या सरकार ने उन पीड़ितों को मुआवजा दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). ऐसे सभी मामलों में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी अधिकारियों से विरोध प्रकट किया जाता है और उनसे मुआवजा भी मांगा जाता है। भूमि नियमों (ग्राउंड रुल्स) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों तथा उसी स्तर के पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच सामयिक शांति वार्ता (फ्लेग मिटिंग) की जाती है जिसमें चोरी किए गए मवेशियों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने के लिए उनकी वापसी की मांग की जाती है। किन्तु पीड़ित व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मंत्रियों तथा राजनीतिक नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में संथानम समिति की सिफारिशें

3478. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों तथा राजनीतिक नेताओं के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों से निपटने के लिए संथानम समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) क्या उन सिफारिशों को समस्त भारत में लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). संथानम समिति द्वारा दी गई सिफारिशें उनके द्वारा अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में दी गई हैं जो कि लोक सभा के पटल पर रख दी गई थीं।

समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रियों विधायकों तथा राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में आचार संहिता बनाई जा सकती हैं। मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई थी और जो लोक सभा के पटल पर भी रखी गई थी।

विधायकों तथा राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में आचार संहितायें तैयार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

आम के उत्पादों के लिये विदेशी बाजारों की खोज

3479. **श्री दिनेश जोरदार :**　　**श्री बी० आर० शुक्ल :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आम के बहुल उत्पादन को कोई वाणिज्यिक महत्व देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा कमाने के लिये आम और आम से बने पदार्थों के परिक्षण के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने ग्राम के उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों की खोज की है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में ग्राम निर्यात किये गये और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) देश में फल साबित करने के लिए सुस्थापित उद्योग विद्यमान है ।

(ग) जी हां ।

(घ) ग्रामों का निर्यात अधिकांशत: कुवैत, ब्रिटेन, बहरीन तथा कतार को किया गया । वर्ष 1969—70 में 29·64 लाख रु० के निर्यात हुए ।

पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुमोदनार्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक संशोधन का प्रारूप प्राप्त होना

3480. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिमी बंगाल सरकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन का मसौदा प्राप्त हुआ है जिसे वह सरकार अध्यादेश द्वारा पश्चिमी बंगाल के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करना चाहती है ताकि उन्हें कारखानों को बन्द करने के लिए सरकार को कम से कम 60 दिन का नोटिस देना पड़े;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संशोधन को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय सरकारी, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में भी ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अध्यादेश का प्रारूप विचाराधीन है ।

(ग) इस प्रकार का प्रस्ताव किसी अन्य राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है और केन्द्रीय सरकार के नियोजन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय में प्रशिक्षक

3481 **श्री था० किरुतिनन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार । दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये इस समय 18 प्रतिशत कोटा सुरक्षित रखा जाता है; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्ति नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय, दिल्ली में प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा । होम गार्ड अधिकारी और जिला

स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके नाम, अर्हताएं, वेतनमान क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : **(क)**. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रिक्तियों का कोटा क्रमश: 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत है, न कि 18 प्रतिशत और जैसा कि सिविल सुरक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है, तदनुसार रिक्तियां सुरक्षित कर दी गयी हैं ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड निदेशालय, दिल्ली में प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा/होम गार्ड अधिकारी और जिला स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	नाम	पद	वेतनमान	अर्हताएं
1	श्री ज्ञान सिंह	प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा	210–380 रुपये	बी० ए० दो वर्ष तक एन० सी० सी० में प्रशिक्षक । शस्त्र अभ्यास, ड्रिल, पी० टी० हथियार प्रशिक्षण, अग्नि शमन तथा प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण देने में योग्य ।
2	श्री प्रताप सिंह तन्वार	प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा	210–380 रुपये	बी० ए० 16–8–62 से 12–11–68 में सिगनलमैन के रूप में कार्य किया । शस्त्र अभ्यास, ड्रिल, पी० टी० हथियार प्रशिक्षण, अग्नि शमन और प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण देने में योग्य ।

त्रिपुरा में टी० सी० एस० अधिकारियों का स्तर

3482. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सिविल सेवा के अधिकारियों ने यह सिद्ध करने के लिये न्यायालय में मुकदमा दायर किया है कि उनका स्तर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी उचित मांग को पूरा करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

3483. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : **(क) और (ख)**. चालू वर्ष अर्थात् 1971–72 अथवा 1970–71 के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय के अनुमान अभी तैयार नहीं किए गए हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

3484. **श्री माधुर्य हालदर** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण तथा पदोन्नति के मामले में किस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन रियायतों के कार्यान्वयन का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए कोई मशीनरी स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क)** अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 563/71**]

(ख) तथा (ग). भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये सेवाओं के सम्बन्ध में आरक्षण और नियुक्तियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायतें, स्थायीकरण तथा पदोन्नति के बारे में सरकारी आदेशों के कार्यान्वियन किए जाने की यथार्थ रूप से आशा की जाती है । मन्त्रालयों/विभागों के लिए आवश्यक है कि वे आरक्षित रिक्तियों इत्यादि के भरने के सम्बन्ध में समाविष्ट सूचना कार्मिक विभाग को नियतकालिक विवरणों द्वारा भेजें । प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग में उपसचिव स्तर के अधिकारियों के रूप में भी नियुक्त किया गया है जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातिय के लिए रिक्तियों के आरक्षणों और

उन्हें प्राप्त अन्य लाभों के सम्बन्ध में अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों के द्वारा आदेशों तथा अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें मंत्रालयों इत्यादि द्वारा रखे गए आरक्षण रौस्टरों की भी वार्षिक जाँच करने के अधिकार दिये गए हैं, ताकि वे आरक्षण आदेशों का उचित कार्यान्वियन कर सकें। सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती में कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति का भी गठन किया गया है। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए, रियायतों के लिए कार्यान्वियन के सम्बन्ध में नियतकालिक पुनर्विलोकन के लिए अन्य किसी मशीनरी की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

प्रधान मंत्री के चुनाव सम्बन्धी दौरों पर व्यय

3485. **श्री बृजराज सिंह कोटा :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव के दिनों में प्रधान मंत्री के हैलिकोप्टरों और अन्य विमानों द्वारा किये गए दौरों पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की;

(ख) क्या अन्य दलों ने भी इस प्रकार की सुविधाओं की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग). कतिपय विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने सरकार को लिखा था कि विरोधी दलों के नेताओं को भी वही सुविधायें तथा उन्हीं शर्तों पर दी जानी चाहिए जैसा कि चुनाव दौरों में प्रधान मंत्री को दी जाती हैं। उन्हें सूचित कर दिया गया था कि प्रधान मंत्री द्वारा वायुसेना के विमान का प्रयोग कोई नई सुविधा नहीं है और 1952 के आम चुनाव से ही प्रधान मन्त्री के पद से पहले के पदधारी इस सुविधा का उपयोग करते रहे। उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि वह यह सुविधा प्रधान मंत्री को उस पद के पदधारी के रूप में उपलब्ध है न कि शासक दल के नेता के रूप में। अतः किसी दल का इस सुविधा के देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए गुरुजल संयंत्र निर्माण के लिये फ्रांस की सहायता

3486. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ती बिजली के निर्माण के लिए भारत के

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए गुरुजल संयन्त्र निर्माण के लिये सहायता देने को तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो संयन्त्र का स्थान क्या है; और

(ग) उसे पूरा करने के लिए सम्भावित अवधि क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों के लिए भारी पानी की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु काण्डू किस्म के पावर रिऐक्टरों के लिए भारी पानी आवश्यक होता है ।

बड़ौदा तथा तूतीकोरन में जो भारी पानी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनके उपकरणों का अभिकल्पन एवं सम्भरण फ्रांस की फर्मों की एक संघ द्वारा किया जायेगा । इन दोनों संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति फ्रांस से प्राप्त ऋण से की जायेगी ।

(ग) आशा है कि बड़ौदा तथा तूतीकोरन के भारी पानी संयंत्र क्रमशः सन् 1973 तथा 1974/75 म काम करने लगेंगे ।

पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में आसाम और पश्चिम बंगाल में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर नए मोर्चे खोलना

3487. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर दो नए मोर्चे, आसाम में गोपालपाड़ा जिलों में तथा पश्चिम बंगाल में 24 परगना में खोल दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान् । यह कहना सच नहीं होगा कि पूर्वी बंगाल में कार्यवाही करने वाली पाकिस्तानी सेना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई मोर्चे खोले गए हैं; किन्तु उनकी सेना हमारे क्षेत्र में अनेक अवसरों पर अतिक्रमण और घुसपैठ करती रही है और पूर्वी बंगाल में अपने मोर्चों से हमारे क्षेत्र पर गोली चलाती रहीं हैं तथा बम फेंकती रही हैं । 20 मई 1971 को ऐसी दो घटनाएं हुई, एक गोलपाड़ा (असम) सीमा के समीप तथा दूसरी 24-परगना (पश्चिम बंगाल) सीमा के समीप । दोनों अवसरों पर पाकिस्तान सेना ने हमारे क्षेत्र में छोटे हथियारों से गोलियां चलाई तथा गोले फेंके ।

(ख) पश्चिम बंगाल से लगी समस्त सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर लिया गया है और सीमा पार में घुसपैठ करने वाली किसी सेना अथवा बल को खदेड़ने और दूसरी ओर से बमों अथवा गोलीयों का कारगर रूप से उत्तर देने के लिए भी अनुदेश दे दिए

गए हैं। ऐसे सभी मामले में इन घटनाओं के परिणामस्वरूप जन, धन तथा घायलों की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए विरोध प्रकट किया गया है।

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप भारत की जन तथा धन की हानि

3488. **राजमाता कृष्णाकुमारी जोधपुर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, भारत को जन तथा धन के रूप में कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) राजस्थान के सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में और भी अधिक सुरक्षा की भावना पैदा करने को दृष्टि में रखते हुए सीमा पर होने वाली मुठभेडों पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क). शून्य।

(ख) सीमा पर सीमा सुरक्षा दल सतर्क है और सीमा पार से किसी अतिक्रमण अथवा आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कड़ी कार्यवाही करेगी।

Setting up of Tusser Research Sub centres

3489. **Shri Narendra Singh Bist** :Will the **Minister of Foreign trade** be pleased to state;

(a) Whether Government have formulated a scheme for the breeding of tusser (silk) worms on the oak (Banj) trees in the country;

(b) If so, whether Government have set up three tusser research Sub-Centres at Ranikhet, (District Almora in Uttar Pradesh), Batote (Jammu and Kashmir) and Imphal (Manipur) for the purpose;

(c) Whether Government propose to set up such research Sub.Centres at other places also in Utterakhand in view of the vast resources of oak trees available there; and

(d) If so, the main features of the proposal.

The deputy Minister in the Ministry of foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and **(b)** Yes, Sir

(c) The question of setting up additional stations would be considered in the light or results achieved at the Sub-stations already established,

(d) **Does not arise.**

विदेशी कम्पनियों को टेलीवीजन सैटों के निर्माण करने की स्वीकृति देना

3490. **श्री निहार लास्कर :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या :**प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के टेलीवीजन निर्माताओं ने सरकार के विदेशी कम्पनियों को कारखाने लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके विरोध के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उन्होंने सरकार से टेलीवीजन सैटों के आयात पर रोक लगाने के लिये भी अनुरोध किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) तथा (ख) . नये टेलीवीजन केन्द्रों के खुलने पर जो मांग बढ़ेगी, उसी की अतिरिक्त क्षमता के हेतु लाइसेंस देने के लिए सभी कोटि के निर्माताओं से आवेदन-पत्र माँगे गये थे । इन आवेदन-पत्रों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

वर्तमान निर्माताओं ने इस बात पर भी बल दिया है कि किसी भी विदेशी कम्पनी को भारत में टेलीविजन सैटों के निर्माण की अनुमति न दी जाय । उन्होंने यह भी कहा है कि विदेशी छाप के नामों का भार उन टेलीविजन सैटों की बिक्री पर प्रतिकूल पड़ेगा जो देशी-ज्ञान के आधार पर तैयार किये जाते हैं ।

सरकार इस विषय में प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुसार ही निर्णय करेगी तथा व्यापक राष्ट्रीय-हित के सगत तथ्यों को भी ध्यान में रखेगी ।

(ख) टेलीविजन सैटों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । तथापि, विदेशों में भारतीय पर्यटक अपने साथ टेलीविजन सैटों को चैलेंज नियमों के अन्तर्गत सामान के रूप में ला सकते हैं । निर्माताओं से यह भी अनुरोध किया है कि टेलीविजन सैटों का नाम उन विषय-सूची में से हटा दिया जाय जो बैरेज नियमों के अन्तर्गत आती है । यह मामला भी विचाराधीन है ।

मिनर्वा तथा मैसूरी सूती मिलों को पुनः खोलना

3491. **श्री बी० के० मोदक** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने, बन्द पड़ी मिनर्वा तथा मैसूर काटन मिलों को पुनः चालू करने के लिए उनके मालिकों को 20 लाख रुपये देने का निश्चय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये मिलें कुप्रबन्ध के कारण बन्द हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इन मिलों को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के स्थान पर इनको अनु-

दान देने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रामपुरिया काटन मिल से रामपुर (पश्चिम बंगाल) का बन्द किया जाना

3492. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में रामपुरिया काटेन मिल के बन्द किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या उसे अपने अधिकार में लेने की सरकार की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 1800 श्रमिक ।

(ग) तथा (घ) : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है । फिर भी, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इसके मामलों की जाँच करने के आदेश दिये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

नकली बालो की फैक्टरियों के स्थान

3493. **श्री डी० के० पंडा** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नकली बाल बनाने वाली बड़ी फैक्टरियों के केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन फैक्टरियों के मालिकों के क्या नाम हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री(श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . भारत में केवल एक ही संगठित फैक्टरी है । यह मद्रास में स्थित है और उसका प्रबन्ध भारतीय राज्य व्यापार निगम सीमित करता है ।

Manufacture of T. V. Sets

3494. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state.

(a) The names of States Where Television sets are being manufactured;

(b) The names of places where manufacture of Television sets is likely to be started during the next three years; and

(c) The total number of sets likely to be manufactured during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Uttar Pradesh, Maharashtra and the Union Territory of Delhi.

(b) In order to meet the total requirement of Television sets afte television stations are established during the Fourth Five Year Plan period, applications were invited from all categories of manufacturers. All these applications are under consideration; and the places where manufacture of television sets would start during the next three years would depend upon which applications are approved.

(c) It has been estimated that by the last year of the Fourth Plan the annual requirement for television sets would be about 2 lakhs. The production is expected to increase gradually from year to year as the demand increases with the setting up of one new television stations.

क्विलोन में टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र

3495. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के क्विलोन जिले में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 2856

(ख) 1075

(ग) प्रतीक्षा-सूची में जिन आवेदनकर्ताओं के नाम हैं; वे क्विलौन जिले के 28 एक्सचेंजों के हैं। एक्सचेंज क्षमता और अन्य आवश्यक लाइन सामग्री आदि के उपलब्ध होने पर उनकी मांगें उत्तरोत्तर पूरी की जा रही है।

Shortage of Post Offices in Pauri Garhwal

3496. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state.

(a) Whether there is an acute shortage of Post Offices in Pauri Garhwal District in Uttar Pradesh keeping in view the population and area thereof;

(b) Whether there is no Post Office even within a radius of several miles in the said District; and

(c) Whether Government propose to open more Post Offices in the said District ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) This does not appear to be so. A post office in Pauri Garhwal District serves, on an average, an area of 19 sq. Kms. and population of 1710 compared to an area of 22·5 sq. Kms and a popu-

lation of 5629 in Uttar Pradesh as a whole and area of 27. 64 sq. Kms .and a population of 4027 in the country as a whole.

(b) The average radial distance from one Post Office to another in Pauri Garhwal District i s 4..4 Kms.

(c) It is proposed to open 10 Post Offices in 1971-72, 8 Post Offices in 1972-73 and 7 Post Offices in 1973-74

फलों का निर्यात

3497. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान किन-किन फलों का विदेशों को निर्यात किया गया; और

(ख) इससे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का देश वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) , अप्रैल-दिसम्बर, 1970 की अवधि के दौरान भारत से विभिन्न फलों का देशवार निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 564/71**] 1970-71 के पूरे वर्ष के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

तेलंगाना समस्या का समाधान

3498. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष मई, 1971 में प्रधान मन्त्री और अन्य केन्द्रीय नेताओं के साथ तेलंगाना समस्या पर बातचीत करने के लिए दिल्ली आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई हल ढूंढ लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या का हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कार्यवाहीं किये जाने कि सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) . वार्तायें विचारों के आदान प्रदान करने के स्वरूप की थीं जो समय-समय पर होता रहा है। कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकले किन्तु और आगे विचार-विनिमय जारी रहेगा।

कपड़े के निर्यात में कमी

3499. **श्री पी० के० देव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1970 और जनवरी, 1971 के दौरान कपड़े के निर्यात में 4 करोड़ रुपये से अधिक की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किन-किन देशों को इसका निर्यात कम हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समवर्ती अवधि के सूती कपड़े के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सूती वस्त्रों के निर्यातों में गिरावट के कारण और किये गये उपाय

स्वदेशी रूई की अपर्याप्ता प्राप्यता और ऊंचे मूल्यों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग की पुरानी मशीनों के कारण भारी रूपान्तरण लागत से विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) रुई की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिये भंडार का कठोर विनियम नियंत्रण तथा अन्य व्यापारिक सुविधायें।

(2) विदेशी रुई के भारी परिमाण में आयात की व्यवस्था।

(3) नियतिक मिलों को विदेशी रुई का आवंटन।

(4) नियतिक मिलों का आधुनिकीकरण और आवश्यक होने पर मशीनों के आयात की अनुमति देना।

उन देशों के नाम जिनको किए जाने वाले निर्यातों में गिरावट आई है

बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब गणराज्य, फ्रांस, ब्रिटेन, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, अन्य पूर्व यूरोपीय देश तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

गत तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन

अप्रैल, 1968 से जनवरी, 1969	8262·4 लाख रु०
अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970	9298·7 ,, ,,
अप्रैल, 1970 से जनवरी, 1971 (अनुमानित)	8865·5 ,, ,,

पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को निर्यात

3500. **श्री पी० के० देव :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष

1968–69, 1969–70 और 1970–71 के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन जनवादी गणराज्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की मात्रा कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1968–69, 1969–70 और 1970–71 (केवल प्रथम आठ महीने) के दौरान भारत से जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को हुए प्रत्यक्ष निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

इन देशों को हुए अप्रत्यक्ष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

1968–69 से 1970–71 (नवम्बर, 1970 तक) के दौरान भारत से जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को हुए प्रत्यक्ष निर्यात (जिनमें पुनर्निर्यात भी शामिल है)

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	जर्मन संघीय गणराज्य	जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य
1968–69	2650	1984
1969–70	2989	2003
1970–71 (नवम्बर, 70 तक)	2220	1632

दक्षिण में कपड़ा मिलों का बन्द होना

3501. **श्री पी० के० देव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में स्थित कपड़ा उद्योग को गम्भीर प्रकार के नये संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक कपड़ा मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये इस बारे में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Slow progress in Census operation in Bihar

3502. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that the work of census operation in Bihar is being conducted at a very slow pace; and

(b) If so, the steps being taken by Government to expedite the census work in Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a). It is not correct to say that census operations in Bihar being conducted at a very slow pace,

(b) Does not arise.

Government Accomodation for Employees of G. P. O. and Telephone Exchange, Motihari (Bihar)

3503. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether housing facilities have been provided to all the employees of the General Post office and Telephone Exchange, Motihari in Bihar;

(b) If so, the total number of the employees, category-wise and the number of those among them, who reside in the Departmental Government quarters;

(c) Whether Government have considered any proposal to construct quarters for the said employees who have not yet been provided any Government accommodation; and

(d) if not, the reasons for delay in the construction of the quarters and the difficulties being encountered by Government in this regard?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) There are 54, 82 and 30 members of staff belonging to paygroups entitled to Type I, Type II and Type III quarters respectively. The departmental quarters available to them are, 1,14 and 5 respectively.

(c) Yes, Sir. There is a proposal to construct 16 Nos. of Type I and 12 Type II additional quarters at Motihari. The plans are under preparation for above.

(d) Does not arise.

Defect in Motipur Telephone Exchange.

3504. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether on account of major defect in the Motipur Telephone Exchange in Muzzafarpur District (Bihar) and seven Public Call Offices located in the adjoining areas during the last week of May, 1971, the puople were put to great inconvenience for a period of more than seven days ;

(b) If so, the persons responsible therefor, and

(c) Whether Government have made any enquiry as to whether the exchange did not function due to some mechanical defects or otherwise ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a, b and c) No Sir. There was no major defect in the Motipur Telephone Exchange or in the trunk line during the last week of May, 1971.

There were frequent and long power failures in Motipur. Due to this, the battery

got discharged and could not cope with the exchange load during the power failures. The exchange therefore did not function during these periods of power failures.

Only on one occasion the Exchange failed due to equipment fault on the 26th of May 71 at 10·30 hrs. The mechanic from Muzzafarpur moved to Motipur and the exchange was set right on the 27th May 71 at 0715 hours. Except for this fault there was no other fault in equipment in the last week of May 71.

The exchange failures during the last week of May 1971 are as followes :

Date	Time fault	Time put right	Reason of failure.
24.5.71	2040 hrs.	1020 hrs of 25.5.71	Power failure
25.5.71	1315 hrs.	1425 hrs.	—do—
26.5.71	1030 hrs.	0715 of 27 5.71	Fault in exchange equipment.
28.5.71	1300	1830	Power falure
31.5.71	1100	1505	Power failure

दिल्ली प्रशासन के स्थायी घोषित किए गए कर्मचारियों को सुविधाएं

3505. **श्री सत्यपाल कपूर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 22 जुलाई 1965 के कार्यालय आदेश संख्या 515 द्वारा अपने कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया था, जिनमें कुछ अनुसूचित जाति के कर्मचारी भी शामिल थे, और

(ख) क्या अनुसूचित जाति के इन कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के 12 सितम्बर 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/28/68 इस्टाब्लिसमेंट (एस० सी० टी०) के अनुसार बार-बार आदेश जारी करने और केन्द्रशासित क्षेत्रों के कर्मचारियों की सुविधाओं के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2885 के उत्तर में सदन में दिए गए आश्वासन के बावजूद भी गृह मंत्रालय के 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9।11।65–आर० पी० एस० और 20 अप्रैल 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/45/60–इस्टाब्लिशमेंट (डी) के उपबन्धों के अन्तर्गत सुविधाएं नहीं दी गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा). (क) तथा (ख). दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना माँगी गई है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की वरीयता सूची

3506. **श्री सत्यपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 10 फरवरी, 1967 से दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ कार्यालय कार्यपालिका नियम 1967 लागू किये थे,

(ख) क्या किसी भी ग्रेड में अन्तिम वरीयता सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन के अनुसार ग्रेड I तथा II (लिपिक वर्गीय) और ग्रेड I तथा IV (कार्यकारी) की वरीयता सूचियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । ग्रेड III (कार्यकारी) के बारे में अन्तिम वरीयता सूची के शीघ्र जारी किये जाने की आशा है । ग्रेड III तथा IV लिपिक वर्गीय) तथा ग्रेड II (कार्यकारी) की वरीयता सूचियों के बारे में जो आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर किया जा रहा है ।

बजट प्रस्तावों का निर्यात पर प्रभाव

3507. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72 के बजट प्रस्तावों का भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है,

(ख) वित्त विधेयक में उल्लिखित विभिन्न करों के परिणामस्वरूप निर्यात वाली वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि करों के कारण निर्यात को हानि न पहुंचे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). निर्यात क्षेत्र वाली वस्तुओं की कीमतों पर बजट में घोषित करों से पड़े प्रभाव का इतनी जल्दी अनुमान लगाना संभव नहीं है । तथापि, निर्यातकों को आयात शुल्कों और उत्पादन-करों दोनों के संबन्ध में ही कर वापसी की सुविधा उपलब्ध है । उस सीमा तक, इन करों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके लिये जो कुछ भी करना संभव है किया जाएगा ताकि हमारे निर्यात पिछड़ न जाएं ।

काण्डला के शुल्कमुक्त व्यापार क्षेत्र से निर्यात

3508. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काण्डला शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद अब तक वहां से निर्यात का वर्ष-वार व्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में उत्पादित और वहां से निर्यात की जानें वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इस क्षेत्र से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आप अधिक वस्तुओं को शामिल

करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र में आरम्भ से अब तक हुए निर्यातों के वर्षवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	क्षेत्र से कुल निर्यात
1966–67 से पूर्व	शून्य
1967–68	7·49 लाख रु०
1967–68	8 95 लाख रु०
1968–69	51·81 लाख रु०
1969–70	60·18 लाख रु०
1970–71	34·44 लाख रु०

(ख) इस समय क्षेत्र से निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात किया जा रहा है, आविकारी इस्पात, कसीदाकारी के वस्त्र, आर्ट निटिंग मशीनें, जलरमेवी तिरपाल, कृत्रिम रेशम वस्त्र, चश्मों के फ्रेम, साधित डिब्बा-बन्द मटर तथा काजू और पोलिथीलीन अस्तर वाला पटसन वस्त्र और बैग।

(ग) वस्तुत: इस क्षेत्र में किसी भी उत्पादन का निर्माण और निर्यात किया जा सकता है। सरकार को समय समय पर इस क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्यमियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होते रहते हैं। हाल ही में निम्नलिखित वस्तुओं के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं। सिले सिलाए परियान, कृत्रिम आभूषण, प्लास्टिक उत्पाद लैंस तथा वार्प बुनाई माल और साधित चाय।

प्रगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों का सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा

3509. **श्री बी० के० दास चोधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या यह इन्कार उनके उन चार साथियों को मुआवजे की गैर अदायगी के विरोध में था जो उन्हें ले जा रहे एक ट्रक के लेह में उलट जाने से घायल हो गये थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कलाकार के प्रतिनिधियों और उनके बीच अभी हाल में कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : हाल ही में गीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ ग्रार्टिस्टों के प्रतिनिधि सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय में मंत्रियों तथा सचिव से मिले थे ग्रौर उन्होंने जीवन बीमा तथा दुर्घटनाग्रों के जोखम को कवर करने समेत ग्रपनी विभिन्न मांगे रखी थीं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

भुगतान न किए गए टेलीफोन बिल ग्रौर टेलीग्राफ तथा टेलीफोन सरकिटों का किराये की बकाया राशि

3510. **श्री बी० के दास चौधरी :**
श्री राज देव सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से 1 जुलाई, 1970 तक सरकार ग्रौर जनता द्वारा भुगतान न किये गये टेलीफोन बिलों की कुल राशि कितनी है;

(ख) 1 जुलाई, 1970 तक तार (टेलीग्राफ) ग्रौर टेलीफोन सरकिटों के किराये की बकाया राशि कितनी है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची के बावजूद टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने में विभाग की ग्रसफलता के कारण कुल कितनी राशि ग्रर्जित नहीं की जा सकी; ग्रौर

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1–4–68 से 30–6–70 तक जारी किये गये बिलों की 1–3–71 को कुल बकाया राशि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
सरकारी टेलीफोन उपभोक्ता	124 89
गैर-सरकारी टेलीफोन उपभोक्ता	133·41
कुल :	258·30

(ख) 107·95 लाख रुपये।

(ग) 1–4–71 की प्रतीक्षा सूची में 3,09,982 व्यक्तियों के नाम थे। प्रति उपभोक्ता 1000 रुपये प्रतिबर्ष राजस्व ग्रर्जित होता है। तद्नुमार यदि उन सभी को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकते तो 31 करोड़ रुपये वार्षिक ग्रतिरिक्त राजस्व ग्रर्जित किया जा सकता था।

(घ) टेलीफोन जाल ग्रर्थात् एक्सचेंजों, केबल, ट्रंक लाइनों ग्रादि के विस्तार का काम हाथ में लिया जा रहा है। ग्राशा है कि चौथी योजना के शेष तीन वर्षों में 3·75 लाख ग्रौर सीधे एक्सचेंज कनेक्शनों की व्यवस्था की जा सकेगी।

फिर भी विकास के लिये वित्त और सामग्री सम्बन्धी साधन सीमित होने के कारण निकट भविष्य में सभी मांगों को पूरा करना सम्भव न हो ससेगा ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बसुमति एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के कार्य की जाँच

3511. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना **और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बसुमति एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के कार्य की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो जांच के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उपरोक्त जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है और वे विधि मंत्रालय के परामर्श से कुछ उन कानूनी बातों पर विचार कर रहे हैं जो जांच के दौरान उनके सामने आई हैं ।

कलकत्ता का विकास

3512. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन से विशिष्ट विकास कार्य आरम्भ किये गये हैं;

(ख) इस अवधि में आरम्भ की गई प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल को अपेक्षित सूचना देने का निवेदन किया है, जिसके मिलने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पाकिस्तानी जासूसी गतिविधियों में राजनैतिक दलों, नेताओं तथा कुछ पत्रकारों का कथित हाथ

3513. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी जासूस के सम्बन्ध में पकड़े गये दस्तावेजों के आधार पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों के अतिरिक्त, दो राजनैतिक दलों, कुछ अन्य

राजनैतिक नेताओं, कुछ पत्रकारों तथा सरकारी अधिकारियों के नाम तथा उनकी गतिविधियों का भी इन गुप्त दस्तावेजों में जिक्र किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध अपनी जाँच कब तक पूरी कर लेगी;

(ग) क्या उनके विरुद्ध सार्वजनिक जांच कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार इन गुप्त दस्तावेजों के बारे में तथ्यों को प्रकाशित न करने के अपने निर्णय पर पुन: विचार कर रही है; और

(ङ) क्या पाकिस्तान के लिये जासूसी गतिविधियों में संलग्न इन व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से भंडाफोड़ न करने से पश्चिमी बंगाल की जनता इनके बारे में अंधेरे में रहेगा तथा इस प्रकार हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के हितों की हानि पहुंचेगी ?

(क) से (ङ) : इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों को और नजरबन्द किया गया है। मामले की जांच हो रही है और कानून के अनुसार मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। इस स्थिति में कोई ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

बंगला देश की घटनाओं का प्रचार

3514. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश की घटनाओं और वहाँ से शरणार्थियों के निर्गमन के बारे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में समाचार देने हेतु प्रचार माध्यमों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रकाशकों के नाम क्या हैं; और

(ग) सिनेमा और टेलीविजन द्वारा किये जाने वाले प्रचार की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख). बंगला देश में घट रही घटनाओं के सम्बन्ध में हमारे प्रचारात्मक प्रयत्नों के उद्देश्य ये हैं —

(1) बंगला देशवासियों की उचित लोकतन्त्रात्मक तथा राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज द्वारा किए जाने वाले जाति संहारात्मक अत्याचारों को बताना। (2) प्रसिद्ध पत्रकारों सहित निष्पक्ष विदेशियों द्वारा वर्णन की गई घटनाओं के लेखे-जोखे का प्रचार करना। (3) पाकिस्तान के रवैये में परस्पर विरोधी बातों का भण्डाफोड़ करना। (4) अपने घरों से निकाले गए लोगों के मसले का मानवीय पहलू पेश करना। (5) ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय जनमत निर्माण करना जिससे मजबूर होकर पाकिस्तान सरकार बंगला देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे वहां से बेघर किए गए लोग भारत से जल्दी लौट सकें और फिर वहां बस सकें। बंगला देश के लाखो बेघर हुए व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में भारत द्वारा जिन विकट आर्थिक तथा अन्य समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनके प्रति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना भी हमारे प्रचारात्मक प्रयत्नों का उद्देश्य है।

ताकि कुछ सीमा तक भारत की सहायता और उस असहय बोझ, जिसको भारत अपने आर्थिक विकास के मूल्य पर सह रहा है, को भारावमुक्त करने के लिए पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिल सके ।

न्यूयार्क में हमारे स्थायी दूतावास द्वारा दि इस्यू रूल बाई बैलट; दि आनसर : रेन आँफ टैरर'' नामक तैयार किया गया एक प्रचारात्मक ब्रोशर विदेश मन्त्रालय ने निकाला है । बंगला देश पर संसद द्वारा पास किए गए संकल्प का मजमून तथा प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री के इस विषय पर दिए गए भाषणों के मजमूनों को विदेशों में स्थित अपने दूतावासों को उचित प्रचार के लिए उपलब्ध किया गया है । इस समस्या से सम्बन्धित अनेक चित्र भी प्रदशनार्थ तथा प्रचार हेतु उनको भेजे गए हैं । पत्त सूचना कार्यालय द्वारा भी देश के समाचार-पत्रों को चित्र भेजे गए है ।

(ग) इंडियन न्यूज रिव्यू के साप्ताहिक संस्करणों में इस बारे में प्रमुख विषय के रूप में नियमित रूप से समाचार दिए जा रहे हैं । फिलम प्रभाग ने अब तक बंगला देश तथा शरणार्थियों के ऊपर 4 विशेष न्यूज रीलों के अतिरिक्त 13 न्यूज रीलों में इन विषयों को फिलमाया है । इन सभी विषयों का एक संकलन "इंडियन न्यूज रिव्यू डायरी आन बंगला देश" तैयार किया गया है । एक गैर-सरकारी दल द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र "दुर्बर गति पद्मा," फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त किया गया है और यह 2 जुलाई, 1971 को रिलीज किया जायेगा । भारत तथा विदेशों में रिलीज किए जाने के लिए फिल्म प्रभाग का "रिफ्यूजी 1971" नामक वृत्त चित्र लगभग तैयार हो चुका है और उसके जुलाई 1971 के मध्य तक रिलीज हो जाने की संभावना है । दिल्ली टेलीविजन केन्द्र द्वारा ली गई । अधिग्रहण की गई टेलीविजन समाचार फिल्में उस केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट की गई है । टेलीविजन केन्द्र ने इस विषय पर कई इन्टरव्यू, वार्तायें और समाचार बुलेटिन भी टेलीकास्ट किए हैं ।

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

3515. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और नागालैंड के मध्य सीमा विवाद की जांच करने हेतु एक सीमा आयोग नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) इस आयोग के निर्देश पद क्या होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) से (ग)**. सरकार विवाद के हल के लिये व्यवस्था सहित सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है ।

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सावधि-पदों पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

3516. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सावधि-पदों पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) उनके आवंटित मूल राज्य का अलग-अलग ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक अधिकारी के कार्यकाल की अवधि क्या है;

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल की सामान्य अवधि क्या है;

(ङ) पदावधि समाप्त होने के पश्चात् भी कितने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के अन्तर्गत पदों पर नियुक्त रखा गया है और उनके नाम एवं पदनाम क्या हैं; और

(च) कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उक्त अधिकारियों को वापस भेजने के लिए अगर कोई उपाय किए जाने का प्रस्ताव हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). अनुलग्नक I के विवरण में स्तम्भ 2 से 5 तक) स्थिति स्पष्ट की गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 565/71]**

(ङ) और (च) : अनुलग्नक II का विवरण स्थिति स्पष्ट करता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 565/71]**

दिल्ली में परिष्कृतम मानव केशों पर बिक्री कर की वसूली

3517. **श्री एम० कतामुत** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान प्रतिमास कितनी मात्रा में मानव-केश तैयार किये गये; और

(ख) दिल्ली में वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 में सरकार को इन तैयार किये गये मानव-केशों की बिक्री से बिक्री-कर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, राज्यवार उत्पादन। निर्यात आंकड़े नहीं रखता।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूस को काजू की गिरी का निर्यात

3518. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से रूस को होने वाले काजू की गिरी के निर्यात में 1969–70 की तुलना में 1970–71 में 25 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काजू की गिरी के निर्यात के बारे में इस समय रूस और भारत के बीच बात-चीत आगे नहीं बढ़ पाई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति की समीक्षा करने और रूस को काजू की गिरी के निर्यात में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की हैं ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, केरल से सोवियत संघ को काजू की गिरियों के निर्यात 1969–70 में 24·58 करोड़ रु० के थे जो 1970–71 में गिरकर 14·68 करोड़ रु० रह गए। सोवियत संघ के क्रय-कर्ताओं को, व्यापार के अन्तगर्त निर्धारित किए गए उनके वार्षिक आवंटन को खरीदने के लिए मनाना होगा । हमारे निर्यातकों द्वारा सोवियत संघ को काजू की गिरियों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयास जारी हैं ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी मामलों में सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच मतभेद

3519. **श्री रामचन्द्र कड़नापल्ली** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी लम्बे समय के पत्र-व्यवहार के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बंधी मामलों में अब भी सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच कोई मतभेद जारी है;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान उक्त आयोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों से सहमत नहीं था; और

(ग) किन-किन मामलों में कार्यवाही पूरी कर ली है तथा कितने मामले अभी निर्णयाधीन हैं और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 1964–70 की अवधी के लिए अपनी छः वार्षिक रिपोर्टों में दी गई सलाह के आधार पर केवल 9 मामलों में अस्वीकृति का उल्लेख किया है ।

उन मामलों के सम्बन्ध में आयोग की सलाह को अस्वीकृत किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित आयोग की सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रख दी गई हैं ।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों से सहमत नहीं था और जिन पर कोई कार्यवाही न करने की सिफारिश की गई थी वे इस प्रकार हैं :—

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जिस अवधी में अपनी सलाह दी	मामलों की संख्या
1969–70	34
1970–71	25

(ग) इन मामलों में से 57 के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह अनुशासनात्मक प्राधिकारियों ने मान ली थीं। दो मामले सम्बन्धित अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के पास विचाराधीन हैं।

गुजरात संवर्ग के आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध आरोप

3520. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए अधिकांश आरोप, जिनमें से एक आरोप नैतिक पतन सम्बन्धी भी था, जांच आयोग द्वारा साबित हुए करार दिए गए और आरोपों के बारे में जांच आयोग के निष्कर्षों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध बर्खास्तगी और अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के लिये 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए थे, मगर वह अधिकारी अब भी सेवा में है, क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उसके पक्ष में हस्तक्षेप किया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सम्बन्धित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उसे सेवा से बरखास्त कर दिया जाय। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अनिवार्य सेवा. निवृत्ति, सेवा से हटाने अथवा सेवा से बरखास्त करने के अलावा कोई दण्ड देने की सलाह दी थी। अन्ततः केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से अधिकारी को उसका वेतन कम करने का दण्ड दिया गया।

भारतीय निर्यात की संवर्धन दर

3521. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 में गत वर्ष की तुलना में भारतीय निर्यात में 8–1/2 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ हमारे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वर्ष 1970–71 में भारत के निर्यात, जिनमें पुनर्निर्यात भी शामिल है, 1530·65 करोड़ रु० के रहे जबकि वर्ष 1969–70 में 1413·21 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे और इस तरह वृद्धि दर वर्ष 1969–70 की 4·1 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8·3 प्रतिशत हो गई जो चौथी योजना में वर्ष 1970–71 के लिए रखे गये 7 प्रतिशत के लक्ष्य से भी अधिक रही।

(ख) वर्ष 1970–71 के देशवार निर्यात आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं।

इम्फाल के महल के प्रांगण में आसाम राईफल्स की चौथी बटालियन की निरन्तर नियुक्ति के कारण मनीपुर की जनता में असंतोष

3522. **श्री एन टोम्बी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इम्फाल नगर के बीच में स्थित पुराने महल के प्रांगण में आसाम राइफल्स की चौथी बटालियन की निरन्तर नियुक्ति से मनीपुर की जनता में व्याप्त भारी असन्तोष की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बटालियन को किसी अन्य उपयुक्त स्थान में ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या आसाम राइफल्स बटालियन के स्थान पर मनीपुर राइफल्स को बटालियन रखने के मामले पर सरकार ने विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस बटालियन के वर्तमान स्थान से अन्यत्र ले जाने के लिये कभी-कभी सुझाव दिये गये हैं। ऐसे सुझावों में से एक सुझाव श्री कृष्ण मोहन सिंह का था जो पिछली लोक सभा में मणिपुर से सदस्य थे, किन्तु मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि इस बटालियन के वर्तमान स्थान, जहां यह 1915 से स्थित है, में बने रहने के बारे में मणिपुर के लोगों में कोई असंतोष नहीं है। इस मामले में पूरी तरह विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि इस बटालियन के पुराने तथा ठीक प्रकार से स्थापित मुख्यालय को अस्त-व्यस्थ करना चाहिये।

(ग) इस क्षेत्र में असम राइफल केन्द्रीय बल का एक भाग होने के कारण उसके स्थान पर अन्य को रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लाम्फेलपट (इम्फाल) में आकाशवाणी भवन

3523. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में लाम्फेलपट के स्थान पर आकाशवाणी भवन के प्रस्तावित निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या राजनिवास के समीप वर्तमान छोटे से भवन में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को चलाने में बाधक भारी असुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या स्टुडियो को किसी नये स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु कोई अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमति नन्दिनी सतपथी) : (क) स्थान का कब्जा ले लिया गया है तथा भवनों के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) उम्मीद है कि नए स्टूडियो 1974 तक तैयार हो जायेंगे । इनके तैयार हो जाने पर केन्द्र वहाँ स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

3524. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला जांच समिति को विदेशों से अपेक्षित साक्ष्य एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विदेशों में दिये गये साक्ष्यों को भी आयोग दर्ज कर सकता है ।

(ख) आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 1971 तक बढ़ाया गया है और आशा की जाती है कि आयोग उस तिथि तक अपनी जांच को पूरा कर लेगा और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा ।

सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से निर्यात

3525. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से कुल कितना निर्यात किया गया था; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से और अधिक निर्यात करने की जिम्मेवारी लेने का है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 में सरकारी क्षेत्र के अभिकरण द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक निर्यात व्यापार किया गया ।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों के भाग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय । सरकार विभिन्न वस्तुओं का, मार्गीकरण के लिए उनके औचित्य के सम्बन्ध में, अध्ययन कर रही हैं और जहां तक व्यवहार्य होगा, विदेशी व्यापार का राज्य क्या अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकरण करेगी ।

बिहार के कुरनूल और मुजफ्फरपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क

3526. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार राज्य में कुरनूल टेलीफोन एक्सचेंज को मुजफ्फरपुर टेलीफोन एक्सचेंज के साथ सीधी मिलाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी नहीं कुरनूल और मुजफ्फरपुर के बीच प्रतिवेदन लगभग दो काल बुक किये जाते हैं। इसलिए सीधी ट्रंक लाइन का औचित्य नहीं है।

व्यापार सम्बन्धों के बारे में भारतीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा सूडान का दौरा

3527. **श्री समर मुखर्जी** :

श्री बी० ए० सामिनाथन :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हाल ही में किसी सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने सूडान का दौरा किया था तथा व्यापार सम्बन्धों के प्रश्न पर सूडान अधिकारियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक व्यापार प्रबन्ध, जो कि 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक 18 महीने की अवधि के लिए है, पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस प्रबन्ध में लगभग 112 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था है, और भारत से सूडान को चाय. पटसन का माल, वस्त्र, मसाले, मसूर तथा इंजीनियरी माल के निर्यात की और सूडान से भारत को कपास, अरबी गोंद, और खालों तथा चमड़ियों के आयात की व्यवस्था है। इन 18 महीनों के दौरान सूडान से भारत में लगभग 450,000 रुई की गांठों के आयात होने की सम्भावना है।

भारत में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन

3528. **श्री रामकंवर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से प्रकाशित किये जाने वाली विभिन्न पत्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ख) ये पत्रिकाएं किन भाषाओं में छपती हैं ;

(ग) प्रत्येक पत्रिका की कितनी-कितनी प्रतियां छापी जाती हैं; और

(घ) ग्राहकों की घोषित संख्या कितनी है तथा प्रत्येक पत्रिका की कितनी प्रतियाँ प्रकाशित होती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) . अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

प्रकाशन स्थान	क्रम संख्या	पत्र-पत्रिका का नाम	भाषा	आवधिकता	परिचालन संख्या प्रकाशित प्रतियों की कुल संख्या	ग्राहकों की संख्या	मुफ्त
1	2	3	4	5	6	7	8
नई दिल्ली	1.	डेमोक्रेटिक जर्मनी	अंग्रेजी	पाक्षिक	13,150	1,800	11,350
	2.	समाजवादी जर्मनी	हिन्दी	पाक्षिक	8,183	835	7,348
कलकत्ता	1.	तथ्य पत्रिका	बंगला	मासिक	सप्लाई नहीं की गई—		
	2.	समाजतान्त्रिक जर्मनी	बंगला	मासिक	5,000	1,500	3,500
बम्बई	1.	लोकशाही जर्मनी	मराठी	मासिक	4,500	2,300	2,200
मद्रास	1.	नव जर्मनी	मलयालम	मासिक	2,972	528	2,444
	2.	पुथिया जर्मनी	तमिल	मासिक	4,855	2,855	2,000

हस्तशिल्प निर्यात निगम का राज्य व्यापार नियम के साथ विलय

3530. **श्री एस० आर दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प निर्यात निगम पर भारत तथा विदेशों में कितना प्रशासनिक खर्च होता है;

(ख) इस निगम के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों पर कितना खर्च होता है तथा यह खर्च कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक खर्च तथा दोहरे काम को बचाने के लिये उक्त निगम के राज्य व्यापार निगम में विलय की संभावना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विचार के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : शायद माननीय सदस्य का संकेत भारतीय हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा निर्यात निगम लि० की ओर है। 1970-71 में निगम का प्रशासकीय व्यय 77·44 लाख रुपये था।

(ख) व्यय 36·24 लाख रुपये का था जो कुल बिक्री मूल्य का 9·4% निकलता है।

(ग) जी नहीं। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम राज्य व्यापार निगम की एक सहायक संस्था है और हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के निर्यात का कार्य करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे माल डिब्बों का निर्यात

3531. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई के लिए विचाराधीन क्रय देशों के तत्सम्बन्धी देशों के नाम, माल डिब्बों की संख्या तथा उनके मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1971 में हस्ताक्षर किये गये नए करारों सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ अन्य देशों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है, यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सम्बन्ध में वर्ष 1971 के दौरान अब तक किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

(ग) क्रयादेशों की जानकारी सरकार को तभी दी जाती हैं जबकि वे अन्तिम स्तर पर होते हैं क्योंकि वाणिज्यिक हित वार्ताओं को गोपनीय रखना पसन्द करते हैं । वार्ता चलते रहने के समय जानकारी मांगना और उसका प्रचार करना जनहित में नहीं है क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी पक्ष इससे लाभ उठा सकते हैं ।

विवरण

विभिन्न विनिर्माताओं/निर्यातकों के पास इस समय मौजूद रेलवे माल डिब्बों के लिये क्रयादेशों के ब्यौरे ।

क्रमांक	देशों का नाम	कुल क्रयादेश जो अभी पूरे नहीं हुए हैं माल डिब्बों की संख्या	(मूल्य लाख रु० में)
1.	पोलेंड	500	270·00
2.	हंगरी	1000	585·00
		(120 लाख रुपये मूल्य के 225 रेलवे माल डिब्बों का निर्यात 1970-71 के दौरान पहले ही किया जा चुका है)	
3.	घाना	1'0	67·00
4.	ईरान	492	379·00
9.	सूडान	120	96·00
6.	कीनिया	45	30·00
7.	यूगोस्लाविया	36·00	3744·71
	योग	5:07	5171·81

रूस को रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई

3532. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री रूस के साथ माल-डिब्बों के सौदे से सम्बन्धित 18 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे माल डिब्बों के सौदे में रूस की पुन: रुचि पैदा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चूंकि भारतीय राज्य व्यापार निगम ने यह बता दिया है कि उन्हें क्या कीमत स्वीकार्य होगी, अत: अब सोवियत क्रय संस्था वी/ओ मशीनोंइम्पोर्ट को अगले कदम की सूचना देनी चाहिए।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात

3533. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कुल कितना आयात किया;

(ख) आयातित वस्तुओं, उनकी मात्रा तथा उनके मूल्य का विवरण क्या है तथा उन्हें किन-किन देशों से मंगाया गया;

(ग) उन्हें संभालने पर कितने प्रतिशत शुल्क लिया गया तथा उपभोक्ताओं से कितना लाभ लिया गया; और

(घ) क्या उनकी किस्म, मूल्य, देरी आदि के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निगम द्वारा 145.35 करोड़ रुपये मूल्य के आयात किए गए।

(ख) एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०566/71)**

(ग) निगम के व्यवसाय कार्य, यथा, चढ़ाई-उतराई प्रभार, लिया गया लाभ आदि, के ब्यौरे प्रकाशित करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) समय-समय पर ऊंची बिक्री कीमतों, सुपुर्दगी आदि में विलम्ब आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं और निगम द्वारा उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में बन्द हुई सूती कपड़ा मिलों का फिर से खोला जाना

3534. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में कई सूती कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

समाप्त करने योग्य समझी गई मिलों को छोड़कर, मई, 1971 के अन्त में, निम्नोक्त राज्यों में, 26 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थी :—

तमिलनाडु

1. दि पानियर स्पिनर्स प्रा० लि०, पानियर नगर ।
2. श्री पालमलाई रंगांथर मिल्स, पेरीनाइकेनपलायम ।
3. श्री कोथंडराम स्पिनिंग मिल्स लि०, मदुराई ।
4. दि राधिका मिल्स लि०, उपीलीपलयम ।
5. दि पंकज मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।
6. दि गीतांजलि मिल्स लि०, शंकरनाइनकोबिल ।
7. दि राजा मिल्स मदुराई ।
8. श्री शामुगर मिल्स लि०, राजपलायम ।
9. बलराम वर्मा टैक्सटाइल्स, सिनकोटा ।
10. क्वालिटी स्पिनिंग मिल्स, (प्रा०) लि०, पोलाकी ।
11. श्री रामकृष्ण मिल्स (सी बी ई) लि०, कोयम्बटूर ।
12. पदुकोटा टैक्सटाइल्स लि, नामनासमुदरम ।
13. कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग कं०, कोयम्बटूर ।
14. कोयम्बटूर मुरगन मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।
15. सोमसुन्द्रम मिल्स (बी) लि०, कोयम्बटूर ।
16. कालेश्वर मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।

केरल

1. काथाई काटन मिल्स लि०, अलवेई ।
2. दि कन्नूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, कन्नूर ।

गुजरात

1. दि फाइन नीटिंग कं० लि०, अहमदाबाद ।

2. दि अनन्त मिल्स लि०, अहमदाबाद ।

3. दि केशव मिल्स कं० लि०, पेटलाद ।

4. दि जहांगीर वकिल मिल्स, लि०, अहमदाबाद ।

5. प्रभा मिल्स लि०, विरामगम ।

6. दि राजनगर स्पिनिंग वीविंग एण्ड मेन्यु० कं० लि०, अहमदाबाद ।

महाराष्ट्र

1. यशवन्त सहकारी सूत गिरनी नियमित

(पुराना नाम शिवाजी टैक्सटाइल्स वर्कर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग लि०, भोर

2. सेक्सरिया काटन मिल्स लि०, बम्बई ।

उपरोक्त मिलों में से पांच मिलें अलाभकर समझी गई । उद्योग (विकास तथा विनियमन-अधिनियम, की धारा 18–क के अन्तर्गत दो मिलों का प्रबंन्ध, अधिकार में लिया गया और प्राधिकृत नियन्त्रकों के अधीन सौंप दिया गया । एक मिल ने कार्य करना शुरू कर दिया है । पांच मिलों के सम्बन्ध में जांच समितियों के प्रतिवेदन विचाराधीन हैं और उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त की गई एक जांच समिति द्वारा एक मिल के कार्यों की जांच की जा रही है । चार मिलों के मामले, जिनमें से तीन की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जाँच की गई थी, परिसमापन आदि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में लम्बित हैं । बाकी मिलों के सम्बन्ध में उन्हें पुनः चालू करने के लिए उनके प्रबधकों तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

कृत्रिम रेशम तथा रयन के आयात तथा वितरण के बारे में शिकायतें

3535. **श्री एम० ई० होरो** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम के द्वारा कृत्रिम रेशम तथा रेयन के आयात तथा बुनकारों को उनके वितरण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां । शक्तिचालित करघा और हथकरघा उद्योग को, विशेषतः दक्षिणी भारत में, वितरित करने के लिए कूप्रोमोनियम (रेयन यार्न) के आयात के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । पर्याप्त

आयातों के आधार पर न्यायोचित वितरण की योजना बनाने के लिये उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकतायें आंकी जा रही हैं।

सर्किल टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन

3536. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली टेलीफोन निर्देशिका कितने-कितने समय बाद निकलती है;

(ख) बिहार में वर्ष 1969 तथा 1970 के दौरान ऐसी कितनी टेलीफोन निर्देशिकायें प्रकाशित की गई;

(ग) बिहार में गत दो वर्षों में सर्किल टेलीफोन निर्देशिकाओं को कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित न करने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं;

(घ) क्या बिहार में इन निर्देशिकाओं के प्रकाशित न होने के कारण जनता को असुविधा हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) बड़े सर्कलों में द्विवार्षिक और अन्य में वार्षिक। बिहार सर्कल में द्विवार्षिक निकलती है।

(ख) 1969 में एक प्रकाशित की गई है।

(ग) इसके कारण हैं छपाई के कागज, जिल्द की सामग्री आदि की सप्लाई और मुद्रकों तथा विज्ञापन एजेंट के साथ संविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होना।

(घ) तथा (ङ) जनता को असुविधा न हो, इसे दृष्टि में रखकर 1970 में पटना एक्सचेंज के लिये दो पूरक निर्देशिकायें और रांची तथा समस्तीपुर एक्सचेंजों के लिये एक-एक निर्देशिका छापी गई थी। एक नया संस्करण प्रकाशित करने का काम शीघ्र करने की भी व्यवस्था की गई है।

Inadequate Means of Communications in Rajasthan

3537. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) Whether shortage of means of communications was felt in Rajasthan during the Indo-Pak conflict of 1965; and

(b) If so, the steps taken by the Posts and Telegraphs Department after 1965 till to date to meet the shortage ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise. However, action to further develop the Telecomm-

unication means in the border areas of Rajasthan is being taken. As regards [Postal facilities it may be mentioned that since the Indo-Pak Conflict of 1965, 1939 post offices have been opened in Rajasthan. A post office in Rajasthan now serves on an average an area of 47·72 sq, Kms. and a population of 2842 as against 60·93 sq. Kms. and 3631 respectively before the 1965 Indo-Pak conflict. The average radial distance of one post office from another has also decreased considerably from 11·265 Kms. in 1965 to 6·437 Kms. to-day. The frequency of delivery has also improved considerably as in the following table :

	At the time Indo-Pak conflict (No. of villages)	As on 1. 5. 71 (No. of villages)
Daily	8809	12786
Tri-weekly	8101	9050
Bi-weekly	7883	8210
Weekly	9071	4090
Over a week	272	Nil

कार्यपालक प्रचार प्रबन्धक (ट्रांसमिशन एक्जेक्यूटिव)

3538. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 120 से अधिक प्रसार प्रबन्धक गत तीन वर्ष से कार्यपालक कार्यक्रम प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जो ट्रांसमिशन एक्जेक्यूटिव तदर्थ आधार पर, प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव नियुक्त किये गये हैं, उनकी कुल संख्या 118 है । इनमें से 61 तीन वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप से प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) : प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव के पद के लिये भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किए जा रहे हैं । जैसे ही इन नियमों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, इन व्यक्तियों को प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करने का निर्णय इन नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

Verification of Titles of New News Papers

3539. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) The rules governing verification of titles of new newspapers.

(b) The usual time taken in coming to a decision in this regard; and

(c) The number of applications for verification of titles from Madhya Pardesh pending with Government.

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a). Under section 5 of the PRB Act 1867, the printer and publisher of a newspaper is required to file a declaration before a District/Presidency/Sub-Divisional Magistrate. This declaration has to be authenticated by the Magistrate under his signature and seal and after he is satisfied on an enquiry from the Press Registrar that the news paper proposed to be published does not bear a title which is the same as or similar to that of any other news paper published either in the same language or in the same state.

(b) Enquiries received from the District Magistrates regarding verification of the title of news papers proposed to be published are replied to by the offices of the Press Registar generally within ten days of their receipt

सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स विभाग में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3540. **श्री थाकिरुतिनन : श्री रामजी राम :**
श्री टी० सोहनलाल :

क्या गृह मंत्री 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी प्रतिनिधि संगठनों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1968, 1969 और 1970 में सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की व्यवस्था करने के लिये मांगपत्र भेजे गये; और

(ख) ऐसे कितने मांगपत्र भेजे गये तथा उनका क्या परिणाम हुआ ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से पूरी सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजस्थान के महाराजा किशनगढ़ की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन

3541. **राजमाता कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किशनगढ़ के महाराजा सुमेरसिंह की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य निष्कर्ष क्या है ;

(ग) यदि नहीं, इसकी प्राप्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । मामले की जांच की जा रही है और उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

भारतीय डाकघर अधिनियम

3542. **श्री नुग्घली शिवप्पा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 के सम्बन्ध में वर्ष 1970 में एक टिप्पणी भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच टिप्पणी की जांच कर ली है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 के सम्बन्ध में विधि आयोग की टिप्पणी की जांच की जा रही है ।

कार्ल मार्क्स और लेनिन की पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

3543 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के प्रसिद्ध समाचार पत्र "ले मोंडे" में प्रकाशित भारत सरकार द्वारा कार्ल मार्क्स और वी० आई० लेनिन द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित समाचार पढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई पुस्तकों के शीर्षक क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). सरकार ने ऐसा कोई समाचार नहीं देखा है । किन्तु यह सच नहीं है कि मार्क्स अथवा लेनिन की रचनाओं को जब्त कर लिया गया है ।

डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था को एर्नाकुलम (केरल) तक बढ़ाया जाना

3544. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था को न बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि एर्नाकुलम को कोरिया केबल से सम्बद्ध कर दिया गया है; और

(ख) क्या उन्हें केरल सरकार द्वारा 1971 में एर्नाकुलम में इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिये दिये गये अभ्यावेदन का पता है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पारेषण सर्किटों और स्विचिंग उपस्कर की आवश्यकता पड़ती है। सहधुरीय केबिल प्रणाली चालू करके एर्नाकुलम से कई स्थानों के लिए पारेषण सर्किटों की व्यवस्था तो कर दी गई है लेकिन स्विचिंग उपस्कर अभी लगाया जाना है।

डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के लिए एर्नाकुलम में एक क्रासबार ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस एक्सचेंज के चालू होने से त्रिचुर और कोट्टायम के लिए और इसका मुद्रा ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से परस्पर सम्बन्ध स्थापित होने से मद्रास, बंगलौर कोयम्बतूर आदि के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करना संभव हो सकेगा। क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के उत्पादन में कमी के कारण इस एक्सचेंज की स्थापना में विलम्ब हुआ है। आशा है कि अब यह एक्सचेंज 1974 तक चालू हो जाएगा।

केरल सरकार ने एर्नाकुलम में डायल घूमाकर सीधे टेलीफोन करने की शीघ्र व्यवस्था करने के बारे में अभ्यावेदन दिया था। एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू करने में विलम्ब होने की दृष्टि से एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम-कोट्टायम मार्गों पर डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था की योजना बनाई गई है। आशा है कि यह सुविधा 1972–73 तक चालू हो जाएगी।

अखबारी कागज का कोटा

3545. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली भाषा के साप्ताहिक "मिथिला टाइम्स" लाल बाग, दरभंगा तथा हिन्दी साप्ताहिक "तिरहुत बानी" लहरिया सराय, दरभंगा, (बिहार) को अभी तक चमकीले और सामान्य अखबारी कागज का कोटा अलाट नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा शीघ्र कोटा अलाट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू या पिछले लाइसेंस वर्ष के दौरान मैथिली के साप्ताहिक "मिथिला टाइम्स", दरभंगा तथा हिन्दी के साप्ताहिक "तिरहुत बानी", दरभंगा के प्रकाशकों से अखबारी कागज अलाट किए जाने के लिए कोई प्रार्थनापत्र नहीं मिला है।

Complaints re : Poor Transmission of Jodhpur Radio Transmitter

3545. **Shri Nawal Kishore Sharma :** Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state.

(a) Whether complaints have been received that the radio transmitter installed at Jodhpur is very weak and the programmes relayed by it cannot be heard even in Jodhpur itself;

(b) If so, the reasons therfor; and

(c) The remedial steps proposed to be taken and by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : This station operates at 530 KHZ frequency which is at the lower edge of the medium wave band. Old radio sets are required to be aligned to receive this station satisfactorily. For this reason listeners were advised to get their old sets correctly aligned and to ensure when buying new sets that they are capable of receiving this station. This advice is being published repeatedly.

पश्चिम बंगाल के लिये दिल्ली में विशेष सैल

3548. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए दिल्ली में एक विशेष सैल बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सैल अब भी कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क). जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख). सैल की स्थापना राज्य सरकार और केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों । विभागों के बीच अच्छे समन्वय हेतु की गई थी ।

(ग) और (घ) : पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह सम्पर्क रखना वांछनीय समझा गया और इसलिए सैल को जारी रखा गया है ।

केरल में प्रतिव्यक्ति आय

3549. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय क्या है;

(ख) दूसरे राज्यों की तुलना में यह कैसी है; और

(ग) केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

वर्ष 1964–65 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गए राज्य की आय के तुलनात्मक प्राक्कलनों के अनुसार केरल तथा अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित है :—

	(रुपये)
1. पंजाब	619
2. महाराष्ट्र	529
3. गुजरात	523
4. हरियाणा	513
5. पश्चिम बंगाल	495
6. आन्ध्र प्रदेश	458
7. मैसूर	441
8. मद्रास	436
9. असम	394
10. केरल	391
11. मध्य प्रदेश	378
12. उत्तर प्रदेश	374
13. उड़ीसा	368
14. राजस्थान	365
15. बिहार	292
16. भारत	423

विभिन्न राज्यों में विकास-स्तर की भिन्नता कतिपय मिश्रित-तत्वों पर आधारित है जैसे भौतिक-भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक इत्यादि। चौथी योजना में केरल राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु विकास की गति बढ़ाने के लिए अपनाये गये उपाये ये हैं :—

(1) राज्य योजना के लिये और अधिक केन्द्रीय सहायता का आवंटन;

(2) केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश;

(3) अलप्पी के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में नये औद्योगिक एककों, जिनका कुल स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये तक है, को स्थिर पूंजी निवेश के दसवें भाग के बराबर केन्द्रीय सहायता;

(4) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए पांच जिलों को वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्त, छोटे किसानों, उप-सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिये विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जिनकी वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है ।

(5) ग्रामों में रोजगार-सुलभता हेतु तूफानी योजना देश भर में आरम्भ कर दी गई है तथा केरल के सभी जिले इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं ।

तथापि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किस सीमा तक हो पायेगी यह अन्य अनेक बातों पर निर्भर करेगा जैसे निजी क्षेत्र में निवेश, वित्तीय संस्थानों से संशाधनों की उपलब्धता इत्यादि ।

सरकारी कर्मचारियों पर अपने आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति रखने के लिए मुकदमा चलाया जाना

3550. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत उनके आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति रखने के कारण मुकदमे चलाये गये,

(ख) क्या उनमें से किसी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी गई है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष यह सुनिश्चित करती है कि केन्द्रीय सरकार के उच्च वेतनभोगी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के पास कितनी परिसम्पत्ति है, और

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के उच्च वेतनभोगी अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों की परिसम्पत्ति दिखाने वाला वार्षिक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क)** तथा **(ख)**. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 25–6–69 से 24–6–71 की अवधि में ऐसे अपराधों के लिए 12 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये गये थे । सभी मामले विचारण के लिये निलम्बित हैं ।

(ग) तथा **(घ)** . अखिल भारतीय सेवा से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के श्रेणी I तथा श्रेणी II के अधिकारियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके द्वारा स्वयं उनके नाम या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्राप्त किया जाता है । ऐसे विवरणों को गोपनीय रखा जाता है ।

दिल्ली में टेलीफोन और तार विभाग में झूठे बिल बनाने की जालसाजी

3551. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन और तार विभाग में झूठे बिल बनाने से सम्बन्धित व्यापक जालसाजी का पता लगाया गया है, और

(ख) इसमें कितने कर्मचारियों का हाथ है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) हाल ही में एक मुखबिर तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की सहायता से डाक-तार विभाग ने 4 जून, 1971 को जाल बिछाया था। इसके परिणामस्वरूप एक लाइनमैन और एक मजदूर को मुखबिर को जयपुर के लिए एक लम्बी दूरी के काल की पेशकश करते और बम्बई के एक काल के लिए दो टेलीफोन उपभोक्ताओं की लाइनों को परस्पर बदलते रंगे हाथ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने इन दोनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है और उनके मामलों में आगे कार्रवाही की जा रही है।

8 जून, 1971 की रात को घटी एक अन्य घटना में एक टेलीफोन उपभोक्ता की शिकायत पर पुलिस ने एक मजदूर को पकड़ा था। मजदूर ने उक्त टेलीफोन उपभोक्ता के टेलीफोन के कनेक्शन को टेप किया था।

नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3553. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड, दिल्ली के उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो (एस० पी० ई०) में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराये गये थे जिसके परिणाम-स्वरूप 2 दिसम्बर, 1969 को निदेशालय से कुछ दस्तावेज बरामद किये गये थे;

(ख) क्या इन अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया था जिससे वे रिकार्ड में हेरफेर न कर सकें तथा गवाहों पर अनुचित प्रभाव न डाल सकें, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) (i) श्री सी० एन० नरुला, नियंत्रक (मुख्यालय) नागरिक सुरक्षा, दिल्ली।

(ii) श्री बी० डी० सिंघल, शाखा इन्चार्ज, नागरिक सुरक्षा, दिल्ली।

(ख) जी नहीं।

(ग) (i) सभी सम्बद्ध रिकार्ड उसी दिन केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (विशेष पुलिस स्थापना) को दे दिये गये थे जिस दिन उनसे कहा गया था और इस प्रकार रिकार्डों में हेर फेर किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है, और

(ii) अधिकांश गवाह निदेशालय के बाहर के थे, और इसलिए निदेशालय का कोई व्यक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था।

सरकारी क्षेत्रों में संगपाकों का उत्पादन

3554. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में संगपाकों का उत्पादन करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). जी हाँ। कमप्यूटरों के इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद में निर्माण करने का निश्चय किया गया है उन्होंने छोटे कम्पयूटरों, नामतः टी० डी० सी० 12, का स्वदेश में विकसित तकनीक का प्रयोग करते हुए उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित समेकित सर्कटों आदि की उत्पादन तकनीक की तृतीय अवस्था के अनुसार टी० डी० सी० 16 और टी० डी० सी०–32 नामक मझोले और मझोले बड़े कमप्यूटरों का विकास किया जा रहा है। टी० डी० सी० 16 का उत्पादन 18 महीनों के अन्दर तथा टी० डी० सी० 32 का लगभग 42 महीनों के अन्दर सम्भवतः प्रारम्भ हो जाने की आशा है। इन कमप्यूटरों के लिए सम्बन्धित सूक्ष्म-यंत्र भी विकासाधीन है।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का अल्पशक्ति वाला ट्राँसमीटर

3555. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के मीडियम वेव तथा शार्ट वेव ट्रांसमीटर के दोषपूर्ण कार्यक्रम के बारे में पता है क्योंकि इनसे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को कलकत्ता से 200 मील तक की दूरी पर स्थित नगरों और गांवों में बिलकुल नहीं सुना जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दनी सतपथी) : (क) कलकत्ता केन्द्र के सभी मीडियम वेव ट्राँसमीटरों का कार्यकरण संतोषजनक है। शार्टवेव प्रसारण केन्द्रों से संकुलित शार्टवेव बेंड में हस्तक्षेप होने के कारण शार्ट वेव पर श्रवण में बाधा पड़ती है।

(ख) क्योंकि शार्ट वेव ट्रांसमिशन में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, इसलिए घरेलू सेवाओं के लिए शार्ट वेव सेवा के स्थान पर उत्तरोत्तर मीडियम वेव सेवा प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Pak Nationals in Various Districts of Madhya Pradesh

3556. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) The District-wise number of Pakistani nationals in Madhya Pradesh at present who have gone underground after coming to India on valid passports;

(b) The number of underground Pakistani nationals against whom look-out notices have been issued at present; and

(c) The action taken and proposed to be taken by Government in future to deport and prosecute such Pakistani Nationals ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) A statement giving the information as on 31st May, 19/1, is laid on the Table of the House,

(b) 227

(c) Legal action, including prosecution and deportation, will be taken as and when they are traced.

Statement

Statement giving the District-wise number of Pakistani nationals in Madhya Pradesh who have gone underground after coming to India on valid passports.

Name of District	Number of Pakistani nationals underground.
Bhopal	74
Bilaspur	3
Dewas	2
Gwalior	2
Hoshangabad	1
Indore	19
Jabalpu	10
Jhabua	1
East Nimar	9
Mandasaur	20
Ratlam	50
Sagar	9
Sehore	5
Seoni	1
Ujjain	21
Total :	227

Underground Pak Nationals Arrested in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat

3557. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state.

(a) The number of underground Pakistani nationals arrested in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat from Ist January, 1968 to date;

(b) The number of persons from whose possessions documents relating to spying on behalf of other countries and arms and ammunitions were recovered; and

(c) The number of those among them who were deported and the number of those prosecuted ?

The Minister of the state in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personel (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) to (c). According to the information received from the Government of Gujarat, 11 underground Pakistani nationals were arrested in the State between Ist January, 1968 and 10th June, 1971. Arms and ammunition were recovered from three Pakistani nationals in 1969. One of them was prosecuted and convicted under the Arms Act. The arms and ammunition recovered from the other 2 were deposited in the police station and they were asked to apply for grant of licence. No documents relating to espionage activities were recovered.

Information from the Governments of Jammu and Kashmir and Rajasthan is awaited and will be laid on the Table of the House.

Appointment of Commissions by Government

3558. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state.

(a) The number of Commissions appointed by the Central Government during the last three years;

(b) The expenditure incurred there on during the aforesaid period, Commission-wise; and

(c) The number of Commissions appointed by the Central Government which are functioning at present ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak Spies Arrested in Kishenganj in Bihar and Adjoining Areas of West Bengal

3559. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state.

(a) Whether some Pakistani spies were arrested from Kishenganj in Bihar and the adjoining areas of west Bengal during the month of April, 1971;

(b) If so, the number thereof;

(c) Whether the authorities suspected that some foreign transmitter is operating within a radius of about 6 miles from Kishenganj;

(d) If so, the action taken by Gover ment to locate it; and

(e) Whether the transmitter has since been located ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) to (e) : Inquiries were made by the State Government into the rumour that a secret transmitter was operating in Kishenganj area. But no unauthorised transmitter could be located nor has any unauthorised transmission been monitored.

दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक अपराधी की मृत्यु

3560. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री चौरी स्वामी दास नामक एक अपराधी को जो तिहाड़ जेल में एक मास की सजा काट रहा था जेल के अधिकारियों द्वारा इतनी निर्दयता पूर्वक पीटा गया था कि उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई;

(ख) क्या शव परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके शरीर पर 17 घाव हैं तथा उसकी मृत्यु रायफल बट के प्रहार से हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के अनुसार श्री चौरी स्वामी दास, जो अभियुक्त के रूप में तिहाड़ जेल, दिल्ली में एक माह का कठोर कारावास का दण्ड काट रहा था, 31 मई, 1971 को गम्भीर अवस्था में इर्विन अस्पताल में दाखिल किया गया। उसी दिन 9·45 बजे रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। शव परीक्षा से मालूम हुआ कि सिर के एक घाव समेत उसको शरीर में 17 घाव थे। डाक्टरी राय के अनुसार उसकी मृत्यु किसी मोटी अथवा सपाट वस्तु द्वारा कारित सिर के घाव से रक्तस्त्राव के कारण हुई थी।

मजिस्ट्रेट ने, जिसने जांच की थी, कार्यवाही में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोषी व्यक्ति को जेल के अन्दर पीटा गया है। तदनुसार तिलक नगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में जेल के तीन वार्डनों समेत 4 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

रीवा तथा सेन्ग्रोली (मध्य प्रदेश) के मध्यवर्ती गाँवों में नए तार-घरों का खोला जाना

3561. **श्री राणा बहादुर सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रीवा तथा सैन्ग्रोली के बीच प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा अन्त में तारघरों के नाम, जमीन के ऊपर लगे टेलीग्राफ तारों की किलोमीटर लम्बाई तथा भूमिगत केवल कन्डक्टरों की किलोमीटर लम्बाई का विवरण क्या है; और

(ख) मध्य प्रदेश में रीवा तथा सन्ग्रोली के मध्यवर्ती गांवों में और अधिक तार घर खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) रीवा और सैन्ग्रोली के बीच गोविन्दगढ़, चूड़ाहाट, सिंघी, जवान, दरबारगवान और वैधान स्थानों पर तारघर काम कर रहे हैं।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और अन्त में रीवा और सैन्ग्रोली के बीच तारघरों के नाम और ऊपर लगे तारों की लम्बाई संलग्न अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) किसी स्थान पर तार सुविधाओं की व्यवस्था सामान्यत: तभी की जाती है, जब योजना वित्तीय दृष्टि से आत्मक्षम हो। किन्तु प्रशासनिक/सार्वजनिक महत्व के कुछ स्थानों पर भी विभाग तारघर खोलने की अनुमति देता रहा है। रीवा और सैन्ग्रोली के बीच पड़ने वाले गांवों में तारघर उपर्युक्त नीति के अनुसार ही खोले जायेंगे। इस समय सैन्ग्रोली कोयला खान में तारघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विवरण

अनुबन्ध

	तारघर		तार लाइनों की लम्बाई	
	आरम्भ में	अन्त में	आरम्भ में	अन्त में
1. पहली योजना		गोविंदगढ़ सिघी	—	125·53 किलोमीटर
2. दूसरी योजना	गोविंदगढ़ सिघी	गोविंदगढ़ सिघी जैवान वैधान	125·53 कि० मी०	125·53 किलोमीटर
3. तीसरी योजना	गोविंद- गढ़ सिघी जैवान वैधान	गोविंदगढ़ सिघी जैवान वैधान दघरगवान	297 73 कि० मी०	297·73 कि० मी०
4. 1967–69 तक की अवधि	गोविंदगढ़ सिघी जैवान वैधान दघरगवान	गोविंदगढ़ सिघी जैवान वैधान दघरगवान चूड़हाट	297·73 कि० मी०	326·70 कि० मी०

5. चोथी योजना	गोविंदगढ़	—	326·70 कि० मी०	—
	सिघी			
	जैवान			
	वैधान			
	दघरगवान			
	चूड़हाट			

रीवा और सैन्ग्रोली के बीच केबिल नहीं हैं।

Secret Talks Held in Srinagar Between Plebiscite Leaders and Military Attache to British High Commission in Islamabad

3562. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) Whether the Military Attache to the British High Commission in Islamabad Brig. Hoerder, has been staying in Srinagar for a long time;

(b) Whether he has held secret talks with the Plebiscite Front Leaders and pro-Pak elements at Srinagar;

(c) Whether a high official of the Russian Embassy is also putting up with him there; and

(d) If so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Brig. G. H. Hoerder, Military Attache to the British High Commission in Islamabad, visited Srinagar along with his wife and stayed there between the 31st May 1971 and the 6th June 1971 in a house-boat.

(b) The State Government have intimated that they have no information of any such secret talks.

(c) No such official was putting up with the Brigadier during his stay at Srinagar.

(d) Does not arise.

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों के राजपत्रित अधिकारी

3563. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में श्रेणी-2 के राजपत्रित अधिकारियों के रूप में पिछले तीन

वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या उन्हें नियमित करने और यदि आवश्यक हो तो, नियमों में ढील देने के बारे में गृह मन्त्रालय के आदेश हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण इस मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित श्रेणी-2 के 5 राजपत्रित अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित करने के प्रश्न पर, भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात, उन नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं ।

भारत और सूडान के बीच व्यापार करार

3564. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सूडान के बीच एक व्यापार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस देश से निर्यात की जाने वाली और सूडान से आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अक्तूबर, 1965 के विद्यमान भारत-सूडान व्यापार करार के अन्तर्गत भारत और सूडान के बीच एक भारत-सूडान व्यापार प्रबन्ध पर हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) यह प्रबन्ध 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की 18 महीनों की अवधि के लिये प्रभावी है और इसमें लगभग 112 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था है ।

(ग) इस प्रबन्ध में भारत से सूडान को चाय, पटसन के सामान, मसाले, वस्त्र, मसूर और इंजीनियरी का सामान और अन्य वस्तुओं के निर्यात और सूडान से भारत में कपास, गम एरेबिक और खालें तथा चर्म के आयात की व्यवस्था है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में कोयले की कमी के समाचार

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : मैं इस्पात तथा खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"देश के कोयले की कथित अत्यधिक कमी जिसमें औद्योगिक उत्पादन तथा निर्माण कार्यों पर कुप्रभावि पड़ा है :—

विवरण

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : देश में समस्त मांगों की पूर्ति के लिये कोयले के उत्पादन का स्तर पर्याप्त है। 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के विगत तीन वर्षों के दौरान में उत्पादन क्रमश: 754, 757 और 707 लाख टन था। उक्त वर्षों के अन्त में तत्समान गर्तमुख स्टाक क्रमश: 59·50, 70·80 और 92·10 लाख टन था। गर्तमुख स्टाक के संचयन का मुख्य कारण, उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ताओं तक कोयले के संचलन की कठिनाई है। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन, निर्माण कार्यकलापों, विद्युत उत्पादन इत्यादि के लिये देश में कोयले की कमी रही है।

2. रेलवे विभाग द्वारा वैगनों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की असमर्थता के कारण, विगत तीन वर्षों में कोयले के प्रेषण में कमी होती रही है। 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के दौरान कोयले का प्रेषण क्रमश: 675·50, 661·70 और 605·00 लाख टन रहा है। विगत तीन वर्षों में लदान किए गए वैगनों की प्रतिदिन औसतन संख्या 7895, 8133 और 7461 है। बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों में, वैगन आपूर्ति स्थिति, देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक खराब हो रही है। अप्रैल 1971 से यह स्थिति और अधिक बिगड़ी है।

3. रेलवे ने बताया है कि विधि और व्यवस्था स्थिति में क्षय के परिणाम-स्वरूप बंगाल-बिहार क्षेत्र में ऊपरी तारों, वैगन-पुर्जों, सिगनल देने वाले और अन्य उपकरणों की वृहत मात्रा में चोरियों रवं रेलवे कर्मचारियों पर प्रहारों के कारण वैगनों की कमी हुई है।

4. भारत सरकार समस्या से पूर्णत: परिचित है। सम्पृक्त राज्य सरकारों के सहयोग से अशान्ति-ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुन: प्रवृत करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन कदमों से विधि और व्यवस्था स्थिति में सुधार होगा और रेल सक्रियाओं में शीघ्र ही सामान्य स्थिति प्रत्यावर्तित हो जाएगी। यथा सम्भव शीघ्रता के साथ कोयले के संचालन के लिये अतिरिक्त वैगनों की उपलब्धता से उपभोक्ता केन्द्रों में की वर्तमान कोयले की कमी समाप्त हो जाएगी।

Shri Mukhtiar Singh Malik : Almost all the necessries of life are in short supply in the country. Many Industries which are dependent upon coal are facing closure because of the shortage of coal. Many kilns have already closed down. These things apart competition is rampant in the country.

Brick is selling at the rate of one hundred per thousand although the control price is Rs. fifty per thousand. In Haryana several restrictions have been imposed on the kilns and the Government have acquired all the first grade bricks. The kiln owners have been ordered not to sell the bricks in the open market. Even after the withdrawal of

restrictions on dealing in coal in 1967. Some State Governments on their own impose some restrictions on the distribution, sale and import of coal. During the last three or four months some state Governments have approached the Central Government that they may be authorised to imposer estrictions on the distribution and rate of coal. Some state Governments have imposed restrictions even after the central Government has refused them permission for doing so. The Hon. Minister have stated that shortage has been created due to the short supply of wagons but I would say that artificial scarcity is also created by imposing restrictions, The hon Minister has shifted the entire responsibility on the Railways. The Railways say that if the law and order stuation is not good Wagons can not be moved. I want to know as to how long such things will go on ? May I know whether some State Governments such as Delhi and Haryana had asked for permission from the central Government for imposing restrictions on the sale, distribution and purchase of coal ? May I know whether it is a fact that necessary permission was refused to them and inspite of them these state Governments have imposed restrictions on the sale, purchase and distribution of coal ? Secondly I also want to know whether it is a fact that the central Government removed all restrictions on dealing in deal by a Government notification in 1971. May I know whether they have received representations from the people that states are interfering in the matter and are their creating artificial scarcity;

May I know whether the hon. Minister has fix any target date whereby the scarcity of coal will be removed.

श्री मोहन कुमारमंगलम् : भारत सरकार नें कोयले के वितरण पर नियंत्रण लगाने पर किसी राज्य को अनुमति देने में इन्कार नहीं किया है। परन्तु हमें किसी से इस प्रकार का नुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य का विचार ठीक है कि कोयले पर 1967 में नियंत्रण हटा लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप उद्योग अथवा उपभोक्ता को कोई कठिनाई नहीं हुई। आम उपभोक्ता को कठिनाई का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि कोयले के परिवहन में कठिनाई है। सी बात नहीं कि कोयला उपलब्ध नहीं है।

मैं नहीं समझ सका कि कृत्रिम कमी से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है।

जहां तक कोयले की कमी को दूर करने हेतु कोई लक्ष्य तिथि बताने का सम्बन्ध है मैं इस बारे में कोई तारीख नहीं बता सकता क्योंकि हमें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कल ही दुर्गापुर में बन्द था इसी कारण दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में 10,000 माल डिब्बे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सके। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस मामले को हल करने के लिए गम्भीर रूप में ध्यान दे रही है।

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : Shortage of coal is not attributable to the short fall in production but to non movement of Coal wagons. It is true that law and order situation in Eengal is not good but I would say that it should not have any adverse effect in Delhi.

In Delhi Coal is selling at Rs. 200 per tons, where as in collireis it is 30 rupees per ton. Inspite of the adverse law and order situation in Bengal and Bihar the passenger trains have not been cancelled. They are running as usual. May I know the reasons for

not moving the goods trains from those areas. The fact is this that people have to give bribe for getting wagons. The artificial scarcity should be removed. The Government should also make this house know about the steps being taken by them to remove the scarcity;

श्री मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य इस बात की उपेक्षा कर रहे कि जब बंगाल और बिहार जैसे बड़े क्षेत्रों में मालडिब्बों की कमी होती है तो इसका प्रभाव समूचे देश में विशेषकर उत्तरी भारत में भी पड़ता है। जहाँ तक यात्री रेलगाड़ियों के चलाए जाने का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गाड़ियों को रोके जाने, तारों के काटे जाने आदि की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिस कारण गाड़ियों को समय पर चलने में कठिनाई हो रही है।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : क्या मालडिब्बों की वास्तव में कमी है अथवा मालडिब्बों को रोका जा रहा है।

श्री मोहन कुमारमंगलम : रेलवे प्रशासन के अनुसार मालडिब्बों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि विधि व्यवस्था की स्थिति के कारण मालडिब्बों के विभिन्न भागों की चोरी तथा तांबे के तार की चोरी के कारण मालडिब्बों की उपलब्धता में कमी है।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : 5538 Wagon were being supplied till 1970 to the colleries per day against the target of 7,000 wagon per day. It means daily 840 wagons less than target are being supplied to the colleries and the colleries have stock of 92 lakh tonnes of coal. It create many problems as the colliery owners employ server worker than ordinarily required. The workers are being rendered jobless as the coal is not being loaded the owners are cutting short the production of coal.

A meeting for the supply of co'ing and blading coal to the steel plants was held and it was decided to supply 5600 wagons per day. Due to the shortage of coal construction activities have come to a standststill which has resulted in the unemployment of workers. Even in the western sector several Industries have been closed. Even those are running soome how these are running into loss the Government should try to impose the law and order situation as in Bihar they have their hon ministry and President's rule has already been imposed in Bengal.

Special quota of coal is actually meant for specialised Industries but it has been alloted to fictitious persons. If the Government is prepared to look into the matter I can give the list of fictious persons to whom the special quota has been alloted. M/s Shab and Vohra received 75 wagous. I can give details about that if the Government so deserves. In our socialistic pattern of society the officers are becoming capitalists overnight. I want to know the steps being taken by Government to remove this artificial scarcity of wagons.

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : मैं इस बात में इन्कार नहीं करता कि रेलवे में भ्रष्टाचार है। प्रश्न यह है कि दोषी व्यक्तियों का पता किस प्रकार लगाया जाये और उनको दंड दिया जाये।

माननीय सदस्य ने जो मुझे सूचना दी है मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और मैं इन चीजों को रोकने का प्रयास करूंगा। असली प्रश्न तो मालडिब्बों की कमी का है। अतः यदि भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर भी दिया जाये तो भी देश में कोयले की पर्याप्त सप्लाई

नहीं हो पायेगी । कोयले की सप्लाई में हड़तालों, और बाँधों से बाधा पड़ रही है । पिछले चार दिनों में दो 'बन्द' हो चुके हैं । अतः इनमें कोयले की सप्लाई में बाधा पड रही है ।

Shri Ramvtar Shastri (Patna) : The coal crises is taking a serious turn. It is having adverse effect or all fields of social life. Many Industries have been closed down due to shortage of coal. We can guage the gravity of the coal crisis from the rise in its prices which has taken place during the last three or four months.

It is true that strikes and 'bonds' have some effect on the transportation of coal but it is not the real cause for its shortage.

About five thousands wagons are lying idle in Eastern Railway for want of repairs Wagons are not supplied to transporting coal in sufficient numbers. This is the main cause.

More workers should be recruited for the construction and repair of old wagons. The Government can not escape responsibility by saying that law and order situation is not normal and that 'bundh' and strikesare taking place. Thefts are being Committed on the railway with the convinance of Railway officials.

The Government can not stop the 'bandhs' and strikes as long as it continues the anti-labour and pro-capitalist policy. The recommendations of the wage Board have not yet been implemented. The Government have also not taken steps to remove the other difficulties of the labour. All this leads to strikes and 'bundhs.'

Colliery persons are indulging in malpractices to bring about rise in the price of coal.

May I know the steps taken by Government to check these malpractices.

Had the Government taken some steps so many collieries would not have been closed down.

Both Railway and State Minister should justify try to solve this problem. The Government should take into problem from all the angles and all the loopholes should be plugged.

May I know whether Government is prepared to nationalize the collieries keeping in view the present crises and if not, the reasons therefor ? May I also know whether Government propose to raise the strength of the labourer who do repair work and if not the reasons therefor and if so, the plan of the Government in this regard ?

I also want to know the steps so far taken by Government to check wagon-breaking.

May I know whether the Government have taken any step whereby the labourers can get minimum facilities under the rules and if so the details therof;

श्री हनुमन्तैय्या : मेरे विचार में रेलवे के मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। खराब पडे मालडिब्बों की मरम्मत के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। यदि आवश्यक हुआ तो और मैकेनिक भर्ती किए जायेंगे।

श्री चपल भट्टाचार्य (गिरिडीह) : गिरिडीह की कोयला खानों को निर्धारित मालडिब्बों की संख्या का छटा भाग ही मिल रहा है। यह सब कोयले के प्रतिकूल परिवहन के नाम पर किया जा रहा है।

परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयला खान कम्पनियों के पास कोयले का स्टाक प्रतिमास बढ़ रहा है। लगभग 14 करोड़ रुपये के मूल्य का कोयला वहां पड़ा है और कोयला खान मालिक इसके मूल्य की राशि की पूर्ति को मजदूरों की छंटनी तथा तालाबन्दी आदि करके पूरा करते हैं।इसका अन्य प्रभाव यह पड़ता है कि कोयले के मिलने में कठिनाई के कारण लोग तेल का अधिक प्रयोग करने लगे हैं जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ रहा है। इस समस्या के हल के लिए या तो 1967 में की वेगन-नियतन पद्धति फिर से लागू की जाय और या स्थानीय समन्वय मन्त्रण समिति गठित की जाए जो कि समस्या के हल के लिए स्थानीय प्रयत्न करे।

श्री हनुमन्तैया : मैं सभी जांच करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैसूर अग्निशामक बल (संवर्ग और भर्ती) नियम, 1971

श्री राम निवास मिर्धा : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं निम्नलिखित सूत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद-घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर अग्निशामक बल अधिनियम, 1964 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर अग्निशामक बल (संवर्ग और भर्ती) नियम, 1971 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 3 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 163 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपयुक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 550/71**]

गैर -सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वॅल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की माँगें जारी

DEMANDS FOR GRANTS CONTD.

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय जारी

डा० बी० के० आर० वर्द्धाराजा राव (बेल्लारी) : सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि 1961 और 1969 के बीच सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सम्बन्ध में लगभग 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है, अर्थात् इस अवधि में रोजगार के अवसर 126 लाख से बढ़कर 171 लाख हो गये हैं । परन्तु इसके साथ ही यदि हम इस अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में अन्य रोजगार चाहने वालों की संख्या देखें तो प्रतीत होगा कि यह संख्या 183 लाख से बढ़कर 342 लाख हो गई है । अर्थात् इस संख्या में 87 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसके साथ ही यह आंकड़े एक बात और भी स्पष्ट करते हैं कि बेरोजगारी अनपढ़ लोगों की अपेक्षा शिक्षित लोगों में अधिक बढ़ रही है । यह आंकड़े स्थिति की गम्भीरता को प्रकट करते हैं । दुर्भाग्यवश मन्त्रालय की रिपोर्ट में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए श्रम मन्त्रालय द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं । अतः मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि इन बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में सारे देश में क्या नीति अपनाई जायेगी ।

रोजगार कार्यालयों को रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों का पंजीकरण करने वाली संस्था मात्र माना जाता है । यह उचित नहीं है । देश में इस समय लगभग 500 रोजगार कार्यालय हैं । इन कार्यालयों को इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जहां पर पंजीकरण के लिए आने वालों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाये । जिससे उन्हें रोजगार पाने में भी कुछ सुविधा हो ।

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण के सम्बन्ध में इसकी असन्तोषजनक बात यह है कि एक ओर तो जहां रोजगार पाने के इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है दूसरी ओर इन कार्यालयों के माध्यम से काम पाने की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि नहीं हुई । इस सम्बन्ध में

जाँच करके यह पता लगाया जाए कि इस बारे में समुचित कानून के होते हुए भी क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की जाती है अथवा नहीं और यदि ऐसा किया जाता है तो यह रोजगार क्यों नही बढ़ रहा ।

यह बहुत ही दुखदायी बात है कि श्रमिकों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । यह ठीक है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड है । परन्तु बोर्ड द्वारा इस विषय में कोई कार्य नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों के लिए सायंकालीन कक्षाएं चलाई जाती हैं, क्या श्रमिकों को इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ? हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए और श्रमिकों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति अधिक सचेत करने के लिए श्रमिक शिक्षा आन्दोलन का जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ? यह प्रमुख प्रश्न हैं और श्रम मन्त्रालय के भूतकाल में इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है ।

यह भी आवश्यक है कि हम देश में श्रमिक विश्वविद्यालय स्थापित करें । श्रमिक शिक्षा में हमें कालेजों और विश्वविद्यालयों का अधिक उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार का श्रमिक विश्वविद्यालय होना चाहिए जहाँ पर प्रबन्ध में भाग लेने के लिऐ श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । जब तक श्रमिकों को प्रशिक्षण नहीं मिलता तब तक उनके लिए कार्य करना अति कठिन है । अत: इस दिशा में गम्भीरता पूर्वक कदम उठाया जाना चाहिए ।

श्रमिकों को प्रबन्ध में साझेदार बनाने की नीति अब स्वीकृत हो चुकी है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में उन्हें साझीदार तो बनाया ही जा रहा है । परन्तु मुझे विश्वास है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इस नीति को लागू किया जायेगा । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को इस दिशा में उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त हो । जिससे वे प्रबन्ध में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें ।

जहां तक पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों का सम्बन्ध है मेरा मत है कि उनके पुनर्वास सम्बन्धी कार्य लगभग पूरा हो चुका है । परन्तु मैं चाहता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों के भीतर पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास की स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत किया जाये । बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सामाजिक आर्थिक आधार पर उनकी जनगणना करवाई जाये । उनके भारतीय होने, उनकी जायदाद आदि के बारे में बाद मे विवाह उठ सकते हैं । यह जनगणना उसके लिए उपयोगी हो सकती है ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मंजूरी के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है । सरकार का इस बारे में केवल इतना ही मत है कि मजूरी का उत्पादन के साथ सम्बन्ध होना चाहिए और 'इनटक' सहित सभी मजदूर संघों ने इस मत को मानने से इन्कार कर दिया है ।

श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है । यदि 1949 को आधार वर्ष माना जाए तो यह सूचकाँक 100 से बढ़ कर मार्च 1971 में 225·6 हो गया है । यह बहुत

अधिक वृद्धि है। परन्तु इसकी तुलना में वास्तविक मजूरी में निरन्तर कमी हो रही है। 1971 के नये बजट के पश्चात तो इस मजूरी में और अधिक कमी हो गई है। श्रमिकों को आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी देने की दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मजदूर संघों को मान्यता देने की वर्तमान पद्धति सुचारू नहीं है। इसके स्थान पर गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता देने का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये। इसी से ही औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा। आज देश में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिदिन हड़तालें हो रही हैं। सरकार ने इस बारे में क्या किया है। पिछले काफी समय से दिल्ली के होटल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। काफी लम्बे समय से वे अपनी मांगे रखते रहे हैं। मंत्री महोदय को उनका विवाद निपटाने के लिए कुछ करना चाहिए।

मंत्रालय की रिपोर्ट में संविद् श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वियन के परिणामों से हमें सूचित किया जाय। कोयला खानों में संविदा श्रम को समाप्त करने के बारे में काफी समय से मांग की जाती रही है। कोयला मजूरी बोर्ड ने भी इस मांग को स्वीकार किया है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। नियोजकों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में उल्लघंन के सम्बन्ध में भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। औद्योगिक विवाद अधिनियम के व्याप्त सभी दोष दूर किये जाने चाहिए।

हस्पताल के कर्मचारियों और इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है कि उन्हें सं घबनाने और उसका पंजीकरण करवाने का अधिकार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

पूर्वी बंगाल से 1969 से पूर्व आए हुए शरणार्थियों को पुनर्वास सम्बन्धी वही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो कि पश्चिमी पंजाब से आने वालों को दी गई थीं। यह तो सर्वविदित बात है कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों में से 50 प्रतिशत को भी बसाया नहीं जा सका है। कई बार यह बात कि बहुत से शरणार्थी अन्डमान द्वीप जाने को तैयार हैं। समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कठिनाई है। जो लोग वहां जाने को तैयार हैं उन्हें वहां पर भेजा जाना चाहिये। माना शिविर में अभी भी 10,000 पुराने शरणार्थी अपने बसाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस बारे में असफल रही है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियो की समस्या का दूसरा पहलू है नए शरणार्थी। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। सरकार ने इनके बारे में दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। मई मास में जब प्रतिदिन 60,000 सीमा पार करके आ रहे थे तो सरकार ने बीस लाख लोगों के आने के अनुमान लगाये। आज प्रतिदिन एक लाख व्यक्ति आ रहे हैं इनके लिए पर्याप्त तैयारियां की गईं। इसके परिणामस्वरूप आज यह स्थिति है कि शिविरों में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पिछले तीन महिनों से एक ही साडी में हैं। लगभग 30 प्रतिशत लोगों को राशन मिल

रहा है। रोगियों की सेवा के लिए डाक्टरों व नर्सों की कमी है। परन्तु इस सारी स्थिति के लिए सरकार की निष्क्रियता तथा निर्णय न लेने की नीति जिम्मेदार है। यह ठीक है कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर यह बहुत भार है परन्तु फिर भी पड़ौसी के नाते, मानवता के नाते हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना है।

शरणार्थियों की समस्या के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बारे में जो संसद में किया गया उतना काम बाहर नहीं हुआ। लोगों से यह अपील नहीं की गई कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों से त्रस्त ये लोग भारत आये हैं और उनको अपना अथिति समझते हुए हमें उनके लिए अधिक से अधिक त्याग करना है। ऐसा वातावरण बनाने में हमारी सरकार पूर्णतः विफल रही है। यदि सरकार ने भारतीय लोगों को उनकी सहायता के लिए जगाया होता तो जो मेघालय या आसाम में हुआ, वह न हुआ होता। पाकिस्तान ने अपनी जनसंख्या का एक बड़ा भाग इधर भेज दिया है। जब तक बंगला देश की समस्या का कोई निश्चित समाधान नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। उनमें अधिकांश हिन्दू हैं और वे वापस नहीं जायेंगे। शरणार्थियों में से केवल कुछ ही वापस जायेंगे। यदि भारत की जनसंख्या 3 मास में ही एक करोड़ बढ़ जाती है, तो फिर परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम का क्या लाभ हुआ।

शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए हम अमरीका और ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादियों से सहायता की आशा कर रहे हैं। वे तो खुले आम पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। जो लोग लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम में नरसंहार कराने पर तुले हुए हैं, क्या वे बंगला देश में नरसंहार को रोक सकते हैं। अब समय आ गया है जबकि हमें दृढ़ नीति अपनानी चाहिये। हमें अब और अधिक देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक देर होगी पाकिस्तान उतना ही अधिक फायदे में रहेगा। उसी अनुपात में भारत पर बोझा बढ़ता जायेगा। शरणार्थियों के पुर्नवास के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि उनके पुनर्वास के कार्य में लगे गैर सरकारी और सरकारी संगठनों में समन्वय होना चाहिए। अब तो सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। बंगला के त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल में विद्यमान प्रतिनिधियों से यह अपील की जाये कि वे ऐसे युवकों को प्रशिक्षण के लिए भेजें जो छापामार युद्ध कर सकते हैं, और उनके वृद्ध लोगों से शिविर के प्रबन्ध या वहां बच्चों के शिक्षण काम लिया जाना चाहिए। ये वृद्ध लोग शरणार्थी शिविरों में अन्य लोगों को समझायें और उनकी हिम्मत बंधायें ताकि वातावरण के अनुकूल होने पर सभी शरणार्थी वापस चले जायें।

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : Mr. Speaker Sir, the number of unemployed persons in our country is about one crore and 50 lakhs. Out of them about 18·22 lakhs are educated. According to report there were 63434 engineers and diploma holder on 30—6—1 970, who could not find employment. More then 20 thousand highly educated people went to foreign countries when they could not secure employment here. It is unfortunate that Government is paying more attention and giving more importance to I. A. S. I. P. S. and I. F. S. Officers and paying them high salary, while the scientists and technicians

are being ignored. But for the progress of the country the scientists and technicians are more essential and important than the civil servants. In our country the scientists and the technicians are not given the status, the position and the salary which they deserve. Even on the posts purely technical in nature the I. A. S. and I. F. S. officers have been posted. Government should change this policy. There is no need for recruitment on the posts of I. A. S. and I. F. S. Technicians and scientists should be posted on the posts which are purely technical.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Dy. Speaker in the Chair.

Government should bring down the retirement age of Government servants from 58 years to 55 year. It would provide employment to approximately 75 thousand persons. Some of the unemployed engineers and other technical people have set up their own Industrial units and they are '. manufacturing articles of high quality. But it is deplorable that we do not purchase their manufactures. Instead similar things are being imported from abroad on higher rates. Instead of encouraging them our Government is disappointing them. The Government should ensure by law that things which are manufactured in the country and which are available in local markets should not be allowed to be imported. For jobless engineers; scientists and technicians, self-employment is the only solution. But our Government should create proper and suitable opportunities for this.

As regards the settlement of refugees. We have spent crores of rupees on rehabilatation of repartiates from Burma Ceylon, Tibet and Pakistan. At this time we are confronted with a new and stupendous problem of influse of refugees from Bangla Desh. In my opinion about 90 lakhs refugees have already come to India from Bangla Desh. and their rumber will soon rise to one crore. We congratulate our Government for what they are doing for these evocuees. But we have our own limitations. In fact, these refugees are the responsibilites of Pakistan and the international community. They should take necessary steps in this direction. If they do nothing, we have every right to demand a part of the territory of Pakistan proportionate to the number of refugees to be settled by India.

The people whose land has been acquired by Government for Pochampad Project should be given good and cultivable land in exchange.

Coming to the Industrial relations. I request the Government to reconsider the entire question of industrial relation and enact suitable law in consultation with the trade unions and the employers, under which lockouts, strikes and bundhs are bonned for as least ten years. The recommendations of the Gajendragadkar commission should be implemented so that the labourers can get more benefits and facilities. Need based wage should be introduced and the principle of "payment by returns" should be implemented. Employment Provident Fund Scheme should be extended to all industries and workers and state labour welfare fund should be introduced in all the states. With these words I support the Demands.

Shri R. V. Bade (Khargdone) : Sire, thereare more than 85,000 refugees in Mana Camp in Madhya Pradesh. They have not yet been fully settled. Recently about 63232 refugees have been sent there. These are the people who have come here from Bengla Desh.

They are being kept separately on the plea that they will be sent back to their mother land. But they are not prepared to go back. Our Government is so weak and impotent that they feel completely helpless before the Pakistan Government.

Mana is an Adivasi area. These Adivasis are unable to understand why these refugees are being sent to Mana Camp. In fact, the residents of this area are no better than refugees. The Adivasis have not the sufficient land even for themselves. So Government should not sent these refugees to adivasi areas. They can be sent to the camps situated in Bilaspur, Hoshangabad, Jabalpur and Sagar.

Our Government say that the problem of refugees will be solved within six months, but they will not be able to do so because they are not prepared to go back. So Government should consider the suggestion of giving training to youngmen among the refugees who are able bodied and anxious to be trained and fight against the military regine of Pakistan.

Our Government should send these refugees to different places in India so that they can tell the Indian people what atrocities have been committed upon them by Yahya's men. People will then realise the seriousness of the situation and it will help creating a suitable enviornment in the Country. I want to make an appeal that the people who have come from Bangla Desh should not be called refugees. Instead they should be called evacuees or displaced persons. In the chamble area there is a vast tract of land which is still lying barren. If it is reclaimed earlier, a large number of rufugees can be settled there. You have asked for a sum of Rs. 31 crores only. But it will not do this work, and you will have to demand supplementary grants later on. Our Government have no plans, no schemes for these people.

Government should formulated Concrete plans for settlement of displaced persons.

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा (कचार) : मैं सरकार का ध्यान अपने जिले कचार चाय के बागान की ओर दिलाना चाहती हूं । वहां चाय बागान की स्थिति बिगड़ती जा रही है और कुछ में काम बिल्कुल बन्द हो गया है । वहाँ बेरोजगार मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है । चाय बागान के फालतू मजदूरों के लिये कोई दूसरे रोजगार की व्यवस्था नहीं है । जो भूमि चाय बागान के पास फालतू है वह भी इन लोगों को नहीं दी जाती है ।

मेरे जिले में कागज और रेयन के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । निर्वाचन के दौरान प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि कचार के जिले में एक कागज और लुगदी मिल लगाया जायेगा, किन्तु इसके बावजूद इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत चाय बागानों के मालिकों से भूमि अधिग्रहीत की जानी थी और बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाना था । किन्तु ऐसा नहीं किया गया । तीसरी लोक सभा के

कार्यकाल में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था जिसने 1968 में अपना प्रतिवेदन दिया था उक्त आयोग ने 6·11 लाख रुपये की राशि विस्थापितों के विकास और उनके लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए सुझायी थी जहां तक मुझे पता है इस आयोग की सिफारिशें नहीं मानी गई और विस्थापितों के लिए बनाई गई योजना लागू न हुई। सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी योजनाओं पर नियन्त्रण रखा जा सके। मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की योजना भी पूर्णतः विफल रही है। इस योजना पर भी पैसा तो खर्च किया गया पर विस्थापितों को उससे कोई लाभ न हुआ। 'चकारा' आदिवासियों को तो आसाम में रेल की पटरी के दोनों ओर खाली पड़ी इस भूमि पर बसाया जा सकता है जो नागालैंड की सीमा पर है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आसाम में विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के अध्ययन के लिए एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की जाये जैसी कि पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त की गई है।

आसाम के निराश्रित गृहों के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह बहुत ही क है। इन गृहों के भवन भी टूटे फूटे पड़े हैं। क्षय रोग वाले विस्थापितों के लिए जो आर्थिकम सहायता दी जाती है उसमें किस स्तर पर विलम्ब किया जाता है, इस बात की जांच की जानी चाहिए।

कलकत्ता में रिहाबिलिटेशन इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि वह गैर-सरकारी अथवा सहकारी कारखानों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देकर अथवा अपने स्वयं के कारखाने खोलकर विस्थापितों के लिए रोजगार के अवसर जुटाये। किन्तु उक्त कार्पोरेशन का कार्य पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष राज्यों में नगण्य ही रहा है। 1 जनवरी 1971 को लगभग 2169 परिवार थे जो पुनर्वास के लिए प्रतीक्षा सूची में थे। इनमें से 1533 परिवारों को स्थायी रूप से बसाया जाना है। दण्डकारण्य परियोजना के 1971–72 के कार्यक्रम के अनुसार 1000 से 1250 विस्थापित परिवारों को बसाये जाने की योजना है। जो लोग हाल ही में पूर्व पाकिस्तान से वहां के शासकों के अत्याचारों से तंग होकर भारत आये हैं, उनके बारे में मेरा यह विचार है कि उनमें से अधिकतर पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थितयों के सामान्य होने पर भी नहीं जायेंगे। अतः सरकार को उनके पुनर्वास के लिए भी तैयार हो जाना है। उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इन शब्दों में मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : श्रम मंत्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय और विभाग में श्रमिक हैं जिनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। निर्वाचन से पूर्व भाषणों में और हाल ही में हुए श्रमिक सम्मेलन में प्रधान मन्त्री और श्रम मन्त्री दोनों ही ने श्रमिकों की समस्या के बारे में अपने-अपने सुझाव दिये थे। किन्तु 1970–71 का मन्त्रालय का जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है, उसमें की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। कम से कम प्रस्तावना के रूप में ही उसमें यह बताया जाना चाहिए था कि सरकार आगे क्या करने जा रही है। हमें आज और आने वाले कल की अधिक चिन्ता होनी चाहिए, जाने वाले कल की कम।

सरकार को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे श्रमिक वर्ग को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले।

हमारे यहां सरकारी क्षेत्र में अनेक उपक्रम खड़े किये गये। उनके लिए रूस, इंगलैंड, जापान, अमरीका और स्वीडन आदि सभी देशों से मशीनरी मंगाई गई। इन मशीनों की सहायता से भारतीय श्रमिक उतना ही उत्पादन कर सकता है जितना कि एक अमरीकी रूसी या अंग्रेज। किन्तु भारत में उत्पादन वहां की तुलना में एक चौथाई है। इसका कारण क्या है। यदि राष्ट्र को जीवित रखना है, तो भारत के प्रत्येक श्रमिक और किसान को प्रोत्साहित करना होग। इस क्षेत्र में बात अधिक की जाती हैं और काम कम। कृषि के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई है किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में नहीं। सरकार को अपनी नीति में इस प्रकार से परिवर्तन करना है कि वह श्रमिक वर्ग के अनुकूल हो जाये। हमारे देश में अन्य देशों की नकल करके अच्छे-अच्छे कानून बनाये तो जाते हैं किन्तु उनको यहां क्रियान्वित नहीं किया जाता।

मेरा यह अनुरोध है कि सरकार अगले सत्र में एक विवरण सभा में प्रस्तुत करे जिससे यह पता चले कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में औद्योगिक सम्बन्ध किस हद तक सुधरे हैं; उनमें उत्पादन में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है और सरकार ने इस दिशा में क्या किया है। भारतीय श्रमिक परिश्रमी और बुद्धिमान है उसे आवश्यकता है प्रोत्साहन की। यदि उसे प्रोत्साहन दिया जाय तो वह उतना ही उत्पादन कर सकता है जितना जापान या किसी अन्य देश का श्रमिक करता है। हालांकि वह अभी तक उनकी तुलना में पिछड़ा हुआ है।

श्रम मन्त्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अन्य मन्त्रालय के सामने जब श्रम-सम्बन्धी समस्याएं आती हैं, तो वे श्रम मन्त्री से परामर्श करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि श्रम मन्त्री के स्तर को बढ़ाकर मंत्रिमंडलीय स्तर का बनाया जाये। एक अन्य सुझाव यह है कि श्रम अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों का डर नहीं होना चाहिए। श्रम अधिकारियों का एक गुप्त विभाग होना चाहिए, जहां से वे प्रशासन से यह पूछ सकें कि उन्होंने अमुक सिफारिशें कार्यान्वित क्यों नहीं की है। अन्तत. श्रम अधिकारियों का कर्त्तव्य श्रमिकों के कल्याण की ओर ध्यान देना होता है। कई संस्थानों में प्रशासन के दबाव में आकर श्रम-अधिकारी श्रमिकों के हित के विरुद्ध काम कर जाते हैं। श्रमिकों की शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि उन्हें अध्ययन के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। डा० वी० के० आर० वी० राव ने भी श्रमिक विद्यालय की बात कही थी। श्रमिकों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इससे श्रमिकों का अत्यधिक हित होगा।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Deputy Speaker, Sir I support the demands of the Ministry. But there should be a cut of 80% in these demands, because the Ministry of labour looks after the interests of the organised labour and gives no security and protection to unorganised labour which constitutes about 85 percent of the working class.

I learnt from the report of this Ministry that there had been an increase in Industrial disputes in 1970 in comparison to previous years. These disputes caused a loss of 1,71,70,000 man-days with the result and loss of several crores of rupees.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morana) : Sir there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : गण-पूर्ति के लिए घंटी बजायी जा रही है......अब सभा में गणपूर्ति है ।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Chandrika Prasad : In case of industrial disputes, the Ministry of labour acts as fire brigade. The labour authorities deal with the labour disputes in an ordinary way. They never try to go into the root causes of the disputes. In such cases it would be useful to form bipartite Committees. Such Committees were constituted last year, but unfortunately, no serious efforts were made to make them a success.

At the time of last budget the former labour Minister Shri D. Sanjivayya gave an assurance to promote joint management Councils. I request the present labour Minister, Shri Khadilkar that he should fulfil the assurance given by his predecessor. In this contest I would like to suggest that joint management Councils should be set up in all industrial units which employ 100 or more workers. This should particularly be done in Government and semi-Government units. Another suggestion is that a standing Committee which should have representatives of management and workers and which should look after the labour-management relations. Moreover, a labour-management co-ordination division should be formed in the Ministry which should work for the setting up of worker Committees and joint management Councils.

The rural works programme is a very good one. It will solve the problem of unemployment to a great extent. But it has not been implemented so far. Under this programme, backward and under-developed regions of the country should be given more funds.

The Government appointed an Expert Committee about six months ago to study the problem af unemployment. But so far it had not been able even to prepare a questionnaire. The labour experts should be appointed on this Committee and this Committee should expedite its work.

As regards the unorganised labour I would like to say that it constitutes 85 percent of total labour population What is the social security or the protection you provide to a rekshaw-puller, a boatman or an agricultural labourer ? The unorganised labour is a neglected section of the society and our Government is doing nothing for them, although they form a mojar part of our population. There are no facilities like housing, medical, education and state insurance-available to them. Government should consider this matter seriously. All facilities available to other categories of employees should be made available to these workers, who are known as unorganised labour. Before election we made a number of promises to the rickshaw pullers, the agricultural labour and the petty employees in shops etc. We should fulfil our promises by enacting necessary laws where necessary and by Taking other urgent steps. Otherwise the people will be dis-appointed. About porters and vendors of railways, I want to suggest that they should get the same facilities as are available to the railway employees. The interests of commercial and Ministerial clerks in railways should be safeguarded. With these words. I support the demands of the Department.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय श्रम मन्त्रालय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में पूर्णतः विफल रहा है। पुनर्वास और रोजगार के मामले में भी मन्त्रालय का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिक शान्ति का अभाव रहा है। उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है और श्रमिकों को पूरा काम नहीं मिला है। इससे न केवल श्रम अर्थ व्यवस्था बल्कि सामान्य अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। वर्ष 1970 में बड़े पत्तनों पर 84 बार हड़ताल हुई। छोटे पत्तनों पर भी हड़ताल के नोटिस दिये गये। इस प्रकार लगभग 25 लाख श्रम दिनों की हानि हुई। बैंक उद्योग में भी 92 हड़तालें हुई। कोयला खानों में 184 बार, रेलवे में 13 बार, विमान सेवाओं में 8 बार और प्रतिरक्षा संस्थानों में 6 बार हड़तालें हुई। मेरा श्रम मंत्री से अनुरोध है कि वह ऐसा कार्य करें जिससे हड़तालों से बचा जा सके। क्या इसमें श्रमिकों का दोष है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देना चाहूंगा। इसमें दोष है सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति का जिसके कारण लोगों में एक धारणा बैठ गई है कि सरकार अनुरोध की भाषा को नहीं मानती बल्कि वह धमकियों और बल की भाषा को समझती है। सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति ढीली है और श्रम-विरोधी है। असंगठित श्रमिकों और भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिये भी यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। शिक्षित प्रशिक्षित लोग बेकार हैं अतः उनमें रोष और निराशा व्याप्त है।

अब वह समय आ गया है जबकि हमें आय, मूल्यों और मजूरी-मानों के बारे में एक निश्चित नीति तैयार करनी है, इस नीति को क्रियान्वित करना है। सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना अत्यावश्यक है। ऐसा किये बिना हम गरीबी दूर नहीं कर सकेंगे। गरीबी की समस्या 'गरीबी हटाओ' का नारा दे देने मात्र से हल नहीं होगी। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

जहां तक परिवार पेंशन योजना का सम्बन्ध है, वह श्रमिकों को स्वीकार्य नहीं है। यदि $5\frac{1}{2}$ करोड़ श्रमिकों में से जो भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत हैं, केवल कुछ ही परिवार पेंशन योजना को स्वीकार करते हैं, तो सरकार को इस योजना पर श्रमिकों के नेताओं के साथ पुनः विचार करना चाहिए। जहाँ तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है, उद्योगपतियों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि बढ़ती जा रही है और सरकार उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारे यहां वृद्धावस्था पेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों के काम के घंटों में कुछ कमी करने की माँग बार बार की है किन्तु सरकार उधर ध्यान नहीं देती। अन्य देशों में काम के घंटे 48 प्रति सप्ताह से घटा कर 45 प्रति सप्ताह कर दिये गये हैं। इस साधारण सी कमी से उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्त में, मैं अपने क्षेत्र के दो उद्योगों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भावनगर स्थित अलकोक अशडोन और अहमदाबाद की जहांगीर वकील मिल्स काफी समय से बन्द पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि सरकार उन्हें शीघ्र से शीघ्र अपने नियंत्रण में ले ले और उन्हें पुनः चालू कराये, ताकि उनमें काम करने वाले हजारों बेकार मजदूरों को पुनः काम मिल जाये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में औद्योगिक अर्थव्यवस्था तेजी से परिवर्तित होती जा रही है, हमारे श्रम मंत्रालय को भी इन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रम मंत्रालय अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं कर रहा है। हालांकि यह उद्देश्य स्पष्ट किया जा चुका है कि आज के समाज में औद्योगिक सम्बन्धों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि पूंजी और तकनीकी ज्ञान को दिया जाता है। हमारे देश में गत पांच–दस वर्ष में पूंजी और तकनीकी ज्ञान में तो काफी वृद्धि हो गई है और वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आस-पास पहुंच गई है किन्तु औद्योगिक उसी सम्बन्ध उसी अनुपात में नहीं सुधरे हैं।

हमारे देश में श्रम-सम्बन्धी नीति में अनेक परिवर्तनों की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय मजूरी नीति होनी चाहिए। संगठित श्रमिक चाहते हैं कि उनका जीवन-स्तर कुछ ऊंचा हो। उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। यदि मजूरी की दरें निर्धारित हो जायें और श्रमिकों को यह विश्वास हो जाये कि उनकी मजूरी में एक निर्धारित दर से वृद्धि होती जायेगी तो श्रमिकों में व्याप्त रोष और असंतोष एकदम दूर हो जायेगा।

प्राय: यह कहा जाता है कि श्रमिकों की मजूरी में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है और मजूरी में वृद्धि सम्बन्धी उनकी मांगे अनुचित हैं। यह स्वीकार करता हूं कि श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि हुई किन्तु उन्हें प्राप्त होने वाली मूल मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है। जो वृद्धि उनकी मजूरी में हुई है, वह मंहगाई बढ़ने के कारण हुई है, हालाँकि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया था कि मजूरी में वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप स्वयं ही होती रहे। किन्तु इसके लिये अभी तक कोई सूत्र तैयार नहीं किया गया है। जहां तक मजूरी का सम्बन्ध में उत्पादिता से जोड़ने का है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न पर केवल चर्चा ही की जाती है, केवल योजना बनायी जाती है किन्तु उसके क्रियान्वित नहीं किया जाता। उत्पादन वृद्धि में तभी हो सकती है जबकि श्रमिकों को यह विश्वास हो जाये कि एक निश्चित समय के बाद उनके वेतन में कुछ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य रूप से हो जायेगी। जापान में श्रमिकों को यह लाभ प्राप्त है और वहाँ उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जापान में एक मजदूर की मजूरी प्रति छ: वर्ष बाद दुगुनी हो जाती है। भारत में यह अवधि छ: के बजाय दस वर्ष रखी जा सकती है हमारे देश में आय और मूल्य के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। यही कारण है कि यहां श्रम सम्बन्धी अनेक विवाद उठते हैं। जब तक आय और मूल्य के बारे में उचित नीति नहीं होगी तब तक मजदूर मजूरी में वृद्धि की मांग निरन्तर करते रहेंगे।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है, यह सभी के लिए चिन्ता का विषय है। एक तो गत पांच या दस वर्षों में बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करने या बेरोजगार लोगों के आंकड़े एकत्र करने के जो तरीके अपनाये गये, वे ही दोष पूर्ण थे। दूसरे कुछ ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि रोजगार के विद्यमान अवसर भी कम होते जा रहे हैं। कोई भी उद्योग अपने यहां श्रमिकों की छंटनी कर देता है और सरकार उसे रोकने में असमर्थ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है–विदेशी तेल कम्पनियों का; जिन्होंने भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया और सरकार उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर सकी। इन कम्पनियों में पिछले पांच छ:

वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत दर कम कर दिये गये हैं।

औद्योगिक शान्ति के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि वर्तमान युग में औद्योगिक शान्ति की परिभाषा ही बदल गई है। अब औद्योगिक शान्ति का अर्थ 'हड़ताल का न होना', 'औद्योगिक संस्थान में संघर्ष आदि का न होना' नहीं है बल्कि इसका अर्थ है कि एक औद्योगिक एकक में उत्पादन कितना बढा है और उसके श्रमिकों का जीवन-स्तर कितना ऊपर उठा है। अतः औद्योगिक शान्ति के बारे में अब हमें अपनी पुरानी धारणा को बदल लेना चाहिए। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो इस समय लागू है, को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये और एक ऐसा अधिनियम बनाया जाये जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त हो और जिसके अनुसार सामूहिक सौदें कलेक्टिव बारगेनिंग किये जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : Mr. Deputy speaker, Sir, I would like to know the reason for which there is discontentment on lar.e scale in the labour in our country and why our Government has failed to solve this problem ? Large scale exploitation of labour is going on in coal mines and in textile mills, where a large number af labour is involved. In collieries and textile mills there are four to ten Unions in each organisation. The employers encourage more than one unions and they come in open clash with one another. Such clashes serve the purpose of the employers. In 1956 when the Award was going to be enforced, large scale retrenchment was done by the employers. These workers are still facing the problem of unemployment. Moreovers, the employers do not give even the minimum facilities to their workers. The contract system is prevailing in our country. It is one of the greatest evil, very little has been done so far to abolish the contract system.

The labourers are not being paid dearness allowance and bonus. They are being employed on less wages. There is no provision of sick leave in the collieries. Mines Act have not been enforced in the Nandini Colliery in Madhya Pradesh. What are the reasons therefor ?

Station Staff between Katni and Bilaspur is also facing many difficulties. They are not being given employment for the last one year for a minor mistake. It is necessary to establish a socialistic structure to look into their demands of the labourers.

Shri M. C. Daga (Pail) : The Government have been making anouncement for the last twenty four years in regard to the establishment of classless society. The aspirations of the poor have been raised to a very high extent but nothing has been done to fulfil them. The rich have become more rich and the poor have become more poor.

I do not doubt the intention of the Government. They have enacted laws but these laws have not been implemented properly. The poor are being exploited in the name of laws. Actually the capitalists are taking benefit of these laws.

All the laws related to the labourers should be brought under the Industrial Disputes Act. The labourers are being exploited everywhere in the factories, mills, hotels and at all other places of work. Even the policeman are working in the houses of the big

offices. I want to know as to how many people have been challanged under the shops and establishment Act ? How many persons have been challanged under the minimum wages Act ? May I know whether they have ever talked to the labourers and have tried to know their difficulties ?

May I know whether the collectors have been empowered to mediate and solve the disputes between small enterpuners and their labourers ?

Esential facilities have not been provided in the quarters constructed for workers at Pori .I have been demandii g for the last seventeen years that esential amenities should be provided in those quarters.

Incapable doctors are being employed in the Employees State. Insurance Hospitals. They steal medicines.

The condition of the labourers residing at Sarai Rohilla is pitiable. Children are being employed in the hotels and factories. More than eight trains work is taken from them. It is proper time that legislation should be enacted in this regard but they have never been enforced. It is time that labour commissioners should be appointed. The Government have failed to prepare a labour code in simple language. In the absence of all this the labourers are unaware of their rights. Had the Government not followed the pre-owners policy the rich could not have become more rich and pocr would r ot have beccme more poor;

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री बी० के० दास चौधरी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार में उन्होंने शरणार्थियों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया है। विभाजन के पश्चात् पूर्वी बंगाल में शरणार्थी निरन्तर रूप से भारत में आ रहे हैं। अब बंगला देश से पुनः बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना आरम्भ हो गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ा है। परन्तु परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सभी प्रकार की सहायता दी है। जहां कहीं असम्भव हुआ है सरकार ने उनके पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। सरकार ने शरणार्थियों को सेवाओं में वरीयता देने की नीति अपनाई है। उनको रोजगार देने के लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। 1969 तक आने वाले शरणार्थियों को बसा दिया गया है। केवल 5591 व्यक्तियों का बसाया जाना शेष है। 1970 में 2 लाख से अधिक व्यक्ति भारत आये। उनको हम आवश्यक सहायता नहीं दे सके क्योंकि उनमें से अधिकांश कृषक हैं और उनके लिये कम से कम 2·80 मिलियन एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस बारे में कुछ तथ्यों ने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है परन्तु कुछ राज्यों ने अपनी मजबूरी जाहिर की है, जो भूमि मिली है, उसमें भी लोगों को एकदम नहीं भेजा जा सकता क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाना, सड़कें बनानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। भारत सरकार ने 1970–71 के अन्त तक शरणार्थियों पर 327·29 करोड़ रुपये व्यय किये थे। अतः जो कुछ संभव है, सरकार कर रही है। माना तथा दण्डकाण्य के शिविर स्थायी नहीं हैं। यहां पर लोगों को केवल कुछ समय के लिये ही रखा गया है। हम उनको वैकल्पिक काम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ

उनको कुछ नकदी भी दी जा रही है। 31-3-70 तक प्रति विस्थापित परिवारों पर लगभग 13,676 रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इसमें जंगलों की सफाई, भूमि सुधार, स्वास्थ्य तथा सफाई के कार्य पर किया गया व्यय भी शामिल है। सारा धन शरणार्थियों को सुविधाएं आदि प्रदान करने पर ही व्यय किया गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी की अध्यक्षता में एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की गई थी। उसको कार्य का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। उक्त समिति ने सात प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। तीन पर विचार किया गया है। शेष पर विचार किया जा रहा है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : एक संसदीय दल ने अन्दमान का दौरा किया था और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री बाल गोविंद वर्मा : मैं इसको देखूंगा। जहां तक शरणार्थियों को मुआवजा देने का सम्बन्ध है, वहां, लियाकत करार के अनुसार मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। 2000, रुपये से अधिक के ऋण पर शरणार्थियों से ब्याज नहीं लिया जायेगा।

माना शिविर के 2·2 लाख शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाना शेष है। वास्तव में 1970 में बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी भारत आये थे। अतः उनके पुनर्वास के लिए स्थान तथा साधन ढूंढने की एक समस्या है।

नए आए शरणार्थियों के बारे में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। हमने सामुदायिक रसोइयों की व्यवस्था की थी परन्तु यह अधिक लोकप्रिय नहीं हुई है। अतः उनको ड्राईराशन देना ही उचित है ताकि वे अपनी सुविधा अनुसार उसको पका सकें। उनको ईंधन देने की भी व्यवस्था है। यह समस्या बहुत बड़ी है अतः इसको सुलझाना सरल नहीं है। हमने शरणार्थियों को सभी सुविधायें उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न किया है।

श्रीमती ज्योतना चन्दा ने कुछ सुझाव दिये हैं मैं उन पर विचार करूंगा। इण्डियन-टी एसोसिएशन सम्बन्धी जांच समिति के बारे में हम आसाम सरकार से प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके मिलते ही हम कार्यवाही करेंगे।

Shri Ram Kunwar (Tonk) : Whenever the labourers put forward their proposal to increase in wages to the owners, the employers threaten to close down their factories in the hope that labourers will be forced to return to the work for fear of starvation. It is against all causes of humanity to have such feelings against labourers.

I would request the hon. Minister that in such circumstances the Government should help the labourers in getting the compensation·

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

The labourers can be divided into two catagories i. e. the labourer coorling in the factories and secondly, the labourers working under the contractors of C. P. W. D.

The latter are not getting their full wages. They are getting only 3·50 paisa per day. If the Government have fixed such a low rate for the local labour I would request the Government to raise it.

Labour in large number are putting up in juggies in the big cities of Delhi, Punjab, Madhya Pradesh and Rajasthan. They have been living in these cities for the last so many years but no permanent accomodation has been provided to them. I would request the hon. Minister to allot plots to such persons who are living at the same place for the last five or ten years. Essential amenities have not been provided in the labour colonies set up at Madangi and Harayana.

Labour of Harijans in Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh and Punjab are without land although they have enough experience in Agriculture. The Government have taken of acres of land under the fourth Department. This land should be distributed among the landless Harijans and some persons belonging to the Scheduled castes.

M/s Raja Ram Company Committed several authorities on the labourers working on the M. A. S. Building. The Government has not taken any steps to check the such activities.

No Industry has been set up in any constituency. About fifty thousand labourers have to go to other areas for earning livelihood. I would request the hon. Minister to start some Industries in this area so that the labourer could get work in their home town itself.

I want to know the numbers of Hindus and Muslims separately among the Bangla Desh refugees and whether it will not create Communal tension here and whether. The Government have fixed any target date for their return. Whether any date has been fixed for their return.

What is the expenditure likely to be incurred on them by that date. I would request the hon. Minister to make proper arrangement to supply of puds fuel and also for their accomodation, Thank you.

Shri A. N. Vidyalankar (Chandigarh) : We have not yet been able to give the labourers a proper status in an society. We have also not been able to make them partner in the wealth which they produce with their hand labour. We have also not yet decided about the right of employment need based minimum wages and security of service. The Government should take early decision in this regard.

The probem of providing accomodation to the labourers is also very acute. Houses for all the labourers should be constructed overnight but we should make them feel that something is being done for them in this regard. The Government has also started a health service Scheme for the labourers but the conditions are such that the labours are loosing confidence in it. They are not sure whether on becoming old they will get medicines.

The Industrial Disputes Act has not been made applicable in many public and private Industries. The Industrial Internal gave its award on the all Indian cantonment Board. Employees Federation demand, about the years back. Many agreements were signed in persuance of this but none of them has been implemented. In fact, all the Ministers should be asked to take guidance from the labour Ministry in the matters connected with the labour.

Many old cases of rehabilitation are still lying pending. A list of all such cases should be prepared. An enquiry should be conducted as to why these cases are still pending.

The labour department should also pay attention to the Bangla Dash refuges. The unemployment problem should also be dealt with.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : सर्वप्रथम माननीय मन्त्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि श्रमिकों की समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता तो क्या इसको कम किया जा सकता है। हमने देखा है कि हम जैसे जैसे पूंजी प्रधान उद्योगों में धन लगा रहे हैं तैसे तैसे बेरोजगारी बढ़ रही है। मजदूरों की बढ़ती हुई मजदूरी दिये जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि यदि वेतन में वृद्धि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुकूल नहीं है, तो इसका क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। अतः हमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

आज के आधुनिक टेक्नालोजी के विश्व में यदि कोई व्यक्ति अधिक अच्छे ढंग से रोजी कमा सकता है और अच्छे ढंग से समय गुजार सकता है तो उसके लिए नौकरी ढूंढना आवश्यक नहीं है। अतः आधुनिक टैक्नालोजी के अधिक अच्छे प्रयोग से काम के घण्टों को कम किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उत्पादकता के लिये रोजगार के मामले में जापान का उल्लेख किया है जापान के लोग देशभक्त, मेहनती और अनुशासन में विश्वास रखने वाले हैं। ऐसी आशा है कि 1980 में जापान की प्रतिव्यक्ति आय अमरीका की प्रतिव्यक्ति आय के समान हो जायेगी। हमें भी इस क्षेत्र में और अधिक अच्छे ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

जहां तक रोगों के उपचार करने अथवा उनके उन्मूलन का प्रश्न है यदि किसी रोग का उन्मूलन करना संभव हो तो कानून बनाने तथा अन्य ऐसे उपाय करने, जिनसे कुछ सैक्शनों को भुगतान करना पड़े, आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या हमने लोगों का जीवन स्तर के अनुरूप वेतन देने के लिये देश में कोई आधार स्वीकार किया है। यह कहा जाता है कि एक भारतीय नागरिक के पास जब तक एक रोटी और लंगोटी होगी, वह जीवित रहेगा। अतः हमें अपने लिये इस प्रकार के जीवन को नहीं अपनाना चाहिये। 99·8 प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर एक जैसा है। केवल 0·2 प्रतिशत व्यक्तियों की आय में असमानता विद्यमान है। दूसरे शब्दों में हमने 99·8 प्रतिशत लोगों में असमानता को समाप्त कर दिया है।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : It is regretted that Government has down graded the rank of labour Ministry. It has been done at such a time when there is need for special attention to labour problems

Indian national Trade Union Congress has been representing India in all international labour conferences because this labour union has the largest membership. But now the Ministry has sent representatives of A. I. T. U. C. and H. M. S. as advisors in the

International Labour organisation. This is highly objectionable and it is a departure from the practice followed during the last 25 years.

Meetings of implementation Evalution Committee were being held previously where laboure disputes were settled after consulting owners and workers. But now this Committee has become inactive. This is because certain opposition parties which came to power in certain states after the 1967 election have condoued indiscipline.

The Government used to give relief to the labour through the medium of wage Board. When Government is not successful in getting the wage board awards implemented the Government should get a law passed to enforce the awards of wage boards. This decision was taken in 1967, but no action has been taken in this regard so far.

The Government has not accepted a majority of recommendations made by the Coal Board. The assurances given by the Government in regard to gratuity and removal of the condition of qualifying attendance in regard to bonus has not been implemented.

The facilities given to the labourers were curtailed on the very day, the President addvessed the joint session. I therefore, request the Government that the G. S. R. 465 should be cancelled and the old order should be implemented.

So far as the question of family pension is concerned, the National Commissioner for labour has recommended that when the amount of provident fund was 6·25 percent, it should be increased to 8 percent and where it is 8 percent, it should be increased to 10 percent. Had this increase been utilized for giving family pension, it would have provided relief to many people. This matter should be looked into.

श्री समर गुह : यदि आज की चर्चा का विषय केवल बंगला देश की शरणार्थी समस्या ही होता तो इस समस्या की गम्भीरता की ओर हम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में सफल हो गये होते । बंगला देश के शरणार्थियों के भारत आने के कारण यह समस्या न केवल भारत की आन्तरिक समस्या हो गई है बल्कि विश्व के लिये भी एक समस्या हो गई है ।

सरकार को चाहिये कि वह विश्व के देशों को बताये कि जब तक बंगला देश की समस्या का राजनीतिक हल नहीं निकल जाता तब तक बंगला देश से आये शरणार्थियों को बंगला देश नहीं भेजा जा सकता हमारे रक्षा और विदेश मंत्री को यह कहना चाहिये कि जब तक बंगला देश की समस्या हल नहीं हो जाती, भारत को एक तरफाकार्यवाही करनी पड़ेगी ।

दुर्भाग्य से इस मामले को अधिक महत्व नहीं दिया गया है । शरणार्थियों के आते ही एक शरणार्थी और पुर्नवास मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिये थी । आज शरणार्थी विभाग न केवल शरणार्थियों की मानवीय और पुर्नवास सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विभाग हो गया है ।

कल प्रधान मंत्री श्रीमती गाँधी ने उल्लेख किया था कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय को शरणार्थियों और शरणार्थियों को बसाने और उन्हें राहत देने के लिये अलग मंत्रालय का अधिकार सौंपा गया है । सरकार ने इस सम्बन्ध में गम्भीरता से कार्य नहीं किया है ।

सरकार ने शरणार्थी समस्या की महत्ता का कम अनुमान लगाया है। अब तक 70 लाख से अधिक शरणार्थी भारत आ चुके हैं।

श्रम और पुर्नवास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 63·2 लाख शरणार्थी भारत आये हैं।

श्री समर गुह : क्या सब समाचार पत्रों के द्वारा दिये गये उक्त समाचार गलत हैं ? स्टेटसमैन ने यह समाचार दिया है कि गत दो या तीन दिनों में 1 23,000 से अधिक शरणार्थियों ने न दिया और पश्चिम दिनाजपुर जिले में प्रवेश किया है। इन आँकड़ों का राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व है अतः सरकार को गलत आँकड़े नहीं देने चाहियें।

यदि शरणार्थियों की संख्या को 80 लाख मान लिया जाये तो भी उनके लिये लगभग 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी अब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से सरकार को 30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। उक्त राशि अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत भी नहीं है। विश्व के देशों में इस बारे मे व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। हमें इस समस्या की गम्भीरता की ओर विश्व का ध्यान दिलाना चाहिये।

अभी भी 20 लाख व्यक्तियों के लिये तम्बू और तिरपालों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है और उन्हें खुले में रहना पड़ रहा है। इन शरणार्थियों को वर्षा के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शरणार्थियों के लिये तम्बू और तिरपाल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निवेदन करना चाहिये कि वे विमान द्वारा वहां तम्बू और तिरपाल सप्लाई करें।

शरणार्थियों को ईंधन, नमक और तेल दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना भोजन स्वयं पका सकें। उन्हें कुछ नकद धनराशि भी दी जानी चाहिये क्योंकि उनके पास न कपड़े हैं, न बिस्तर और न बर्तन ही।

संयुक्त राष्ट्र संघ में शरणार्थियों के लिये उच्चायुक्त, श्री सद्रुद्दीन का पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में आर्थिक और औद्योगिक हित हैं। सरकार को इस बारे में सावधानी से काम लेना चाहिये। वह पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। वह खतरनाक व्यक्ति हैं, क्योंकि इस मामले में उनका निजी हित है। ऐसे व्यक्ति को बंगला देश जैसे मानवीय समस्या को हल करने का काम नहीं सौंपा जा सकता।

यदि सरकार वास्तव में बंगला देश की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल करना चाहती है तो समस्त देश को इससे सम्बद्ध किया जाना चाहिये। एक ऐसी शरणार्थी राहत परिषद की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे सब दलों ने संसद सदस्यों को शामिल किया जाये। याहिया सरकार ने केवल काँग्रेस सदस्यों का शिष्ट मंडल विदेशों में भेजकर पक्षपात से काम लिया है। संसद सदस्यों के एक शिष्ट मंडल को, जिसमें सब राज्यों तथा सब दलों के सदस्य हों, सीमा पर भेजना चाहिये। सरकार को ऐसा बहुत पहले ही करना चाहिये था।

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : श्रम तथा पुर्नवास मन्त्रालय लाखों लोगों का सेवा प्रणाली

और पेनल प्रणाली के अन्तर्गत उपचार कर रही है। पेनल प्रणाली के अन्तर्गत मजदूरों का उपचार करने के लिये बम्बई में सबसे कुशल डाक्टर हैं। लेकिन इस प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा करने वाले डाक्टरों को केवल 17·50 रुपये प्रति परिवार से फीस मिलती है।

उनकी प्रति व्यक्ति फीस में वृद्धि की जानी चाहिये। मन्त्रालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है पेनल प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा करने वालों को प्रति व्यक्ति फीस में 2·50 रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि अपर्याप्त है।

बम्बई में बड़ी संख्या में तपेदिक के रोगियों को महीनों और शायद वर्षों से अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे आपरेशनों के लिये बड़ी संख्या में लोगों को लाइनों में प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं। एक बीमार कर्मचारी कैसे नियमित रूप से काम कर सकता है।

जब तक सरकार कर्मचारियों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देगी तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि कर्मचारियों के लाभ के लिये कुछ किया गया है। बम्बई, अहमदाबाद, पूना और बड़ोदा के उन क्षेत्रों में जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते हैं; अस्पतालों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाना चाहिये इस मामले में कानपुर को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सरकार को विशेषकर चाय बागानों और खानों में काम करने वाले डाक्टरों, नर्सों और कम्पाउंडरों की दशा के बारे में अध्ययन करना चाहिये। इन स्थानों पर उनकी पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। उनके मूल वेतनमान बहुत कम हैं और उनको मिलने वाली अन्य सुविधाएं नहीं के बराबर हैं।

श्रम मन्त्री को इस बारे में अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं कि चाय बागानों और कोयला खानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये अस्पतालों का निर्माण किया जाना चाहिये।

तपेदिक के रोगियों के लिये आरक्षित बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ऐसे व्यक्ति का घर पर ही उपचार किया जाना चाहिए जिसे अस्पताल में दाखिल करने की आवश्यकता न हो

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल बनाये जाने तक तपेदिक के रोगियों के लिये गैर-सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। इस बारे में शीघ्र आदेश जारी किये जाने चाहियें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Rules framed for the welfare of the workers are not being implemented. Industrialists do not show the total number of workers working in their indutries. In industries where 50 to 100 workers work. The industrialists only show the name of 5 or 10 persons in the register. The Government should make such arrangements that the names of all the workers are shown in the register.

There are some Unions who in collusion with the industrialists do not allow the workers to enjoy the benefits for their own interest. Government should make such arrangement that the workers may themselves be able to take the management of the sick mills in their own hands and the Government may invest capital in these industries.

In many Industries there are labour troubles. They are harassed without any cause. The rules framed for the welfare of the workers are being violated by the

Industrialists The workers are not getting justice. It is very difficult for them to get a lawyer at a low cost. Lawyers should be made available to workers without charging any fee. They should get half their wages till the case is pending against them. They should get justice at low cost and soon. The Government should make such arrangement that the decision in the cases is taken within a specified period.

The dearness allowance of the labourers should be increased.

A rule has been framed that the workers should be paid bonus at the rate of 4·25 percent in that condition also where there is no profit. But that rule is not being implemented.

A Parliamentary committee was set up to enquire that a large number of people in the country work on contract system and they get 12 annas or one and a half rupee per day. It is very difficult for him to support his family with this very little income. The committee recommended that the contract system should be abolished. A Bill Abolishing the contract system in the country was also introduced in the parliament.

The casual labour system in the country should be abolished. Even people working for more than 20 years have not the security of their jobs. This system should be abolished and they should be confirmed.

There is a lack of natural feelings amongst the workers. Natural feelings should created amongst them so that they may produce more. They should be paid more in case they produce more.

The Government has not framed any law for the 'Bidi' and 'Agarbati' workers. The Government should frame some law for the welfare of these workers.

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Though the Government has pledged to bring Socialism in the country attention has not been paid to the deplorable condition of the railway posters. They have not been provided with any such facilities which are available to other category of workers they have to work for twenty four hours. But arrangements have not been made for their accomodations. No health scheme has been prepared for their benefit. Arrangements should be made for their accomodation either by the Railways or by the Government. Legislation should be enacted so that they are paid compensation in view of accident.

[श्री आ० डी० भण्डारे पीठासीन हुए]
[Shri R. D. Bhandare in The Chair]

Co-operative canteen should be opened for them. Free Education should be provided to the children of the porters.

There are no latrines for these workers who work there round the clock. These basis amenities should be provided for them. The facility of Provident Fund Scheme should be extended to these workers also as in the case of workers of factories and other undertakings. In order to safeguard the Interest of these workers their union should be recognised.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I would like to point out that condition of nearly sixty textile mills is deplorable. The Government have taken over a number of Mills. It is very difficult for the workers there to make both ends meet. They are not getting any gratuity, nor dearness allowance nor reasonable pay. On the other hand the prices are rising every day. I know that Rs. 130 are paid to a worker in a Mill situated in Nandgaon. It is very difficult to pull on with such a meagre income. I had contacted Shri Gupta. All controller of the Mill and tried to persuade him to increase their emoluments but he did not agree. I would request the hon. Minister to look into this problem and try to find a way out. There should be some sort of check on the Controllers because there is enough scope of corruption because of their position. They should not be allowed to earn profit at the cost of workers.

Government should try some other method in case of sick Mills which were taken over by the Government but can not be run profitably. They can be handed over to the workers just as an experiment. Government should finance and also arrange for the raw materials and modern machinery. A departmental council should be set up to run such Mills.

The provident fund deducted from the wages of workers should he deposited within three days. There is a huge amount of provident fund which has not been deposited by the management of mills.

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रयोजन औद्योगिक शान्ति बनाये रखना और उत्पादन में वृद्धि करना है । इस दृष्टि से यह अधिनियम निष्फल रहा है । अत: जब तक श्रमिक को मानव नहीं समझा जाता और उन्हें समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक औद्योगिक शान्ति या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती । मेरा अनुरोध यह है कि हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम समाप्त करके सामूहिक सौदेबाजी की अनुमति देनी चाहिये । दूसरे कार्मिक संघ अधिनियम में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिये जिससे एक उद्योग या संस्था में एक संघ स्थापित किया जा सके ।

रेलवे में नैमितिक श्रमिकों, लाइसेंस प्राप्त कुलियों आदि के रूप में लगभग 10 लाख लोग काम करते हैं परन्तु श्रम मन्त्री मन्त्रालय ने उनके वेतन के सम्बन्ध में अभी तक कोई विचार नहीं किया है एक स्थायी अकुशल श्रमिक को 5–6 रुपये मजदूरी मिलती है जबकि नैमितिक श्रमिक को केवल 1 रु० 50 पैसे या 2 रुपये मिलते हैं जबकि वे एक जैसा काम करते हैं । श्रम मन्त्रालय को इस भेदभाव पर विचार करना चाहिये । कुछ मजदूरी बोर्डों ने सिफारिश की है कि जहां कहीं नैमितिक श्रमिक नियुक्त किये जायें उन्हें वही वेतन मिलना चाहिये जो स्थायी श्रमिकों को मिलता है और श्रम मन्त्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार भी किया है । सरकार को इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कुछ कानून बनाना चाहिये ।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishabr) : In addition to the people coming from Pakistan, people in large numbers have been repatriated from Ceylon, Burma and other countries. Adequate arrangements have not been made for their rehabilitation. There should be sufficient opportunities for providing them employment.

In regard to the employment opportunities I would like to point out that Government should see that whereever Industries are set up local people are provided employment. The figures of the unemployed are not correct. There are many families in which the parents do not afford to educate their children because they depend on daily wages. Some way should be found to ascertain the correct figures of the unemployed and the under employed. There should be some classification of manual labour. A particular type of labourers should be paid uniform wages to avoid discrimination. It will encourage socialism otherwise there will be discontentment.

The plight of Railway partners is miserable. They are not provided with any facilities. Government should look into it to safeguard their interests.

On the one hand there is the problem of unemployment while on the other hand there is hand there is dearth of agricultural labour in the rural areas. Agricultural labour should be organised so that people could secure the services of laboueis. Government should also fix their wages, so that they are not exploited.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मन्त्री महोदय श्रम समस्याओं के बारे में सक्रिय रुचि ले रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थी आने के कारण हमारे देश पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय श्रमिक वर्ग की विभिन्न समस्याओं की ओर समुचित ध्यान देंगे।

तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने धमकी दी है कि यदि सरकार ने ऋण में कमी करने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो और कपड़ा मिलें बन्द कर दी जायेंगी। यदि मिल मालिक इस प्रकार की नीति का अनुसरण करेंगे तो सभी मजदूर संघ देशव्यापी हड़ताल करके उसका विरोध करेंगे। यदि हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाया तो सभी मजदूर संघ उसका डट कर विरोध करेंगे। मजूरी का सम्बन्ध उत्पादकता के हाथ जोड़ा जा रहा है। परन्तु इससे पूर्व हमें विभिन्न उद्योगों में कार्य करने की परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिये। अन्यथा इसका अर्थ मजूरी पर रोक लगाना होगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें।

होटल उद्योग में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारण 19 होटलों में हड़ताल है और वे बन्द पड़े हैं।

हम चाहते हैं कि मजूरी बोर्डों के स्थान पर द्विपक्षीय करार किये जायें। हम मिल मालिकों का मुकाबला करेंगे। हम उनसे अपनी माँगे पूरी करवा लेंगे।

अस्पतालों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये. मैं पूछना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कर्मचारी बीमा योजना निधि में से कितने अस्पताल स्थापित किये जायेंगे।

मुझे पता चला है कि नियोजकों के पास कर्मचारियों की भविष्य निधि का अंशदान बहुत अधिक जमा हो गया है। कुछ मामलों में यह राशि 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। क्या ऐसे नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

बेरोजगारी के व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये अन्यथा देश में क्रान्ति हो जायेगी। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जे० के० उद्योगों को 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी है परन्तु अब जे० के० रेयन फेक्ट्री में हड़ताल चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने मध्यस्थ बनना स्वीकार कर लिया है और श्रमिक भी इस पर सहमत हो गये हैं। परन्तु जे० के० इण्डस्ट्रीज ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। मन्त्री महोदय को नियोजकों को इस सुझाव पर राजी करने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिये।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों* की कालोनी के अलाटी**

Allottees of East Pakistan* Displaced persons Colony**

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : पुर्नवास विभाग द्वारा कालकाजी कालोनी के मामले के बारे में जिस प्रकार कार्यवाही की जा रही है उसका किसी मध्यस्थता द्वारा या किसी समिति विशेष द्वारा पुनर्वलोकन किया जाना चाहिये। यह कई बार कहा जा चुका है कि उन अलाटियों के सम्बन्ध किये गये करार की शर्तें बहुत सख्त हैं और गैर-कानूनी हैं।

मैंने 24 जून को एक प्रश्न पूछा था कि क्या इन बेचारे अलाटियों और इस पुर्नवास विभाग के बीच किये गये करार के खण्ड (अठारह) के अधीन उनकी शिकायतों को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा जायेगा और क्या कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना की थी कि उनकी शिकायतें मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजी जाये तो उनका उत्तर मिला था 'नहीं'। करार के उपर्युक्त खण्ड मे इस बात की व्यवस्था है कि मतभेद या विवाद होने की स्थिति में उस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा जायेगा। मध्यस्थता करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है और उसका निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पक्षों के लिये बाध्य होगा।

यह व्यवस्था सरकार के अनुकूल थी परन्तु पता नहीं सरकार फिर भी इसके लिये क्यों अनिच्छुक है। एक अलाटी श्री आर० के शाह ने लिखा था कि उपयुंत करार के खण्ड (1) में उल्लिखित कुछ शर्तों के कारण कि सभी मकान दो वर्ष के अन्दर बन जाने चाहिये और ये मई 1971 तक पूरे हो जाने चाहिये, वह मकान नहीं बना सका है। वहाँ पर कोई भी नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये कोई भी बेचारा अलाटी अपना मकान नहीं बना सका है। अतः यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा जाना चाहिये।

श्री शाह ने यह भी लिखा था कि जमीन का किराया किस तारीख से लिया जाना

*** आधे घण्टे की चर्चा

*** Half An Hour Discussion.

चाहिये—उसी तारीख से जिससे अलाटी उस पर कब्जा करे अथवा उस तारीख से जब अलाटी ने अपने प्लाट देखा तक न हो । इस आवश्यक बात के बारे में निर्णय किया जाना चाहिये । इसमें कोई गलत बात नहीं है । जब इन दो पक्षों ने करार किया है कि मतभेद या विवाद होने की स्थिति में ऐसे मामले को मध्यस्थ को भेजा जायेगा तो फिर अब आपत्ति क्या है ? वास्तव में इस विभाग के भ्रष्टाचार बहुत अधिक है । यह विभाग दोरंगी चाल चलता है । पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुर्नवास के लिये जो सिद्धान्त बनाये गये थे वे पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुर्नवास लिये बनाये गये सिद्धान्तों से भिन्न हैं । क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य की जांच करेंगे ।

मन्त्री महोदय ने स्वयं देखा है कि ये निर्धन विस्थापित व्यक्ति किस अस्वास्थ्यकर स्थिति में रह रहे हैं । भूमि का विकास नहीं दिया गया है, सड़कें इतनी संकरी हैं कि वहाँ बसें चल ही नहीं सकतीं और मल निकास नालियों एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है । आंशिक जल-सप्लाई भी कालका की विस्थापित कालोनी में तब शुरु की गई, जब प्रधान मन्त्री चितरंजन दास शताब्दी समारोह के सिलसिले में वहां गईं । अधिकारियों में दफ्तर शाही की प्रवृत्ति होने के कारण वहां सुविधायें नहीं जुटाई जा सकी हैं । अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस कालोनी में विकास कार्य नहीं होसका है ।

गत 24 जून को जब मैंने इस आशय का एक प्रश्न पूछा था कि इन कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं सौंपा जाता, तो यह उत्तर दिया गया कि 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा होना चाहिये । नई दिल्ली नगरपालिका के कथनानुसार इस कालोनी का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है । पुनर्वास विभाग इस कालोनी के विकास के लिये कुछ भी नहीं कर सका ।

भूतपूर्व पुनर्वास मन्त्री श्री भागवत झा आजाद ने अपने एक पत्र में कहा था कि इस कालोनी के लिए भूमि विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत। विकसित की गई है । इसके अनुसार 3 प्रतिशत की दर से भू० किराये की वसूली सांविधिक है इसे कम किया जाना चाहिए । मूलतः 7·50 रुपये प्रति वर्गगज भू० किराया था, जिसे बढ़ाकर 20 रुपये, फिर 25 रुपये और अब 30 रुपये प्रति वर्ष गज कर दिया गया है । अधिनियम के अनुसार 756 रुपये पहले पांच वर्षों में वसूल किए जाने चाहिए थे । उक्त अवधि के लिए यह राशि बढ़ाकर 4800 रुपये कर दी गई है । पुनर्वास विभाग का पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को परेशान करने के लिए यह अजीब मनमाना तरीका है । प्लाटों के आवंटन में आवंटियों के स्तर और आय आदि सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सूचना एकत्रित नहीं की गई और न कोई मानदण्ड ही ध्यान में रखा गया ।

इस प्रकार प्लाटों के आवंटन में गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं । एक मामले में एक व्यक्ति की आय 280 रुपये प्रति मास है, उसे 320 वर्ग गज का प्लाट आवंटित किया गया है । परन्तु जिन व्यक्तियों की आय 1000 रुपये प्रति मास से अधिक है, उनके मामलों पर विचार ही नहीं किया गया । लोक सभा में दिए गए उत्तरों से मैंने हिसाब लगाया है कि 130 व्यक्तियों अर्थात् 60 प्रतिशत मामलों पर विचार नहीं किया गया । यह कैसे हुआ ? यह जान बूझकर

किया गया है और इसमें सम्बन्धित अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों को जान बूझकर लाभ पहुंचाया है। मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार दूर न हो सका तो समस्त लोकतन्त्रात्मक परम्परायें समाप्त हो जायेंगी।

Shri K. M. Mahukar (Kesaria) : Some of the displaced persons have been rehabitated in Champaran district also. There is shortage of residential accomodation. There are no civic amenities, nor any opportunities of employment. There is wide spread corruption in the department. The corrupt officials should be taken to task.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There are no civic amenities in the E. P. D. O. Colony at Kalkaji. I wou d like to know as to what facilities have been provided to them and how long will it take to provide them with all the facilities, How much amount has been spent on them so far. I would also like to know the details of the scheme for the development of such colonies.

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कालकाजी कालोनी इसलिये बसायी गयी है कि पूर्वी बंगाल से आये उन शरणार्थियों को, जिन्हें दिल्ली में लाभप्रद रोजगार मिल गया है, विकसित भू-खन्ड (प्लाट) आवंटित किये जांय। इसलिए, कभी भी यह बात नहीं सोची गई थी कि पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्लाट उन अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत दिये जायेंगे जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। वस्तुतः ये प्लाट न हानि न लाभ के आधार पर दिये गये थे। अगर इन सब तथ्यों का अध्ययन किया जाय, तो यह समझ में आयगा कि हमने बहुत अच्छी शर्तों पर उन्हें प्लाट दिये हैं। अगर इन शर्तों की तुलना दिल्ली विकास अधिकरण, पश्चिम पाकिस्तान की शरणार्थी कालोनियों, सरकारी आवास समितियों की शर्तों से की जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यतियों को कहीं अधिक अच्छी शर्तें पेश की गई हैं। अगर पुनर्वास विभाग ने जमीन को पट्टे पर भी दिया है, तब भी पुनर्वास विभाग 160 वर्ग गज भूमि के लिए उनसे 99 वर्षों में 29,649 रुपये लेगा। यदि यह प्लाट विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित किये जाते, तो उनसे 62,107 रुपये लिये जाते। इसी प्रकार 233 वर्ग गज के प्लाट के लिये वर्तमान शर्तों के अनुसार उनसे 43,240 रुपये लिये जायंगे, जबकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 1,20,111 रुपये वसूल किये जाते।

जहां तक मध्यस्थ-निर्णय का सम्बन्ध है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि हर अलाटी को प्लाट आवंटित किये जाने के तुरन्त बाद राष्ट्रपति के साथ एक करार करना होगा और उक्त करार में मध्यस्थ-निर्णय का उपबंध है।

इस उपबंध का लाभ उठाते हुए कुछ आवंटियों ने सरकार को लिखा कि कुछ मामलों को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेज दिया गया। हमने यह मामला विधि मन्त्रालय को भेजा और विधि मंत्रालय के परामर्श से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले को मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समझौते में 2 वर्ष की अवधि के अंदर मकान बनाने और और ब्याज किस तिथि से लिया जायेगा, इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है। जिस दिन से यह समझौता किया गया, उसी दिन में यह आवंटियों पर लागू भी हो गया था।

पानी, बिजली, माल निकास नालियों आदि जैसी नागरिक सुविधायें वहां उपलबध कर दी गई हैं। जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस क्षेत्र का विकास किया और जब नगरपालिका अधिकारियों ने यह प्रमाणित कर दिया है, तो फिर आरोप लगाने का कोई आधार ही नहीं। इस प्रकार की अनुमति के बिना वहां कोई निर्माण-कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सकता था। इसका अर्थ है कि वहाँ सारी व्यवस्था की गई है। इन परिस्थितियों में मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपना उचित नहीं है।

श्री कमल मिश्र मधुकर ने अधिकारियों ने विरूद्ध कुछ आरोप लगाये हैं। पता नहीं, उनका आधार क्या है ? मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री सेन वर्मा समिति के अध्यक्ष थे।

श्री बी० के० दास चौधरी : सभापति महोदय, आपने निर्णय दिया था कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, उनके नामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : **

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं श्री कमल मिश्र मधुकर से अनुरोध करूंगा कि हमारे अधिकारियों पर आक्षेप और आरोप न लगायें।

श्री रामवतार शास्त्री के प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी प्रकार की नागरिक सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 1 जुलाई, 1971/10 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on thursday July 1, 1971/Asadha 10, 1893 (Saka)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recrded.

Ashoka Printing Works, Modinagar